खण्ड-125, अंक-2
मंगलवार, 20 श्रावण, शक संवत् 1875
(11 अगस्त, 1953 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 125 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ११ अगस्त, १९५३

[विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।]

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५४)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री

गुलज़ार, श्री
गँदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तू लाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री

बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मोतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद, शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन बाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुनासिंह, श्री

यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह , श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री

रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रास्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वर, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसीनक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र , श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री,
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री

हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

पूर्वी जिलों में नहरें निकालने की योजनाएं

*१—श्री रामनारायण त्रिपाठी—(जिला फैजाबाद)—क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि पूर्वीय जिलों में नहर निकालने की कौन कौन सी योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं और कौन कौन योजनायें चालू करने का सरकार ने निश्चय कर लिया है ?

सिंचाई उप-मंत्री (श्री राममूर्ति)—पूर्वीय जिलों में नहरें निकालने की निम्नलिखित योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं—

(१) घाघरा नहर, फैजाबाद की वृद्धि के लिये पम्प इत्यादि तथा निम्नलिखित नये रजबहे—

(क) अमसिन रजबहा,
(ख) अकबरपुर रजबहा,
(ग) टांडा रजबहा ।

(२) गंडक नहर—जिला गोरखपुर व देवरिया।

(३) दोहरीघाट में पम्पिंग द्वारा नहर–जिला आजमगढ़ व बलिया।

(४) टांडा नहर जो जिला फैजाबाद में टांडा के पास से पम्पिंग द्वारा घाघरा में से पानी लेगी ।

(५) घूघी नदी सिंचाई योजना—जिला गोरखपुर ।

(६) पोखरा ताल नहर योजना—जिला गोरखपुर ।

(७) बलिया रवेलगंज बांध—जिला बलिया ।

सरकार ने निम्नलिखित योजनायें चालू करने का विचार कर लिया है—

(१) खरारी तथा अन्य नाला सिंचाई योजना—जिला गाजीपुर।

(२) सलोना पम्प नहर—जिला आजमगढ़ ।

*२—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सरकार ने घाघरा नदी से आजमगढ़ कैनाल नाम की कोई नहर फैजाबाद जिले के टांडा नामक स्थान से निकालने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो इस नहर से कौन-कौन से जिलों में कितने एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी ?

श्री राममूर्ति—जी हां, टांडा से जो टांडा नाम की पम्पिंग नहर का ऊपर वर्णन किया गया है, उसी नहर को पम्प लगा कर पानी बढ़ाने के उपरान्त दूर तक आजमगढ़ इत्यादि जिलों में पानी पहुंचाने की एक तजवीज सोची गई है। उपरोक्त तजवीज से निम्नलिखित जिलों में ६.१५ लाख एकड़ भूमि को पानी पहुंचाये जाने की सम्भावना है —

फैजाबाद	१.०९ लाख एकड़
आजमगढ़	२.५७ लाख एकड़
गाजीपुर	२.२९ लाख एकड़
जौनपुर	०.२० लाख एकड़

*३—**श्री रामनारायण त्रिपाठी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस नहर का निर्माण कब से आरम्भ होगा ?

श्री राममूर्ति—यह नहर अभी सरकार के विचाराधीन है। स्वीकृति प्रदान होते ही इस नहर का सर्वे आरम्भ कर दिया जायगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रश्न १ के उत्तर में जो अकबरपुर और टांडा राजबहा है उससे कहां तक सिंचाई होगी ?

श्री राममूर्ति—थिरवा नाला और भरही नदी के क्षेत्र में २४,२१२ एकड़ भूमि पर सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिये ३९ मील ५ फर्लांग लम्बी जल प्रणालियां बनाई जायंगी। इससे फैजाबाद जिले में ८,६४३ एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और इस योजना पर ९ लाख ४८ हजार रुपये खर्च होंगे।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि घाघरा नदी से कोई नहर बस्ती जिले में भी निकालने का उसका विचार है ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—बस्ती जिले में बान गंगा से नहर बन रही है।

श्री सीताराम शुक्ल—क्या सरकार को मालूम है कि घाघरा नदी बस्ती जिले के दक्षिणी हिस्से से जाती है और दक्षिणी-पश्चिमी हिस्से में कोई सिंचाई की योजना नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, जहां जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है वहां कुछ न कुछ सुविधा प्रदान करने पर गवर्नमेंट विचार करती रहती है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—गंडक से जो नहर सरकार निकालने का विचार कर रही है उससे कितने एकड़ सिंचाई होगी ?

श्री राममूर्ति—इन योजनाओं द्वारा ४ सौ मील लम्बी नहर, जिसको महागंडक नदी द्वारा पानी मिलेगा, बनाई जायगी इससे गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, और हाटा में कृषि योग्य ४, ५ लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सरकार ने इस टांडा नहर का कोई मोटा तखमीना तैयार कर लिया है ? यदि हां, तो कितना रुपया इसमें लगेगा ?

श्री राममूर्ति—इसमें १९१.५५ लाख रुपया खर्च होगा।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पूर्वी जिलों में किन किन जिलों के लिये नहर की योजना विचाराधीन है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह तो उत्तर में दिया हुआ है।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में जो रामगढ़ ताल की पंपिंग कैनाल है वह पूर्वी हिस्से की सिंचाई करती है तो वैसे ही रामगढ़ के पश्चिमी हिस्से के लिये भी ताल से सिंचाई करने के लिये क्या सरकार के पास वहां के लोगों की तरफ से कोई प्रार्थना-पत्र आया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कोई प्रार्थना-पत्र ऐसा नहीं आया है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन नहरों में किन किन नहरों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है ?

श्री राममूर्ति—खरारी नहर सिंचाई योजना और सलोला नहर की योजना इन दो पर काम शुरू हो गया है और बाकी पर शुरू होने वाला है ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—जो नहर आजमगढ़ से निकाली जाने वाली है वह आजमगढ़ के किन भागों से होकर निकाली जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—एक तो डाहरी से घोषी होती हुई बलिया तक जायगी और जो गंडक की होगी वह फूलपुर से होती हुई जौनपुर तक जायगी ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इन नहरों का काम कब तक शुरू होगा और कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—काम शुरू होने की बात यह है कि माननीय सदस्य देखेंगे कि यह करोड़ों रुपये की स्कीम है यह सारा मालमा पैसे पर निर्भर करता है ।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतालाने की मेहरबानी करेंगे कि जिन नहरों की स्कीम के बारे में इस हाउस में बयान किया गया है यह पांच साला स्कीम से ताल्लुक रखती हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, पंच साला स्कीम से तो ताल्लुक नहीं है लेकिन पंचसाला प्लान जिस प्रकार से चल रहा है सिंचाई के लिये उससे उनका ताल्लुक है क्योंकि वह उन क्षेत्रों से ताल्लुक रखता है ।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो नहर फैजाबाद और टाँडा नामक स्थानों से निकाली जायगी वह कहां पर जाकर समाप्त होगी ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—वह आजमगढ़ की कुछ तहसीलों से होती हुई जौनपुर तक जायगी ।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो गंडक से नहर निकाली जायगी उसमें सिंचाई के लिये पडरौना तहसील का भी कुछ हिस्सा आयेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, वह तो हाटा तहसील से होती हुई गोरखपुर के महाराजगंज तहसील तक आती है । सम्भव है कि देवरिया के सदर का भी कुछ हिस्सा उसमें आ जाय ।

सिकन्दरराऊ (अलीगढ़) में आबकारी की दुकानों का नीलाम

*४—**श्री नेकराम शर्मा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) में आबकारी (शराब, अफीम, भांग, गांजा) की कितनी दुकानें हैं और उनके नीलाम इस साल किस तारीख को तथा कितने रुपये में हुये ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) में शराब, अफीम तथा भांग, गांजा की एक एक दूकान है। इन तीनों दूकानों का नीलाम इस साल एक साथ १७,००० रु० (सत्रह हजार रुपये) में ३० मार्च, १९५३ को हुआ।

*५—**श्री नेकराम शर्मा**—क्या सरकार को मालूम है कि नीलामकर्ता ने २५ मार्च, १९५३ को जिले की अन्य दूकानों का तो नीलाम कर दिया था लेकिन सिकन्दराराऊ की दूकानों का नहीं किया? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसा क्यों हुआ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, ऐसा इसलिये किया गया क्योंकि २५ मार्च को केवल शराब की दूकान की ही बोली आई और वह भी नाकाफी थी।

*६—**श्री नेकराम शर्मा**—क्या यह सही है कि नीलामकर्ता ने जिस कचहरी में नीलाम होता था उसमें न करके तीस मार्च को अपनी कचहरी में करा लिया और नीलाम वालों को इसकी लिखित सूचना नहीं दी और न सूचना नोटिस बोर्ड पर ही लगाई?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। ऐसा इसलिये नहीं किया गया क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी। जगह तब्दीली की जबानी सूचना २५ मार्च को नीलाम के स्थान पर ही दे दी गई थी और फिर भी स्थानीय अधिकारियों ने बोली बोलने वालों को सही स्थान की सूचना देने के लिये एक आबकारी चपरासी तथा एक आबकारी इन्स्पेक्टर को नीलाम के पुराने स्थान पर तैनात कर दिया था।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि पिछले वर्ष यह दूकान कितने रुपये में और किसके नाम नीलाम हुई थी?

श्री सैयद अली जहीर—पिछले साल यह तीनों दूकानें ३०,१०० रुपये में नीलाम हुई थीं। उसमें से ओम् प्रकाश ने अफीम की दूकान २,१०० रुपये में, केशवदेव ने गांजे वगैरह की ६,००० में और बाकी शराब की दूकान ज्योति प्रसाद ने ली थी।

श्री नेकराम शर्मा—क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस साल केवल १७,००० रुपये में ही, इतने कम रुपये में दूकानें क्यों और किसके नाम नीलाम की गईं?

श्री सैयद अली जहीर—जहां तक कि कम रक़म का सवाल है तमाम सूबे में इस साल अक्सर जगहों से दूकानों के नीलाम में कीमतें कम आई हैं और गालिबन ऐसा एकनामिक डिप्रेशन की वजह से हुआ है। इस साल कई बार नीलाम हुआ और ३० मार्च को ज्योति प्रसाद के नाम १७,००० में नीलाम छोड़ा गया।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह जो प्रश्न ५ के सम्बन्ध में बताया गया है कि २५ तारीख को बोली नाकाफी रही, तो उस दिन कितने रुपये की बोली हुई थी?

श्री सैयद अली जहीर—महज शराब की दूकान की ११,००० रुपये की सब से बड़ी बोली हुई थी।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि लिखित इत्तला नोटिस बोर्ड पर या बोली बोलने वालों को दी गई थी?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो मैंने बता दिया कि लिखित इत्तला नहीं दी गई, जबानी इत्तला दी गई थी और नीलाम की पुरानी जगह पर आदमी छोड़ दिये गये थे ताकि जो आदमी आवें वह सिटी मैजिस्ट्रेट की कचहरी में ले जाये जायं।

श्री नेकराम शर्मा—जिस दिन आखिरी दिन नीलाम हुआ था उस दिन क्या और लोगों ने भी बोली लगाई थीं, यदि हां तो वह बोलियां कितने कितने की थीं ?

श्री सैयद अली जहीर—जहां तक मुझे इत्तला है आखिरी दिन महज एक बोली आई थी और वह इन तीनों दुकानों के लिये १७ हजार की थी।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार बताने की मेहरबानी करेगी कि बोली में जो इस साल कीमतें कम आई हैं उसके लिये कोई दूसरे बजूहात हैं या यह वजह है कि लोगों ने अब नशीली चीजों का इस्तेमाल कम कर दिया है ?

श्री सैयद अली जहीर—एक वजह यह भी है कि अब नशीली चीजों का इस्तेमाल कम हो गया है।

श्री व्रज भूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नीलाम की तारीख के विज्ञापन के लिये कोई आम हिदायतें सरकार की ओर से हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—वह हिदायतें यही हैं कि उसका एलान होना चाहिये और वह किया गया था।

श्री व्रज भूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी की ओर से आम तौर से कोई हिदायतें हैं कि नीलाम की तारीख का पत्रों में विज्ञापन कराया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर—पहली बार जब नीलाम शुरू होता है जैसे कि फरवरी में हुआ था उस वक्त उसका इश्तहार दिया गया होगा लेकिन जब जब मुल्तवी होता रहता है तो उसका वही मुकामी तौर से एलान कर दिया जाता है।

*७—९—**श्री श्रीचन्द** (जिला मुजफ्फरनगर)—[स्थगित किये गये]

गौला व कोसी नदी में बांध बनवाने की योजना

*१०—**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—क्या 'सरकार विस्तृत भावरी इलाके की सिंचाई व पीने के पानी के संबंध में होने वाली कठिनाइयों को देखते हुये गौला व कोसी नदी में बांध बनवाने की योजना पर विचार कर रही है ? अगर हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री राममूर्ति—भावर के इलाके में गौला तथा कोसी नदियों पर बांध बनाने के विषय पर सरकार ने विचार किया था। इन पर बांध बनाना संभव नहीं है क्योंकि यह नदियां बरसात में अपने साथ बहुत सा मलवा लाती हैं जिसके कारण छोटे बांध यदि बनायें जायें तो शीघ्र ही मलवा और मिट्टी से भर जायंगे। बड़े बांधों के निर्माण के लिये इस क्षेत्र में न तो उपयुक्त स्थान है और न भूगर्भ रचना (geological formation) ही उपयुक्त है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि गौला व कोसी नदियों पर बांध निर्माण के संबंध में सर्वे कब हुआ ?

श्री राममूर्ति—उस इलाके में जो हमारे इक्जीक्यूटिव इंजीनियर रहते हैं, उन्होंने एक कमेटी इस प्रश्न पर डिस्ट्रिक्ट लेविल पर की थी जिसमें माननीय सदस्य भी थे। उन्होंने नक्शे में देख कर, सर्वे मैप्स को देखकर बतला दिया था कि चूंकि स्टीप बहुत नीचा है, मलवा वगैरह बहुत आयेगा इसलिये बांध बनाना उपयुक्त नहीं होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि अब माननीय मंत्री जी ने फिर से गौला नदी में सर्वे करवाने के लिये कुछ मंजूरी दी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, ऐसी एक अप्लीकेशन आयी है और जो कोई प्रार्थना-पत्र आता है उसका सर्वे इत्यादि करा लिया जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस बांध बनवाने की योजना के अलावा सिंचाई और पीने के पानी के संबंध में वह क्या योजना बना रहे हैं?

श्री राममूर्ति—इस इलाके में ट्रायल के लिये ट्यूबवेल बनवाने का इंतजाम है। छः सात कुयें खुदवाने हैं जिसमें दो खुद चुके हैं और ५ बाक़ी रह गये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाएंगे कि अब तक कितने ट्यूबवेल इस इलाके में बन चुके हैं?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि दो बन चुके हैं और बाक़ी बनने को हैं।

कोस्यां घाटी, जिला नैनीताल में बिजली द्वारा सिंचाई करने का प्रस्ताव

*११—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के योजना विभाग के पास कोस्यां घाटी, जिला नैनीताल में बिजली की सहायता से सिंचाई करने के हेतु भुजाण केंद्र से शारदा ट्रांसमीशन लाइन में (खटीमा–हल्द्वानी–अल्मोड़ा–रानीखेत मेन लाइन) से एक सब–ब्रांच लाइन बेताल घाट–सेठी तक ले जाने का प्रस्ताव आया है? अगर हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निश्चय किया है?

वित्त मंत्री श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं एक बात जानना चाहता था कि हप्रश्न योजना विभाग से संबंधित है या वित्त विभाग या शक्ति विभाग से संबंधित है?

श्री अध्यक्ष—अगर वित्त मंत्री की योजना हो तो क्या करें? सरकार केय यहां इंतजाम यही है। बिजली से संबंध है तो वित्त मंत्री के विभाग में है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि जिला प्लानिंग कमेटी नैनीताल ने अभी एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया है?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—गवर्नमेंट को इसका कोई इल्म नहीं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या मानीय मंत्री जी प्रश्न ११ को ही एक प्रस्ताव समझ कर इस योजना पर विचार करने का कष्ट करेंगे?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—जो विचार करने के लिये कष्ट करना जरूरी है वह हो रहा है और मालूमात हो रही हैं। वह इसमें है नहीं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कब तक शारदा ट्रांस्मिशन से अल्मोड़ा, रानीखेत में बिजली आ जायगी?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—शारदा पावर स्टेशन से बिजली सन् १९५५ के आखीर और सन् १९५६ में मिलेगी।

*१२—राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—[प्रश्न संख्या ७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१३—राजा वीरेन्द्र शाह—[स्थगित किया गया।]

*१४--श्री नारायणदत्त तिवारी--[प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

तहसील घोसी जिला आजमगढ़ में हाहा नाला बांधने की योजना

*१५--श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २९-१२-५२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के अनुसार आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत घोसी तहसील का हाहा नाला बांधने की योजना पर अभी तक क्या प्रगति हुई है?

श्री राममूर्ति--एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, ट्यूब वेल डिवीजन ने आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत, घोसी तहसील के हाहा नाले पर बांध व रेगुलेटर बनाने की योजना के संबंध में छान-बीन पूरी कर ली है। और इस विषय पर एक रिपोर्ट सुपरिण्टेण्डिंग इंजीनियर को भेजी है। वह रिपोर्ट सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर के विचाराधीन है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार इस योजना के संबंध में निर्णय कर सकेगी।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि एग्जिक्यूटिव इंजीनियर ट्यूबवेल, आजमगढ़ ने सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के पास कब रिपोर्ट भेजी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--तारीख तो कोई मुझे मालूम नहीं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर की रिपोर्ट सरकार के पास कब तक आने की आशा है?

श्री राममूर्ति--वह तो जैसे ही अपने काम को खत्म कर लेंगे, रिपोर्ट भेज देंगे।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हाहा नाल कब से बनने की आशा की जाती है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--हाहा नाला तो बनना नहीं है, पहले ही से बना हुआ है। उस पर केवल रेगुलेटर बनना है।

श्री राम सुन्दर पांडेय--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पूछने का मतलब यह था कि रेगुलेटर कब से बनने वाला है सरकार की ओर से? कब से बनना शुरू हो जायगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वह तो निवेदन किया गया है कि उसकी रिपोर्ट आने पर सरकार इस पर निर्णय करेगी।

लेखा समिति की २ रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये प्राप्त नाम निर्देशनों के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष--लेखा समिति के लिये मैं सूचना देना चाहता हूं कि दो रिक्त स्थानों के लिये ६ नाम आये हैं।

१--श्री भगवती प्रसाद शुक्ल, बाराबंकी,
२--श्री हरदयाल सिंह पिपल, अलीगढ़,
३--श्री रामसुमेर,
४--श्री रामेश्वर प्रसाद,
५--श्री रामनारायण दास, और
६--श्री जगन्नाथ प्रसाद, खीरी।

उनकी वापसी की तारीख कल एक बजे तक है। अगर वापसी नहीं हुई तो चुनाव होगा।

*प्राविडेंट फण्ड्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५३
(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब प्राविडेंट फंड्स विधेयक पर श्री नारायणदत्त जी अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं कल प्राविडेंट फंड्स बिल, १९५३ के संबंध में उन नियमों का जिक्र कर रहा था जो कि सरकारी कर्मचारियों के प्राविडेंट फंड्स के संबंध में लागू किये गए हैं। यह बात सर्वमान्य है कि प्राविडेंट फंड कोई सरकारी कर्मचारी का ऐसा बैंक एकाउन्ट नहीं है कि जिसमे चाहे जिस काम के लिये भी ड्रा कर लिया जाय। और प्राविडेंट फंड का भी जो सर्वमान्य सिद्धान्त है वह यह है कि वह तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि असाधारण आवश्यकता इन मामलों में न हो जाय कि—

"No advance shall be granted unless the sanctioning authority is satisfied that the applicant's pecuniary circumstances justify it....."

पहले तो अप्लीकेंट की जो आर्थिक हालत है वह ठीक होनी चाहिये।

".....and that will be expended on the following object or objects and not otherwise:-

(*i*) to pay expenses incurred in connection with the prolonged illness of the applicants or any person actually dependent on him;"

तो पहला कारण उसमें यह है कि बीमारियों के कारण दिया जा सकता है—

(*ii*) "to pay for the overseas passage for reasons of health or education the applicant or any person actually dependent on him;"

स्वास्थ्य और शिक्षा के कारणों के लिये अगर बच्चे बाहर जाना चाहें तो आगे जाने के लिये दिया जा सकता है। तीसरा

"to pay obligatory expenses on a scale appropriate to the applicant's status in connection with marriages, funerals or ceremonies which by his religion it is incumbent on him to perform.

तो दाह संस्कार या विवाह इस प्रकार के संस्कार हों, उनके लिये दिया जा सकता है और इनके लिये भी:

"Sanctioning authority shall record in writing its reason for granting the advance.,'

तो ये सब इतने कड़े कानून और क़ायदे इस संबंध में हैं। अब बिना नियमों में परिवर्तन किये जो कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, १९३५ के अनुसार बने हैं या विधान के अनुसार जो नियम बने हैं उनको बिना बदले हुये यह नहीं लाया जा सकता। यहां पर जितने भी कंट्री-ब्यूटरी प्राविडेंट फंड और रूल्स और जनरल प्राविडेंट फंड्स रूल्स इस प्रान्त के अन्दर अप्ली केबुल हैं वे सब गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, १९३५ के अनुसार हैं और बाद को फिर कास्टी-च्यूशन की धाराओं के अनुसार उनका अमेंडमेंट हुआ है तो मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्री जी जो यह विधेयक लाये हैं वह कहां तक उनके उद्देश्य को पूरा कर सकेगा और उद्देय को पूरा कर भी ले तो भी सिद्धान्ततः इस बात का विरोध करना चाहते हैं कि जिस सिद्धांत के आधार पर आज तक लगातार प्राविडेंट फंड का रुपया दिया जाता रहा है उसमें इस तरह की बातें, भूमिधरी वगैरह की और जमीन के संबंध में डालना किसी प्रकार उचित नहीं।

श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में माननीय विरोधी दल के नेता ने जो कुछ आपत्तियां उठाई हैं वह केवल १० गुना

---

*३ अगस्त, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

वसूल करने के संबंध में जोर जुल्म की आपत्ति। जहां तक इस बिल का सबध यह बिल बिलकुल सीधा-सादा हैं। प्राविडट फंड के नियमों के संबंध में जो इर्रेगेलेटीज हुई थीं और अनियमिततायें हुई थीं, जितने आदमियों के संबंध में भी हुई थीं या जितने एमाउण्ट के संबंध में भी हुई थीं, उस एमाउन्ट या उन व्यक्तियों की सख्या से इसका कोई संबंध नहीं। यदि ऐसी अनियमितता केवल थोड़े से आदमियों के संबंध में हुई हो या थोड़े से एमाउण्ड के संबंध में ही हुई हो तब भी उसको दूर करने के लिये हमें इस बिल को मंजूर करना चाहिये। इसलिये जो यह बात की जाती है कि कितने आदमियों का इससे संबंध है, कितने रुपयों का इससे संबंध है, जो इसे लाया गया तो इससे कोई मतलब नहीं है, इस बात का इस कानून से कोई संबंध नहीं है। यह तो नियम का प्रश्न है। जो अनियमितता हुई है उसे बैध करने के लिये यह कानून पेश किया गया है। इसलिये इस तरह की बातों से कि उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है या इसमें कितने रुपयों का मामला है, इसका इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरी बात जो जोर जुल्म की कही जाती है तो वह जोर जुल्म की बात सुनने में तो बड़ी भड़कीली मालूम पड़ती है लेकिन वह बात ऐसी ही है जैसे कि हमारे विधान सभा के कतिपय सदस्य जो कि किसी बीमा एजेंसी का काम करते हैं, अगर उनके जरिये जो लोग पालिसी खरीदते हैं, वे लोग भी ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि उनके ऊपर कोई दबाव पड़ रहा है और इसी तरह से सरकार ने भी १० गुना वसूलने की बात की। तो इसमें कोई ऐसी जोर जुल्म की बात नहीं है। जनता को भुलाकर भूमिधर बनाने की बात कही जाती है लेकिन जहां तक हमने जनता में कार्य किया है हम इस भूमिधरी की उपयोगिता को जानते हैं और खासकर जब फैजाबाद जिले में हमने देखा कि ऐसे लोग भी जो कि प्रजा समाजवादी दल के थे, जो कि उसके कार्यकर्त्ता थे, वे लोग भी जब भूमिधर बन गये तो उसकी उपयोगिता में संदेह करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। तो यह जो बात कही जाती है यह बिलकुल गलत है क्योंकि हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि जो समाजवादी कर्यकर्त्ता थे और जमींदार थे ऐसे लोग भी भूमिधर बन गये हैं और उन्होंने भी रुपया दाखिल किया है। इसलिये इसकी उपयोगिता के संबंध में कोई संदेह अब नहीं रहना चाहिये। जोर जुल्म की घटनाएं कहीं हो सकती हैं लेकिन उन घटनाओं का इस विधेयक से कोई संबंध नहीं है। यह भी कहा गया कि इसी कारण उसमें रुपया काफी इकट्ठा नहीं हुआ। अगर इसमें रुपया काफी इकट्ठा नहीं हुआ है तो उसके और कई कारण हैं। एक नहीं अनेक कारण हैं। एक तो जमींदारों का जुल्म था, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें दस गुना जमा करना हैं तो दस गुना जमींदार को दो और दस गुना गवर्नमेंट को दो तब हम तुमको भूमिधर बनने देंगे। इसी प्रकार अनेक कारण थे। लेकिन उसकी उपयोगिता के संबंध में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रहा है। इसलिये प्राविडेंट फंड में से रुपया ले करके जिन लोगों ने जमा किया हैं उन्होंने उसकी उपयोगिता को मानते हुये और जानबूझ कर अपने फायदे के लिये प्राविडेंड फंड से रुपया निकाल कर के भूमिधरी में जमा किया है। इसलिये इस संबंध में जो अनियमिततायें हुई हैं उनको ठीक करने के लिये जो विधेयक पेश है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में बात बहुत छोटी सी मालूम होती है सरकारी मुलाजिमों को उनके प्राविडेंट फंड से जो रुपया ले लेने की बात की गयी थी पहले उसमें कुछ गलती हो गई है और उस अनियमितता का सुधार करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। बहस जो हुई और अभी हमारे पहले माननीय सदस्य ने जो विचार प्रकट किये उसमें जानबूझ कर उन्होंने इस बात का निमंत्रण दिया कि हम दस गुना वसूली की उपयोगता और उसकी खराबी की तरफ़ जायं। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस विधेयक का स्कोप वह नहीं है, और बहुत से अवसर पर उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन दो एक बात मैं जरूर माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। एक तो यह कि प्राविडेंट फंड के सिद्धान्त की हमारे देखने में हत्या हो रही है। जैसा कि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा कि प्राविडेंट

[श्री गेंदा सिंह]

फंड जो सरकार अपने मुलाजिमों से इकट्ठा कराती है वह एक खास जरूरत से इकट्ठा कराती है और उसमें मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जरूरत यह है कि जिस समय वे काम न कर सकें, इस लायक न रह जायं कि वे अपना गुजारा चला सकें, अपनी कमाई से अपने बच्चों की तालीम वे न दिला सकें, या वे खुद न रहें, वैसी हालत में उनको वह रक़म मिले और वे अपना गुजारा कर सकें और उनके आश्रित उससे फायदा उठा सकें। यही सिद्धांत प्राविडेंट फंड के इकट्ठा कराने में सरकार समझती है। मैं नहीं समझता कि दस गुना जमा कर देना इन सिद्धांतों की रक्षा करता है। दस गुना जमा करने से एक बात तो मैं समझता हूं कि जरूर होती है कि जमीन के बेचने का अख्तियार उस भूमिधर को मिल जाता है जो दस गुना जमा करता है। दस गुना जमा करने से पहले उसको अपनी जमीन के बेचने का अख्तियार नहीं रहता है। अगर सरकार इस दलील को दे तब तो ऐसी बात कही जा सकती है कि जब वह भूमिधर बन जायगा तो भूमिधर बनने के बाद वह अपनी जमीन को बेचकर के अपना गुजारा कर सकता है। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई दूसरी दलील सरकार दे सकती है। अध्यक्ष महोदय, पहले जमाने में मैंने माननीय कृषि मंत्री के भाषणों और लेखों को बड़े गौर से पढ़ा था। उसमें उन्होंने दस गुना की बहुत तारीफ़ की थी उन्होंने बार-बार यह कहा था कि जेवर भी बेंच करके भूमिधर बन जाओ, भूमिधर बनने से तुम्हारा लाभ होगा। कभी-कभी अध्यक्ष महोदय, देहात में यह कहा जाता था कि तुम्हारा तो लाभ होगा ही तुम्हारे जो पूर्वज हैं उनका भी लाभ होगा। अगर दस गुना देकर के तुम भूमिधर बन जाओगे तो तुम्हारे जो पूर्वज स्वर्ग में हैं वे यह समझेंगे कि हमारा लड़का जमीन का मालिक बन गया। वे जमीन के मालिक बन कर के नहीं गये लेकिन तुम मालिक बन जाओ। इससे तुम्हारे पूर्वज स्वर्ग में बैठे बैठे तुम्हें आशीर्वाद देंगे। कभी कभी यह भी सुना था कि तुम्हारी जमीन में अधिक उपज भी होने लगेगी। मैं और बातें न कह कर के केवल यह कहना चाहता हूं कि अभी हमारे वैद्य जी ने जितनी उपयोगिता बताई हैं उसमें से कोई उपयोगिता अभी तक हमारे सामने नहीं आयी। एक उपयोगिता हमारे सामने अवश्य आयी कि जितने लोगों ने क़र्ज़ा लेकर के या किसी तरीक़े से या प्राविडेंट फंड से रुपया ले कर के भूमिधर बनना स्वीकार किया वे आज अगर किसी दूसरे उपयोगी काम के लिये क़र्ज़ा लेना चाहते हैं तो उनको क़र्ज़ा मिलना मुश्किल हो गया है। उनकी ग़रीबी बढ़ती चली जा रही है। वह परेशान हैं। इस वक्त इतनी तंगी में है कि जिसका कोई इलाज इस वक्त सरकार नहीं कर पा रही है। फिर आज जिन लोगों ने रुपया दस गुने का जमा किया उन लोगों में लाखों की ऐसी तादाद है कि जिन्होंने रुपया भी जमा किया है और उन्हें भूमिधरी की सनद भी नहीं मिली है। उन्हें जो प्रलोभन था कि अगर हम दस गुना जमाकर देंगे तो हमारा लगान आधा हो जायगा और हमारी मालगुजारी आधी हो जायगी। फिर भी आज उन्हें पूरी-पूरी मालगुजारी देनी पड़ रही है और ऐसा करोड़ों रुपया सरकारी खजाने में इस वक्त जमा है। अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त हम यह प्रश्न करते हैं कि इस प्रदेश में ऐसे कितने लोग हैं कि जिनका रुपया पार्ट पेमेंट की शक्ल में सरकारी खजाने में जमा है चाहे उनमें प्राविडेंट फंड वाले हों चाहे उनमें ऐसे जमा करने वाले हों जिनकी गन्ने की क़ीमत में से कटवा कर रुपया वसूल किया गया हो, उनकी तादाद सरकार बता दे। लेकिन सरकार बतलाने की कृपा नहीं करती। मुझे इस संबंध में जानकारी है, जिस तहसील का मैं रहने वाला हूं यानी पडरौना तहसील देवरिया जिले की, उस तहसील में, मैं बहुत ही प्रामाणिक या विश्वनीय जानकारी तो नहीं दे सकता लेकिन एक अनुमान में बताता हूं और वह सरकारी अफसरों का ही अनुमान है कि इस वक्त वहां २५ हजार आदमी ऐसे हैं जिनकी रक़म अधूरी है। पार्ट पेमेंट की शक्ल में उन्होंने जमा किया।

श्री अध्यक्ष—आप विधेयक पर आ जाइये।

श्री गेंदा सिंह—अध्यक्ष महोदय, उनमें मुमकिन है कि यह प्राविडेंट फंड वाले भी हों।

श्री अध्यक्ष——मुमकिन से काम नहीं चलेगा। आपको मालूम हो तभी उसका आप जिक्र करें।

श्री गेंदा सिंह——मैं यह कह रहा हूं कि अगर प्राविडेंट फंड की शक्ल में रुपया ले लिया गया और उसके बाद अगर वह अदा भी नहीं किया गया तो उसको जो लाभ आगे मिलने वाले थे उनसे वह वंचित हो गया।

यह बिल अगर मंजूर किया गया तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम केवल इतना हो सकता है कि जो प्राविडेंट फंड सरकार ने इस तरह से इकट्ठा कर लिया गैर कानूनी तरीक़े पर तो सरकार को उसे वापिस करना पड़ेगा। अगर सरकार ने वापिस कर दिया उस पक्ष को तो मैं समझता हूं कि उससे बहुत लाभ होंगे। जिस वक्त कि प्राविडेंट फंड वापिस पाने का वक्त आयेगा उसके आश्रित और उस वक्त वह स्वयं काम करने के लायक़ नहीं होगा उससे वह फायदा उठा सकेगा और जो प्राविडेंट फंड के इकट्ठा करने का सिद्धांत है उसकी भी रक्षा हो सकेगी। मैं यह साफ कहता हूं कि प्राविडेंट फंड इकट्ठा करने वाला जो इससे फायदा उठाता है वही फायदा अगर इसको लेने के बाद भी वह उठा पाता तो मैं इस बिल का स्वागत करता लेकिन मैं जानता हूं कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि प्राविडेंट फंड का रुपया इस दसगुने की रक़म में न लिया जाय। मैं यह भी कहता हूं कि जिन लोगों का रुपया प्राविडेंट फंड का दस गुने में जमा किया गया उनके साथ कुछ न कुछ जबर्दस्ती जरूर हुई। सरकारी कर्मचारियों पर जोर भी डाला गया था पिछले ड्राइव में कि तुम्हें यह रुपया इकट्ठा करना है और जिस वक्त से यह ड्राइव बन्द कर दिया गया उस वक्त से माननीय वित्त मंत्री जी बतलायें कि कितना रुपया वसूल हो पाया है। जिस जमाने में ड्राइव जारी था उस वक्त जबर्दस्ती करते थे, जोर डालते थे और १०७ में मुक़दमा भी चलाते थे और उनको तंग भी करते थे, और तब ३१ करोड़ रुपया वसूल हुआ था।

अब मैं समझता हूं कि दसगुना वसूल करने का इरादा छोड़ दिया गया है तो जो दसगुने में प्राविडेंट फंड की रक़म जमा की गई है वह वापिस कर दी जाय। यह उनके लिये और सरकार के लिये बल्कि सबके लिये कल्याण-प्रद होगा।

श्री श्याम लाल (जिला गोंडा)——माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत हलका सा बिल जो आप के सामने पेश है उसकी खिलाफ़त यह कह कर की जाती है कि उससे उनको नुक़सान होगा जिनका प्राविडेंट फंड जमा है। यह फंड इसलिये जमा है कि उससे उनके बच्चों को फ़ायदा पहुंचे या उनकी मुसीबत रफ़ा हो जाय। मेरा ऐसा ख़याल है कि १० गुना जमा करने में उनकी जमीन पक्की हो जायगी और उनके बच्चों के काम आवेगी। इसलिये जरूरी था इस बिल का आना। मेरा ऐसा ख़याल है कि हमारे माननीय नारायण दत्त जी का हमेशा यह ख़याल रहता है कि चाहे जैसा भी बिल हो, यानी किसी न किसी दलील से वह उसकी मुख़ालिफ़त करना ही चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष——माननीय सदस्य से मैं कहूंगा कि वह किसी माननीय सदस्य का नाम लेकर उनकी नियत पर हमला न करें।

श्री श्याम लाल——मैं यह वापस लेता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राविडेंट फंड का वसूल यही है कि किसी का रुपया उसकी मुसीबत में काम आवे अगर वह न रहें तो उनके बाल बच्चों के काम आवे। सरकार उनके बच्चों को दे दे। जिनका फंड जमा है वे उसमें से सरकार से क़र्जा भी लेते हैं और धीरे धीरे उसे चुकाते रहते हैं। लिहाजा मैं इस बिल को तहेदिल से सपोर्ट करता हूं और मैं यह चाहता हूं कि अब इस पर अधिक बहस न की जाय।

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाब स्पीकर साहब, कल शाम हमारे सोशलिस्ट बुजुर्ग त्रिपाठी जी ने मुझे बहुत सी नसीहत दी। यह समझकर कि मेरे अन्दर और इस यू० पी० सरकार के अन्दर जो कमियां हैं वे जाती रहें और हमारा जो तर्जेअमल है वह सही हो जाय। मैं उनका उन नसीहतों के लिये बहुत ही मशकूर हूं और अफसोस के साथ यह अर्ज करता हूं कि मैं उनकी नसीहतों की निस्बत सोचकर इस नतीजे पर पहुंचा कि उनमें कोई अमल के क़ाबिल नहीं थी। उन्होंने अपनी तक़रीर में बहुत कुछ १० गुने की वसूली के बारे में कहा और जो कुछ कहा और जितना कहा उस सबका खुलासा यह है कि गवर्नमेंट ने उस जमाने में १०गुना जोरजुल्म और ज्यादती से वसूल किया और अगर किसी से भी नहीं तो कम से कम सरकारी मुलाजिमों से तो जरूर ही किया। यह उस तक़रीर का खुलासा है। जिसकी ताईद उन तक़रीरों से भी हुई जो उनके बाद हमारे सोशलिस्ट भाइयों की तरफ़ से हुई। यह ऐवान है जनता का भेजा हुआ और चुने हुये प्रतिनिधि यहां इकट्ठा होते हैं इस काम के वास्ते कि इस स्टेट और उस जनता के प्रतिनिधि बनकर अच्छी फ़ायदे की बातें सोचें और ऐसी जिम्मेदारी के साथ इस ऐवान में गुफ्तगू करें जिससे जिम्मेदारी की बिना पर सुनने वाली पब्लिक को यह एतमाद हो सके कि हमने जिन प्रतिनिधियों को भेजा है वे वाकई काबिले एतमाद थे और उन पर भरोसा किया जाना चाहिये। जिस जमाने में टैनेंन्सी प्रिविलेजेज ऐक्ट पर इस ऐवान में बहस हो रही थी और जिस वक्त जमींदारी एबालीशन ऐक्ट पर बहस हुई उस वक्त इस क़िस्म की बहुत सी बातें कही गयीं। जिसने जो कुछ कहा उसका रेकार्ड आज मौजूद है। वह इस बात का सबूत है कि जिसने जो कुछ कहा उसके पास उसका सबूत भी था या नहीं। उस वक्त सब कुछ कहा गया और सबूत भी दिये गये लेकिन वह क़िस्सा आज तक जिन्दा है और आज भी यही सवाल है। जैसा मेरे लायक़ दोस्त देवरिया ने फरमाया, क्या वह कोई नाम बता सकते हैं कि फलां सरकारी मुलाजिम से ज्यादती के साथ १०गुना जमा कराया गया। उनको इल्म नहीं है इसलिये उन्होंने यह फ़रमाया कि यह बाई इनफ़रेंस है। तो मैं नहीं समझता कि इस क़िस्म की बात कहना कहां तक जिम्मेदारी का अहसास है। मैं अपने दोस्तों के मुताल्लिक़ कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन यह सवाल इन्सान के दिल में खुदबखुद पैदा होता है कि यह कहां तक बजा है किसी के लिये कि इस ऐवान में ऐसी बात कहें कि जिसका उनको खुद यक़ीन भी न हो। नतीजा यह निकला कि एक इन्सान ऐसी बातें यहां कर सकता है कि जिसकी जिम्मेदारी लेने के लिये वह तैयार न हो। मगर, खैर मैं भी ग़लत काम कर रहा हूं कि उस मसले पर गुफ़्तगू कर रहा हूं जिसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन एक बात यह भी रह जाती है कि एक बात कही गयी और लोग यह अहसास न करें कि उनका हमसे जवाब भी नहीं दिया गया। तो मैं अर्ज करता हूं कि जो कुछ कहा गया वह बिलकुल ग़लत और बेबुनियाद है। उसका कोई सबूत नहीं है और न कोई साबित कर सकता है।

अभी मेरे एक दोस्त ने फ़रमाया कि प्राविडेंट फंड इसलिये होता है कि उसके वारिसों के काम आवे लेकिन उनको यह मालूम नहीं है कि क़ानून ने यह भी इजाजत दे रखी है कि अगर उसे किसी जरूरत के लिये रुपया चाहिये तो उसमें से ले सकता है। रही १० गुने की बात कि जैसा कि मेरे दोस्त देवरिया के माननीय सदस्य फ़रमा रहे थे कि यह काम ऐसा है कि इसमें यह फंड का रुपया नहीं जाना चाहिये क्योंकि इससे फ़ंड वाले को कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरी समझ में यह नहीं आया कि उनका यह ख़याल हमेशा से क्यों है। एक आदमी ने १० बरस का तो लगान अदा किया और अपनी तमाम उम्र के वास्ते और अपनी आइन्दा आने वाली नसलों के वास्ते आधा लगान कर लिया, तो क्या कुछ नफ़ा नहीं हुआ? क्या उसे कोई मानीटरी गेन उसके अन्दर नहीं हुआ? हां, वही कह सकते हैं कि जो हिसाब जानते हों। मैंने अगर्चे बी० ए० और एम० ए० तक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा था और उसके हिसाब से यह समझता हूं कि यह एक खुला हुआ गेम है, दस गुना से बहुत ज्यादा बचत हो जायगी आयन्दा के वास्ते। तो अगर सरकारी मुलाजिमों ने अपने रुपये को उस काम में लगा दिया है जिससे उनको कुछ फ़ायदा हो और उनको जमीन के पूरे हक़ मिल जायं तो क्या बुराई है?

मैं चैलेंज करता हूं कि कोई साबित करे इस बात को कि फ़लां सरकारी मुलाजिम को मजबूर करके रुपया जमा कराया गया । तो फिर अगर उन्होंने रुपया ले कर के जमा किया है तो क्या हर्ज है । उसमें कुछ खामी है जिसको पूरा किया जाता है कि उस रुपये को जमा करने के नतीजे में वे उन बेनिफ़िट्स से महरूम न हो जायं, उस ओब्लीगेशन को क्लियर कर देने के वास्ते कम्पलसरी डिपाजिट की डेफ़िनीशन,में, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था, यह जोड़ा जा रहा है जो इसमें है । तो मक़सद तो सिर्फ इतना ही है और बाकी बातें ग़ैर मुताल्लिक़ हैं । मैंने उसके मुताल्लिक़ अर्ज कर दिया और मैं समझता हूं कि इतनी सीधी और सादी बात है कि उसके बारे में ज्यादा गुफ़्तगू करने का मौक़ा नहीं है और इस विचार करने के मोशन को बहुत जल्द पास किया जाना चाहिये ।

श्री गेंदा सिंह—एक बात मैं सिर्फ़ यह जानना चाहता था कि यह रक़म किस वक्त जमा कराई गई और जिस वक्त यह आखिरी रक़म जमा कराई गई उसके बाद फिर कब जमा हुई ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—मेरे पास इसका ब्योरा नहीं है और मैंने कल ही कह दिया था कि इस बिल पर बहस के वास्ते मेरे नजदीक इसकी कोई जरूरत भी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्राविडेन्ट फंड (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५३, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २

२—प्राविडेंट फंड्स ऐक्ट, १९२५ की धारा २ के खंड (a) में शब्द "Fund" और "And" के बीच शब्द "Or for Acquisition of bhumidhari rights under the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 195, or privileges under the U.P. Agricultural Tenants (Acquisition of privileges) Act, 1949" रख दिये जायं ।

ऐक्ट १९, १९२५ की धारा २ का संशोधन ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

प्राविडेंट फंड (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५३

ऐक्ट १९, १९२५ ।

कुछ प्रयोजनों के निमित्त प्राविडेंट फंड्स ऐक्ट, १९२५ को, जहां तक वह राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू है, संशोधन करने का,

विधेयक

ऐक्ट १९, १९२५ ।

यह आवश्यक है कि कुछ प्रयोजनों के निमित्त प्राविडेंट फंड्स ऐक्ट, १९२५ का, जहां तक वह राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू है, संशोधन किया जाय; अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ।

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम प्राविडेंट फंड (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५३ कहलायेगा ;

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ;

(३) इसके विषय में यह समझा जायगा कि यह ११ अगस्त, १९४९ ई० से लागू हो गया है ;

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जनाब वाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्राविडेंट फंड्स उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक, १९५३, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्राविडेंट फंड्स उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक, १९५३ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश (गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३ पर जैसा कि प्रवर समिति द्वारा वह संशोधित किया गया है, खंड के अनुसार उस पर विचार जारी होगा।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)—पेश्तर इसके कि जनाब इस पर, विचार शुरू फरमायें मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि रूल में यह है कि तीन रोज़ तक सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट टेबिल पर होनी चाहिये। मगर वह एक तरीक़े से इसके लिये वेव कर दिया गया था ताकि गवर्नमेंट के काम में कोई रुकावट पैदा न हो। जनाब ने इरशाद फरमा दिया था कि ४ बजे तक आप लोग अपने अमेंडमेंट्स दें। मगर उसमें दिक़्क़त यह पेश आयी कि हिन्दी ज़रा कम जानते हैं। साढ़े तीन बजे के क़रीब एक अंग्रेजी की कापी मैंने खुद जाकर एक डिप्टी मिनिस्टर साहब के यहां से हासिल की जिसकी वजह से अमेंडमेंट देने में कुछ देर हो गई। क़रीब साढ़े ४ बजे मैं इस लायक़ हुआ। तो वे अमेंडमेंट्स आज इसमें नहीं आये हैं। इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि उन अमेंडमेंट्स पर भी इसके साथ ग़ौर कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—(माननीय उद्योग मंत्री से) इसमें आपको कोई आपत्ति है?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—मैं वे अमेंडमेंट्स देखूं तो। हम को तो उन अमेंडमेंट्स की कापी भी नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष—वह अमेंडमेंट्स देर से आने के कारण नहीं दिया गया क्योंकि मैंने कह दिया था कि चार बजे तक अमेंडमेंट्स लिये जायेंगे इसलिये मेरे दफ्तर में चार बजे के बाद जो अमेंडमेंट आये हैं वह छपे नहीं हैं। ऐसा अभी ख्वाजा साहब ने मुझे बताया है।

श्री हुकुम सिंह—यह तो पहले ही बतला दिया गया था कि अमेंडमेंट्स चार बजे तक लिये जायेंगे, इसलिये जिन्होंने उस इत्तिला के बावजूद भी अमेंडमेंट नहीं दिये उसके लिये उन्हीं को सफर करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—यह तो ठीक है लेकिन दिक्क़त यह है कि साढ़े तीन बजे उन्हें यह बिल की कापी मिली इस वजह से उनको देरी हो गयी। उनका कहना है कि इसके लिये ३ दिन का वक्त दिया जाना चाहिये था तो जब गवर्नमेंट के हित में ३ दिन के बजाय एक दिन का मौक़ा दिया गया तो उनका कहना है कि उनके संशोधन को भी इस समय मूव करने की इजाजत दे दी जाय। इसलिये आप उसको देख लें और अगर आप को कोई एतराज न हो तो उसकी इजाजत दे दी जाय।

---

*प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक १० अगस्त, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)---जनाब वाला, मैं आप से यह मालूम करना चाहता हूं कि यह एक ही मिसाल है या इस क़िस्म की और भी मिसालें हैं।

श्री अध्यक्ष---यह एक ही है।

श्री हुकुम सिंह---अगर यह एक ही है तो ठीक है, निबट लेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं---

"खंड २ के उपखंड (च) के आगे निम्नलिखित उपखंड (चच) बढ़ा दिया जाय---

"(चच) 'गन्ने के मूल्य' का तात्पर्य भारत सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित प्रति मन गन्ने के मूल्य को दिये गये गन्ने के प्रति मन परिमाण व संबंधित तौल से गुणा कर प्राप्त पूर्ण मूल्य से है।"

श्रीमन्, मुझे दुःख है कि सेलेक्ट कमेटी में मैं इस संशोधन को उपस्थित न कर सका जिसकी वजह से यह संशोधन रह गया, इसलिये आज मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी के सामने यह संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। इस विधेयक में गन्ने का मूल्य कई बार आया है। धारा १६ में लिखा हुआ है---

धारा १६ (१) 'फैक्टरी का अध्यासी कलेक्टर के संतोषानुसार गन्ने के मूल्य के भुगतान की उपयुक्त व्यवस्था करेगा।'

इसी प्रकार आगे भी आया है---

धारा १६ (३) जब उपधारा (२) के अधीन उत्तरदायी व्यक्ति गन्ना पाने के दिनांक से १५ दिन से अधिक अवधि तक मूल्य की अदायगी न करे.....

१६---(४) गन्ना कमिश्नर कलेक्टर को अपने हस्ताक्षर से एक प्रमाणपत्र भेज सकता है जिसमें अध्यासी द्वारा देय गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि, ब्याज के सहित यदि कोई देय हो,

इस प्रकार यह "गन्ने का मूल्य" कई जगह आया है और चूंकि इस विधेयक के अनुसार गन्ने का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार जो प्रान्तीय सरकार को था वह अब खत्म हो गया है और अब भारतीय सरकार एसेन्शियल सप्लाईज़ ऐक्ट के अधीन वह मूल्य निर्धारित करती है। इसलिये इस विधेयक में यह स्पष्ट होना चाहिये कि गन्ने का वह मूल्य क्या होगा। भारत सरकार जो गन्ने का मूल्य निर्धारित करेगी वह प्रतिमन होगा और यहां जो शब्द प्रयुक्त किये गये हैं वह प्रत्येक गन्ने के उत्पादक द्वारा दिये गये गन्ने से संबंध रखते हैं इसलिये मैंने अपने इस संशोधन के उत्पादक द्वारा दिये गये गन्ने से संबंध रखते हैं इसलिये मैंने अपने इस संशोधन द्वारा यह मांग की है कि "भारत सरकार द्वारा समय समय पर घोषित प्रतिमन गन्ने के मूल्य को दिये गये गन्ने के प्रतिमन परिमाण व संबंधित तौल से गुना कर प्राप्त पूर्ण मूल्य से है।" इससे इस विधेयक की परिभाषा स्पष्ट हो जायगी और उसकी ऐप्लीकेशन में आसानी होगी।

इस संबंध में मैं आपका ध्यान शुगर फैक्टरीज़ कन्ट्रोल रूल्स सन् १९३८ की तरफ दिलाना चाहता हूं। उसकी धारा १८ में यह लिखा हुआ है---

18 (*i*) An occupier or a manager or a purchasing agent or any person employed by him shall not purchase cane for a factory or pay for it at a price below the minimum price fixed under these rules in accordance with section 21 of the act.

(2) The minimum price payable for cane sall be fixed per standard maund of 82 2/7 lb. avoirdupois.

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

तो 'मिनिमम प्राइज', कम से कम मूल्य का एक ऐसा शब्द है जो कभी कभी झगड़े की सूरत हो जाती है । और इस विधेयक में गन्ने के मूल्य की परिभाषा स्पष्ट नहीं दी गयी है। तो इससे खाहमखाह बाद में जा कर कानूनी अड़चनें पैदा हो सकती हैं। पुराने शुगर फैक्टरीज कंट्रोल ऐक्ट के परिच्छेद ७ की धारायें २१, व २२ इसी प्राइस के संबंध में थीं लेकिन इस विधेयक में इन धाराओं को डिलीट कर दिया गया है। इन सब बातों देखते हुये मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी को इस महत्वपूर्ण संशोधन के मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी। चूंकि जब हम गन्ने का मूल्य दिलाने के लिये इतनी अधिक कोशिश कर रहे हैं, साढ़े सात परसेंट रेट आफ इंटरेस्ट रख रहे हैं, जुर्माना रख रहे हैं तो गन्ने का मूल्य क्या होगा, इस बात को स्पष्ट कर देना आवश्यक है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से और इस आदरणीय सदन से अर्चना करता हूं कि इस संशोधन को अवश्य स्वीकार कर लिया जाय।

श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफ़सोस है कि काफ़ी वक्त मिलने के बावजूद भी हमारे पर्वतीय मित्र ने ऐसा कोई संशोधन सेलेक्ट कमेटी के सामने नहीं उपस्थित किया था। जहां तक इस संशोधन का संबंध है, मैं समझता हूं कि इनकी कोई जरूरत नहीं है । हमारे मित्र को गन्ने के मूल्य के तय करने में दिक़्क़त महसूस हुई हो लेकिन सारे सूबे में आज तक मेरे पास किसी किसान ने इस बात की शिकायत नहीं की कि उसको अपने गन्ने की क़ीमत जोड़ने में किसी किस्म की दिक़्क़त या परेशानी हुई हो। अब जब कि ऐसी कोई दिक़्क़त किसी के सामने , एक अखबार किसान के सामने भी नहीं आयी तो एक नयी बात पैदा करना, एक उलझन पैदा करने की बात होगी। और इस तरह की उलझनों से किसी को कोई फायदा नहीं हो सकता है । यह तरमीम बेकार जरूरी है और बिना इस तरमीम के भी हमारा काम सन् १९३८ से और पहले से भी बराबर चल रहा है और इससे कोई दिक़्क़त या परेशानी कभी नहीं हुई । लिहाजा इस तरमीम को मंजूर करने में मैं मजबूर हूं। मैं आशा करता हूं कि मेरे दोस्त मुझे क्षमा करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े ध्यानपूर्वक माननीय मंत्री जी के उच्चारणहीन भाषण को सुना और उन्होंने जो स्पष्टोक्ति इस संबंध में की उसे सुन कर तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि आखिर उन्होंने मेरे संशोधन को बिलकुल ग़लत कैसे समझ लिया । उन्होंने उसे बिलकुल समझा ही नहीं। यह मैंने कभी नहीं कहा कि किसी को गन्ने के मूल्य को जोड़ने में दिक़्क़त हुई बल्कि मैंने तो यह कहा था कि जो शुगर फैक्टरीज कंट्रोल ऐक्ट है उसके अनुसार गन्ने का मूल्य की मन तय करने का अधिकार पहले प्रान्तीय सरकार के अधिकार में था । अब यह अधिकार प्रादेशिक सरकार को नहीं है बल्कि भारत सरकार को है कि वह प्रति मन गन्ने का मूल्य तय करे कि वह क्या हो। जब प्रादेशिक सरकार गन्ने का मूल्य नहीं तय कर रही है तो फिर गन्ने के मूल्य की परिभाषा को इस विधेयक में स्पष्ट कर देना जरूरी है । गन्ने के मूल्य का जो मतलब इस विधेयक में लगाया गया है तो वह कौन सा गन्ने का मूल्य होगा, इस बात को स्पष्ट करने के लिये कि गन्ने के मूल्य की फी मन दर वही मानी जायगी जिसको कि भारत सरकार तय करेगी, अगर इस बात को माननीय मंत्री जी इस विधेयक में स्पष्ट कर दें तो इसमें उनको क्या एतराज है ? मैंने यह कभी नहीं कहा कि कि सन् ३८ से किसी किसान को गन्ने के मूल्य के जोड़ने में दिक़्क़त हुई बल्कि मैंने तो केवल यही कहा था कि चूंकि गन्ने का मूल्य की मन अब भारत सरकार तय करती है इसलिये इसको परिभाषा में स्पष्ट कर दिया जाय। माननीय मंत्री जी हमारे ५ खून माफ हो कर चुके हैं, अगर यह छठां खून भी माफ कर दें तो इसमें उनको क्या एतराज है? मैं समझता हूं कि अब भी अगर वे इसको समझ लें और अगर उनको कोई अच्छी चीज खून के अतिरिक्त नहीं समझ में आती तो उसी को समझ कर इस आइटम को मान लें।

श्री हुकुमसिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र कहते हैं कि पांच से छठवां खूनभी माफ कर दिया जाय लेकिन फिर वह कहीं सातवें के तलबगार न हों। जो तरमीम मेरे दोस्त करना चाहते हैं उससे किसानों का नुकसान होगा। मान लीजिये डेढ़ रुपये मन केन्द्रीय सरकार ने गन्ने का दाम तय किया। किसी मिल में, किसी कोआपरेटिव सोसाइटी में जहां गन्ने की कमी है यह तय हो कि बाहर के एरिया का गन्ना है और जिस भाव से चाहे वह बेचे तो किसान दो रुपये मन भी बेच सकता है लेकिन अगर इस तरमीम को मान लिया जाय तो वह नहीं बेच सकेगा और उसको डेढ़ रुपये मन बेचना ही पड़ेगा और इससे हमारे किसानों का नुकसान होगा। आप भले ही उनके नुकसान की फिक्र न करें लेकिन यहां पर बैठकर हमें उनके और सबके हक का तहफुज करना है। इसलिये मैं मजबूर हूं और उनकी तरमीम को नहीं मान सकता।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (च) के आगे निम्नलिखित उपखंड (चच) बढ़ा दिया जाय?

> "(चच) "गन्ने के मूल्य" का तात्पर्य भारत सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित प्रतिमन गन्ने के मूल्य को दिये गये गन्ने के प्रतिमन परिमाण व संबंधित तौल से गुणा का प्राप्त पूर्ण मूल्य से है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री नारायणदत्त तिवारी---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन करना चाहता हूं कि खंड २ का उपखंड (थ) निकाल दिया जाय।

श्रीमन् इस विधेयक के संबंध में जब आम विवाद चल रहा था तो माननीय मंत्री ने कई बार इस बात को स्पष्ट किया कि चीनी के वितरण के संबंध में उसके उत्पादन के संबंध में, शुगर इंडस्ट्री के संबन्ध में तथा शुगर के संबंध में अब हमारा कोई अधिकार नहीं रहा, सब पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट का अधिकार हो गया। शुगर फैक्टरीज कंट्रोल ऐक्ट में इतने बड़े संशोधन करने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि चूंकि अब चीनी के नियंत्रण और वितरण के सम्बन्ध में हमारा अधिकार नहीं है और उसके दाम नियत करने पर भी हमारा अधिकार नहीं रहा इसीलिये जो शुगर कमीशन की व्यवस्था पुराने शुगर फैक्टरीज ऐक्ट में थी उसे भी हटाना पड़ा। पुराने ऐक्ट की धारा २ की उपधारा ३ में शुगर कमीशन की भी व्यवस्था थी और शुगर कंट्रोल बोर्ड की भी व्यवस्था थी। इसको पहले सरकार ने सारे प्रांत में धारा ४ के द्वारा स्पष्ट किया था :---

"There shall be established for the Uttar Pradesh a Sugar Control Board."

तो अब शुगर कंट्रोल बोर्ड नहीं रहा। शुगर कमीशन नहीं रहा और चीनी के नियंत्रण पर सरकार का अधिकार नहीं है, उसके दामों के नियंत्रण पर सरकार का अधिकार नहीं है तो फिर इस बात की क्या आवश्यकता है कि जब उनको अधिकार नहीं है तो फिर शुगर कमीशन की परिभाषा रखकर इस धारा का बोझ क्यों बढ़ाया जावे? उसका क्या कार्य होगा सिवाय एक बड़ा भारी प्रान्त में दफ्तर रहे खामखा के लिये स्टाफ रहे और तनख्वाहें मिलती रहें और कर्त्तव्य उसके स्पष्ट न हों। मैं समझता हूं कि यह शुगर कमीशन की परिभाषा बिलकुल गैर जरूरी है। मैंने इस बात की देखने की कोशिश की कि आखिर शुगर कमिश्नर का क्या काम होता है फैक्टरीज और आजतक शुगर कमिश्नर काम क्या करता है तो उसके लिये मैं आपका ध्यान शुगर ऐक्ट के नियम २ बी की तरफ दिलाना चाहता हूं ---

The Sugar Commissioner may subject to the control of the state Government by order require the occupier or manager of a factory to submit to the Sugar commissioner or to any other authority specified in such order any information or any return relating to the production, supply and crushing of cane.

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

इसका अर्थ यह है कि शुगर कमिश्नर का काम गन्ने की प्राडेक्शन, सप्लाई और क्रशिंग से जानकारी रखना है। जितनी शुगर बनती है उसके बारे में जानकारी रखना है, गोदाम में कितनी चीनी गयी इसके बारे में जानकारी रखना है और जिस कीमत पर चीनी बेची जाती है इस पर जानकारी रखना है।

स्वामी नाथन् की कमेटी की एक रिपोर्ट है। उसमें कहा गया है कि शुगर कमिश्नर का काम केवल यह लाइसेंसिंग आफ फैक्टरी या एडीशन या आल्टरेशन करने के लिये जो शुगर फैक्टरी कंट्रोल ऐक्ट अभी तक चलता रहा है, उसके मुताबिक फैक्टरी से संबंध रखता है। तो उस तरह से शुगर कमिश्नर का अर्थ इस विधेयक में कहीं पर नहीं आया है तो फिर समझ में नहीं आता कि किस प्रकार शुगर कमिश्नर रखने की आवश्यकता रह गयी है। इसलिये मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस बात पर गौर करेंगे कि जब प्रांत में बचत के लिये बात हो रही है, तमाम जगह इकानामी करने के लिये हर डिपार्टमेंट में चपरासी तक को हटाया जा रहा है और दूसरे किफायत के काम किये जा रहे हैं तो शुगर कमिश्नर का स्टाफ रखने से क्या लाभ होगा? उसको भी आप खत्म कर दें और उसकी अब कोई इसमें आवश्यकता नहीं रह गयी है।

श्री हुकुम सिंह---सेलेक्ट कमेटी में भी इसके बारे में बातचीत हुई थी। हमारे मित्र को यह गलतफहमी है कि शुगर कमिश्नर की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो नया सेंट्रल इंड - स्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन ऐक्ट पास हुआ है जिसकी रू से केन्द्रीय सरकार का अधिकार ज्यादातर चीजों पर हो गया है और राज्य सरकार के हाथ से वह निकल गयी हैं, उस कानून के अन्तर्गत रूल बनाकर बहुत सी पावर केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को डेलिगेट कर सकती है। इसलिये इस बात का ख्याल होता है कि अगर कोई ऐसी शुगर फैक्टरी के संबंध में पावर डेलिगेट हुई और शुगर कमिश्नर का अधिकार नहीं रहा तो किसके जरिये से वह काम कराया जायगा? क्या जिस वक्त पावर डेलिगेट होगी उस समय बिल लाया जायगा? यह बिल इस वक्त लाया गया है। इसमें वह अधिकार हम रखना चाहते हैं लेकिन उसको उस वक्त मुकर्रर किया जायगा जब कि उसकी आवश्यकता होगी। इसी दिक्कत को दूर करने के लिये यह चीज रखी गयी है। इस वजह से मजबूरी है कि इस तरमीम को माना नहीं जा सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जो दलील हमारे मिनिस्टर साहब ने दी है वह बिल-कुल अनावश्यक है। वह इसलिये कि शुगर कमिश्नर के अधिकार का संबंध इस विधेयक से बिलकुल नहीं है। शुगर कंट्रोल के बारे में और शुगर के वितरण के बारे में इस बिल में कोई नियम नहीं है। मैं आज्ञा से माननीय मंत्री जी का ध्यान इसकी तरफ दिला ना चाहता हूं कि विधेयक के उद्देश्य और कारणों में और प्रियम्बिल में यह लिखा हुआ है कि "चीनी की फैक्टरियों में प्रयोग के लिये अपेक्षित गन्ने की पूर्ति और खरीद के विनियमन का विधेयक है" मैं जानना चाहता हूं कि गन्ने की पूर्ति का शुगर कमिश्नर से क्या संबंध है। आगे उसमें कहा गया है कि "चीनी की फैक्टरियों में प्रयोग के लिये अपेक्षित गन्ने की पूर्ति और खरीद एवं अन्य सम्बद्ध विषयों का विनियमन करना आवश्यक है इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है"।

इसके उद्देश्य और कारणों में लिखा हुआ है कि ८ मई, १९५२ से, इंडस्ट्रीज (डेवलपमेंट ऐन्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, १९५१ के प्रचारित होने से, चीनी उद्योग विनियमन एक मात्र केंद्रीय विषय हो गया है। राज्य सरकार का कार्य अब केवल यह रह गया है कि चीनी की फैक्टरियों को गन्ने की पूर्ति का प्रबन्ध करे।

फैक्टरियों में गन्ने के समुचित वितरण, व्यवस्थित वैज्ञानिक रीति से गन्ने का विकास, उद्योग तथा गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा की व्यवस्था की दृष्टि से तथा इस नये अधि-नियम को स्थायी रूप देने के विचार से, यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गन्ने के विकास, समुचित वितरण तथा गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा आदि से गन्ना कमिश्नर का संबंध नहीं है तो उसका कर्तव्य क्या होगा? यह हमें नहीं बताया गया है और चीनी जो कि राशनिंग की वस्तु है उसके कंट्रोल और वितरण का संबंध सिविल सप्लाई विभाग से है और एसेन्शियल सप्लाईज ऐक्ट की वह चीज है और अगर चीनी के बटवारे या कंट्रोल की आवश्यकता होगी तो वह जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट आफ इंडिया के सप्लाई विभाग, फूड कमिश्नर या सिविल सप्लाई कमिश्नर या दूसरे सप्लाई अधिकारियों की ही होगी और अगर क़ीमत, कंट्रोल या वितरण का स्टाक्स के विनियमन के लिये शुगर कमिश्नर की जरूरत है तो अब तो कारखानों से भी हमारा बिल का संबंध नहीं रहा। मैं समझता हूं कि अब माननीय मंत्री जी अपनी दलील की अतर्कता और निरर्थकता को स्वीकार करेंगे और इस बेकार के पद को इस समय से समाप्त कर देंगे।

श्री हुकुम सिंह---अब मुझे कोई विशेष बात नहीं कहनी है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ का उपखंड (थ) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

गन्ना बोर्ड ३---(१) राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के लिये गन्ना बोर्ड की स्थापना करेगी।

(२) बोर्ड में निम्नलिखित होंगे :

(क) उद्योग मंत्री तथा कृषि मंत्री,

(ख) राज्य सरकार १५ सदस्य नियुक्त करेगी जिनमें से ५ चीनी फैक्टरियों के प्रतिनिधि होंगे तथा ५ गन्ना उत्पादकों तथा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों के प्रतिनिधि होंगे और बाक़ी ऐसे व्यक्ति होंगे जो गन्ने के विषय में विशेषज्ञ (पर्जेसिंग टेक्निकल नालेज) हों अथवा गन्ना या उससे निर्मित वस्तुओं से रुचि रखते हों ;

(ग) गन्ना कमिश्नर या उनका प्रतिनिधि जो पदेन सदस्य होगा;

(घ) उद्योग विभाग में राज्य सरकार का सचिव अथवा अन्य ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सरकार नामांकित करे; यह बोर्ड का पदेन सचिव भी होगा।

(२-क) उद्योग मंत्री बोर्ड के पदेन सभापति (चेयरमैन) होंगे और उनकी अनुपस्थिति में कृषि मंत्री, और यदि वह भी अनुपस्थित हों तो उद्योग मंत्री द्वारा नामांकित उनका प्रतिनिधि बोर्ड की बैठक का प्रधान होगा।

(३) बोर्ड का कार्यकाल दो वर्ष होगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार यदि उसे संतोष होगा कि ऐसा करना आवश्यक हो तो, बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही इसे तोड़ सकती है।

(४) बोर्ड को तोड़ देने पर निम्नलिखित परिणाम होंगे :---

(क) उपधारा (२) के खंड (ख) अभिदिष्ट सभी सदस्य आज्ञा में निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक पर अपने अपने पद खाली कर देंगे किन्तु इससे उनकी सदस्य के रूप में नियुक्ति अथवा नामांकन के निमित्त पात्रता पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़ेगा,

(ख) उपधारा (२) के उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकार बोर्ड को पुनःसंगठित करेगी।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—अभी मैंने आनरेबिल मिनिस्टर साहब से अर्ज कर दी है । यह महज एक लफ्जी चीज है और लैंगवेज जरा गलत हो जाती है.....

श्री अध्यक्ष—आप पहले संशोधन पढ़ दें ।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—मैंने मिनिस्टर साहब को बता दिया है और मैं सिर्फ इसका जेन्स अर्ज किये देता हूं । इस में से "शैल बी" के अल्फाज.....

श्री अध्यक्ष—अब यह आप के और मिनिस्टर साहब के बीच की चीज न होगी । इसको तो सदन पास करेगा, माननीय मंत्री जी पास नहीं करेंगे ।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—मुझे अभी इसकी कापी मिली है थोड़ी देर बाद लेलें तो अच्छा है या और कोई साहब इसको पढ़ दें .....

श्री अध्यक्ष—आपके संशोधन को मैं ही सुनाये देता हूं । वह इस प्रकार है कि "खंड ३ के उपखंड (२) के भाग (ख) के आरम्भ में आये हुये शब्द "राज्य सरकार १५ सदस्य नियुक्त करेगी" निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा १५ नियुक्त सदस्य" रखे जायं ।"

श्री हुकुम सिंह—मुझे ख्वाजा साहब की बात मानने में कोई जयादा दिक्कत नहीं मालूम होती है बशर्ते कि आखिर में जो इबारत ब्रेकेट्स में है वह निकाल दी जाय । यह जो आखिर में है कि "उनकी नियुक्ति सरकार करेगी" यह रिडनडेंट हो जाते हैं ।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—जी हां, वह निकाल दिये जायं मुझे कोई एतराज नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—यह तो ब्रेकेट्स में हैं इसलिये निकले ही हुये हैं ।

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के भाग (ख) के आरम्भ में आये हुये शब्द "राज्य सरकार १५ सदस्य नियुक्त करेगी" निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा १५ नियुक्त सदस्य" रखे जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं —

> खंड ३ के उपखंड (२) के भाग (ख) की पंक्ति १ के अंक "५" के बजाय अंक "३" रख दिया जाय और पंक्ति (२) के अंक "५" के स्थान पर अंक "७" रख दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन का मतलब यह है कि धारा २ में (ख) इस प्रकार है —

> "राज्य सरकार १५ सदस्य नियुक्ति करेगी जिनमें से ५ चीनी फैक्टरियों के प्रतिनिधि होंगे तथा ५ गन्ना उत्पादकों तथा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों के प्रतिनिधि होंगे और बाक़ी ऐसे व्यक्ति होंगे जो गन्ने के विषय में विशेषज्ञ (एजेंसिंग टेकिनकल नालेज) हों अथवा गन्ना या उससे निर्मित वस्तुओं से रुचि रखते हों" ।

तो इसमें जो १५ सदस्य सरकार नियुक्त करेगी उसमें तीन तो टेकिनकल एक्सपर्ट्स होंगे जिनको गन्ने या उससे निर्मित वस्तुओं से रुचि हो । लेकिन पांच चीनी फैक्टरियों के सदस्य होंगे और पांच होंगे गन्ना उत्पादकों तथा उनकी सहकारी समितियों के प्रतिनिधि ।

मेरे संशोधन का तात्पर्य यह है कि केवल तीन सदस्य मिल के प्रतिनिधि हों और सात सदस्य ऐसे हों जो कि गन्ना उत्पादकों तथा उनकी सहकारी समितियों के प्रतिनिधि हों। अध्यक्ष महोदय इस बोर्ड में कुल १९ व्यक्ति हैं। एक तो उद्योग मंत्री, दूसरे कृषि मंत्री और पंद्रह वह सदस्य जिनका विवरण मैं अभी दे चुका हूं। इसके अलावा (ग) और (घ) देखने से मालूम होता है कि गन्ना कमिश्नर या उनका प्रतिनिधि जो पदेन सदस्य होगा; और उद्योग विभाग में राज्य सरकार का सचिव अथवा अन्य ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सरकार नामांकित करें, यह बोर्ड का पदेन सचिव भी होगा।

तो इस प्रकार १९ सदस्यों में से केवल ५ सदस्य सरकार ने गन्ना उत्पादकों और उनकी सहकारी समितियों के रखे हैं। १९ आदमियों के बोर्ड में मुनासिब तो यह था कि कम से कम १० सदस्य गन्ना उत्पादकों और उनकी सहकारी समितियों के होते। लेकिन पांच ही हैं और उनकी जगह पर मैं सात रखना चाहता हूं। एक तो उसूली तौर पर मुझे बोर्ड के संगठन पर ही एतराज है जिसमें हर उपखंड में इस बात का प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि सरकार नियुक्त करेगी। जो गन्ना उत्पादक और उनकी सहकारी समितियों के लोग हैं उनको भी छूट नहीं है कि गन्ना उत्पादक अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनकर भेज दें। जैसा कि बिल की धारा से मालूम होता है कोई नामावली भेज दी जायगी जिसमें से राज्य सरकार कुछ आदमियों को छांटेगी। तो एक तरफ तो हमारे सूबे में कुल १६० मिल हैं और दूसरी तरफ लाखों की संख्या में गन्ना उत्पादक हैं और उनकी सहकारी समितियों के लोग हैं। उनको बराबर प्रतिनिधित्व देना और उनके लिये बराबर संख्या में नामजदगी करना मैं समझता हूं कि प्रान्त के गन्ना उत्पादकों के हित में नहीं है। मेरा एतराज तो इसमें सरकारी कर्मचारियों के भर जाने पर भी है लेकिन चूंकि सरकार की जिम्मेदारी है इसलिये थोड़ी देर के लिये उसे बर्दाश्त किया जा सकता है लेकिन एतराज इस मानी में और बढ़ जाता है कि पिछला इतिहास बतलाता है कि जब केन ग्रोअर्स और मिल मालिकों में जब कभी झगड़ा होता है तो बहाना बनाने के लिये सरकार की तरफ से कुछ न कुछ कह ही दिया जाता है। लेकिन जो लोग परेशानी उठाते हैं वह हमेशा बेचारे गन्ना उत्पादक हैं।

तो ऐसी सूरत में इस पृष्ठभूमि में मैं आशा करूंगा कि माननीय उद्योग मंत्री कम से कम गन्ना उत्पादकों और उनकी समितियों का खयाल रखते हुये दस आदमियों में सात आदमी गन्ना उत्पादकों के रख देंगे और मेरे इस संशोधन के मानने में उन्हें कोई एतराज नहीं होगा।

श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र ने जो तरमीम पेश की है उसके जरिये से वह चाहते हैं कि बोर्ड में ३ चीनी फैक्टरियों के नुमाइन्दे हों, ३ विधान सभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, ३ गन्ना उत्पादकों के सदस्य होंगे, ४ गन्ना समितियों के मेम्बर हों और दो ऐसे व्यक्ति होंगे ...।

श्री अध्यक्ष—यह कहां से? श्री रामनारायण जी का संशोधन तो नम्बर ४ पर है।

श्री हुकुम सिंह—जी हां, आई एम सारी। "खंड ३ के उपखंड (२) के भाग (ख) की पंक्ति १ में अंक '५' के बजाय '३' और '५' के स्थान पर '७' वह चाहते हैं।

मैं इस संबंध में केवल इतना कहना चाहता हूं कि सिलेक्ट कमेटी ने भी विचार करके जो इसको मौजूदा शकल दी है उसमें हर नुक्ते ख्याल से सोचा है और सोच करके यह रखा है कि १५ मेम्बरों में ५ चीनी फैक्टरियों के प्रतिनिधि होंगे, ५ गन्ना उत्पादकों के और सहकारी समितियों के होंगे और बाकी ५ ऐसे होंगे जिनको गन्ने के संबंध में टेक्निकल नालिज हो अथवा गन्ना या उससे निर्मित वस्तुओं में रुचि रखते हों। तो ५ जो आखिर में रखे गये हैं उनमें सदस्य भी आ सकते हैं अगर उनको रुचि होगी। अगर सदस्य उसके लिये यहां निर्वाचित हुए हों और सोसाइटी से उसका निर्वाचन हो, फैक्टरीज से निर्वाचन हो तो इसमें बड़ी दिक्कतें होने की संभावना है। इन सब बातों को देख करके सिलेक्ट कमेटी ने यह तय किया कि पांच-पांच सबके हो जायं और इसमें कोशिश इस बात की की जाय कि हर तबके के लोग इसमें आ जायं।

[श्री हुकुम सिंह]

इसके अलावा इसमें महज ऐडवाइस देने की बात है बोर्ड को, चाहे एक हो, ५ हों या १० हों। जब लोग वहां पहुंचेंगे तो बोर्ड सरकार को इस गन्ने की सप्लाई के संबंध में और बातें जो नीचे उस में दी है उनके संबंध में मशविरा देगा। लिहाजा जिस तरीके से हमारे मित्र चाहते हैं कि उसमें कमी बेशी की जाय कम्पेंसेशन में वह सिलेक्ट कमेटी के फैसले के बाद स्वीकार करने में मुझे कुछ दिक्कत मालूम होती है। इस वजह से मैं उसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय,जो संशोधन माननीय रामनारायण जी ने सदन के सामने रखा है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में मालूम पड़ता है, कि अमेंडमेंट जोकि माननीय ब्रजबासीलाल जी के नाम से था उस से और रामनारायण जी के संशोधन में फिर कन्फ्यूजन किया उन्होंने फिर यह कहा कि इस सदन के सदस्य यहां से छंटें या कहीं से छंटें। माननीय रामनारायण जी का अमेंडमेंट यह नहीं था कि सदन से कोई सदस्य छंटे। उनका कहना यह है कि ५ के बजाय शुगर इंडस्ट्रीज के ३ सदस्य कर दिये जायं और जो गन्ना उत्पादक हैं उनके प्रतिनिधि ५ के बजाय ७ रखे जायं। माननीय मंत्री जी खुद यह कहते हैं कि यह बोर्ड तो एडवाइजरी बोर्ड है, इसमें जो आयेगा उसकी राय ली जायगी और अगर एक ऐडवाइजरी बोर्ड है और राय का सवाल है तो यह मेरी समझ में नहीं आया कि कौन सी ऐसी वजह थी कि सिलेक्ट कमेटी में यह बात हुई और नामंजूर हुई ? खैर, वहां क्या हुआ उसके बारे में तो जाना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन क्योंकि यह संशोधन इस सदन के सामने है और हमारे इस सदन के ज्यादातर माननीय सदस्य किसानों में ही काम करने वाले हैं। और जो गन्ना उत्पादक हैं उनके इंटरेस्ट को वह बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, जान सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि पांच के बजाय गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधि ७ कर दिये जायं और ऐडवाइजरी का ही सवाल है, मिल्स तो बहुत थोड़ी होंगी लेकिन गन्ना उत्पादक हमारे इस प्रांत के अन्दर लाखों की तादाद में हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना अवश्य करूंगा कि किस कारण से वह सेलेक्ट कमेटी में नहीं हुआ उसको तो हम नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी अगर वह गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधियों को ५ के बजाय ७ कर दें और सरकार को जिसमें कोई हर्जा नहीं है, तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसमें कोई विरोध न होना चाहिये और वह माननीय रामनारायण जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामनारायण जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो संशोधन हमारे दोस्त ने सदन के सामने उपस्थित किया है, वह बिलकुल साफ है और शायद माननीय उद्योग मंत्री जी उसको समझने में भूल सी कर रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर एक श्री ब्रजबासी लाल जी का संशोधन है अभी आपने कहा कि अगर्चे तमाम सोसाइटियों से चुने जायेंगे या इस सदन से चुने जायेंगे, तो बहुत दिक्कत पैदा होगी। मैं साफ बताऊं कि उस संशोधन से तो चुने जाने का कोई संबंध ही नहीं है। उन्होंने तो जो ५ की संख्या मिल मालिकों को दी गई है उसकी संख्या कम करके तीन कर देने को कहा गया है और वह इसलिये कहा गया है क्योंकि हमारे प्रांत में ईख बोने वाले किसानों की संख्या ज्यादा है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग किस्म के मसले हैं। अगर्चे ज्यादा किसानों के प्रतिनिधि, ईख बोने वालों के प्रतिनिधि या उनकी कोआपरेटिव के प्रतिनिधि आ जायंगे तो सहूलियत होगी। मिल मालिकों के लिये तो हर जगह एक ही किस्म का मसला है, एक ही उनका ख्याल है। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन पर फिर गम्भीरतापूर्वक विचार करके संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, मेरे इस संशोधन के वक्तव्य के जवाब में माननीय उद्योग मंत्री जी ने जो कुछ कहा उससे मुझे कतई संतोष नहीं हुआ। मैंने माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया था और मैं आपके जरिये से अध्यक्ष महोदय यह चाहूंगा कि यह प्रीपरेशन जो माननीय उद्योग मंत्री जी भवन में कर रहे हैं, अगर यह घर पर करते तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठिये। माननीय उद्योग मंत्री से मैं कहूंगा कि जिस वक्त माननीय सदस्य अपना संशोधन पेश करें तो कम से कम उनकी बहस का मतलब सुनने की कृपा करें क्योंकि बात यह है कि उत्तर देने में कभी कभी गलती हो जाती है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे और साथियों ने बतलाया कि मेरे इस संशोधन का मतलब बिलकुल साफ था। यह हमारी सरकार के लिये एक शोभा की बात नहीं होती कि एक तरफ तो ६६ चीनी मिलों के प्रतिनिधि और दूसरी तरफ लाखों की संख्या किसानों की, उनके प्रतिनिधि, इन दोनों की संख्या इस बोर्ड में बराबर कर दी जाय। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में जब जब भी कोई प्रश्न मिलमालिकों और गन्ना उत्पादकों के संबंध का आता है, हमारी सरकार और हमारे उद्योग मंत्री हमेशा यह असमर्थता प्रगट करते रहते हैं कि हमने कलेक्टर को लिखा और केन कमिश्नर को लिखा,ज्यादा हम और कर ही क्या सकते हैं ? मिल मालिक अगर पैसा न दें और गन्ना ले ले और उसके बाद कोई दिक्कत पड़ जाय तो हमारी सरकार हमेशा असमर्थता दिखाती है। मैं मानता हूं कि इस बोर्ड की कैपेसिटी सिर्फ ऐडवाइजरी है वह सिर्फ सलाह देने के योग्य है, लेकिन मैं नहीं समझता कि जैसा कि बताया गया कि सिर्फ चीनी और गन्ने का दाम देना, ठीक तौल या इस तरह से कहां कहां कोटे लिये जायंगे दो चार काम तो सिर्फ गन्ना मिलों के प्रतिनिधियों के संबंध के हैं और जहां तक पूरे ऐक्ट को इस्तेमाल करने का सवाल है और विभिन्न धाराओं के उपयोग में लाने का सवाल है, उसमें गन्ना के उत्पादकों और उनकी सहकारी समितियों का ज्यादा संबंध है। अगर उनके कुछ प्रतिनिधि ज्यादा हो गये तो यह मुनासिब ही है। वैसे तो यों ही सरकारी लोगों की भरमार है। अगर कहीं सरकार ने अपने को असमर्थ महसूस किया या सरकार ने यह चाहा कि कुछ खास कारणों से चीनी मिलों की ही तरफदारी की जाय तो एक तो १९ में उनकी तादाद वैसे ही कम है और अगर उनके प्रतिनिधि ७ भी नहीं रखे गये तो यह बिलकुल मुनासिब नहीं है। अगर माननीय उद्योग मंत्री जी ने कोई खास दलील बतलाई होती तो मैं इस पर विचार करने के लिये तैयार होता, लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि अगर चीनी फैक्टरियों के प्रतिनिधि ३ कर दिये जायं और गन्ना उत्पादक किसानों के प्रतिनिधि ७ कर दिये जायं तो इसमें माननीय उद्योग मंत्री जी को क्या दिक्कत है।

श्री हुकुम सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार समझती है और ठीक तौर से समझती है कि वह केन ग्रोवर्स फैक्टरीज और सब के हुकूक का तहफ्फुज बराबर और बिला किसी पक्षपात के करेगी। बोर्ड जो होगा वह ऐडवाइजरी बोर्ड होगा जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है। वहां किन के प्रतिनिधि ज्यादा हों, किन के कम हों, किसी वोटिंग से सरकार मुतासिर नहीं होगी बल्कि सरकार इस बात से मुतासिर होगी कि कौन सी बात उचित है और कौन सी बात अनुचित है। एक ही आदमी भले ही सलाह दे, अगर वह माकूल सलाह देगा, तो सरकार उसके मानने के लिये हमेशा तैयार रहेगी। ऐसी सूरत में किस को कितना रेप्रिजेंटेशन दिया जाय, फैक्टरीज को कितना दिया जाय, केन ग्रोवर्स को कितना दिया जाय,उनकी सोसाइटीज को कितना दिया जाय इससे कोई विशेष लाभ नहीं होता बल्कि इससे इसकी संभावना है कि आपस में उनकी वोटिंग वगैरा में बदमजगी पैदा हो और जिस काम के सुचारु रूप से चलने की आशा की जाती है उसमें दिक्कतें पैदा हों। इसलिये मैं इस तरमीम को मंजूर नहीं करता।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के भाग (ख) की पंक्ति १ के अंक "५" के बजाय अंक "३' रख दिया जाय और पंक्ति २ के अंक "५" के स्थान पर अंक"७" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ)

पक्ष में---१७

विपक्ष में---१७९

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं

खंड ३ के उपखंड (३) की पंक्ति १ में शब्द "किन्तु" से लेकर आगे के शब्द हटा दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, खंड ३ जो है उसमें से मैं यह निकाल देना चाहता हूं। खंड ३ इस रूप में है :

"बोर्ड का कार्यकाल दो वर्ष होगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार यदि उसे संतोष होगा कि ऐसा करना आवश्यक हो तो, बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही उसे तोड़ सकती है"

अध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा कहने की इसलिये अब जरूरत नहीं मालूम होती क्योंकि बोर्ड के सदस्य किस प्रकार लिये जायेंगे इस पर अभी कुछ दलील और बहस हुई है और माननीय रामनारायण त्रिपाठी के संशोधन का और उनकी दलीलों का उत्तर देते हुये जो कुछ माननीय उद्योग मंत्री जी ने कहा है उससे मैं समझता कि अब वे इस राय के हो गये होंगे कि अब गन्ना बोर्ड को तोड़ने का अधिकार उन्हें नहीं रहना चाहिये क्योंकि उन्होंने दो तीन बातें उस सिलसिले में कही हैं। एक बात तो उन्होंने यह कही है कि बोर्ड को कोई अधिकार ऐसा नहीं होगा कि जो सरकार को कोई कार्य करने से रोक सके। उसकी हैसियत बिलकुल सलाह देने की होगी।

श्री हुकुम सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कभी नहीं कहा है कि बोर्ड को कोई अधिकार नहीं होगा कि गवर्नमेंट को कोई काम करने से रोक सके। मैंने यह कहा है कि बोर्ड का काम यह होगा कि सरकार को सलाह देता रहेगा।

श्री गेंदा सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं भी यही कह रहा था कि माननीय उद्योग मंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान में यही कहा है कि इस बोर्ड की हैसियत बिलकुल एक सलाहकारिणी समिति की होगी और सलाह जो होगी उसे सरकार मानने या न मानने को स्वतंत्र होगी। इससे ज्यादा अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसे वह फरमा देंगे अपने भाषण में और मुझे खुशी होगी कि इस बोर्ड को इस संशोधन के अवसर पर वह कुछ और अधिकार देना चाहते हैं उसे सुनने में। लेकिन मैं जहां तक समझ पाया हूं उससे यही मालूम होता है कि उसकी एक सलाहकारिणी समिति की ही हैसियत होगी। एक बात और उन्होंने कही कि इसमें जिस ढंग से हम नामांकित करना चाहते हैं अगर वैसे किये गये तो पार्टी और और बातों की वजह से उसमें झंझट होने का अंदेशा है। इसलिये उस झंझट को कम करने के लिये बराबर बराबर सदस्य उस बोर्ड में रख दिये गये हैं और चाहे वे केन ग्रोवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी के प्रतिनिधि की शक्ल में हों या किसी और के हों, उनके पांच रहेंगे और पांच कारखानों के मालिकों के प्रतिनिधि रहेंगे और बाकी सदस्य जिनको सरकार उचित समझेगी जो इस गन्ने के व्यवसाय से दिलचस्पी रखने वाले होंगे या टेक्निकल नालेज रखने वाले उनको नामांकित कर देगी।

श्री हुकुम सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक वैधानिक प्रश्न श्रीमान् के सामने रखना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर कोई फैसला सेलेक्ट कमेटी में हो और सर्वसम्मति से हो तो सेलेक्ट कमेटी के सदस्य को उसके विरुद्ध कोई प्रस्ताव पेश करने का यहां अधिकार है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---मैं यही तो आपसे कहना चाहता था और कल भी पूछा था कि आप या तो कोई प्रथा के संबंध में जिक्र करें या कोई नियम के संबंध में जिक्र करें जिसके अनुसार आप यह आपत्ति उठा रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह---अगर वह नियम मालूम होता तो मैं सरकार की रूलिंग नहीं चाहता। मैंने तलाश की उसकी लेकिन मुझे कोई मिला नहीं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर कोई प्रश्न सेलेक्ट कमेटी के सामने सर्वसम्मति से पास हो जाय तो उसके विपरीत कोई मेम्बर

यहां आ कर कोई प्रस्ताव पेश कर सकता है या उसके खिलाफ बात कह सकता है ? इस संबंध में श्रीमान् का निर्णय मैं चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मे इस पर कल रूलिंग दूंगा क्योंकि अभी मेरे भी सामने कोई चीज नहीं है। इस वक्त इसपर अंतिम निर्णय नहीं होगा। मामूली तौर से सेलेक्ट कमेटी की सब बातें गुप्त रूप की होती है इसलिये यह भी मालूम नहीं हो सकता कि किसने इस पर वोट दिया या नहीं दिया इसलिये यह भी आक्षेप नहीं किया जा सकता कि चूंकि आपने सेलेक्ट कमेटी में यह कहा था इसलिये यहां आप दूसरी बात नहीं कह सकते। जब ऐसा आक्षेप नहीं हो सकता तो मुझे इस वक्त इस संशोधन को पेश करने की इजाजत देनी उचित है।

श्री हुकुम सिंह—जो नोट आफ डीसेंट उन्होंने दिया है उसमें भी इसका जिक्र नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष—फिलहाल तो मैं इसके लिये इजाजत दे रहा हूं और निर्णय कल विचार करने के बाद दूंगा। मैं समझता था कि आपने अपनी आपत्ति को छोड़ दिया इसलिये मैंने उस पर विचार नहीं किया। अब कल विचार करके उस पर अपना निर्णय दूंगा।

श्री गेंदा सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उद्योग मंत्री जी की जानकारी के लिये, और आपका समय व्यर्थ में नष्ट न हो इसलिये मैंने जो असहमति की टिप्पणी लिखी है उसकी दो एक लाइन पढ़ देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं उसे खुद पढ़ लूंगा। आपको उसके जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है आप संशोधन पर विचार करें।

श्री गेंदा सिंह—मैं केवल एक बात कहने की इजाजत चाहूंगा मैं स्वयं इस बात को समझता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में जिन बातों का जिक्र हो जाता है उनका जिक्र यहां न किया जाय और मैं उदाहरण स्वरूप आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि अभी जब राम नारायण जी के संशोधन पर वोटिंग का समय आया, तो यह बात सही है कि उसमें विचार विनिमय हुआ और मैंने बहुत खुशी से उस बात का जिक्र नहीं किया लेकिन इसलिये कि मैंने डिसेंटिंग नोट में उस बात को नहीं लिखा था इसलिये मैंने वोटिंग में भाग नहीं लिया और मैं चुप रह गया। मैं इस मर्यादा का ध्यान रखना चाहता हूं तथा मैं माननीय उद्योग मंत्री की परेशानी को दूर करने के लिये यह उन्हें बता देना चाहता हूं कि यह जो मैंने संशोधन उपस्थित किया है या और भी जो संशोधन उपस्थित किये हैं वे सब मेरे डीसेंटिंग नोट के आधार पर ही है।

आगे मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि माननीय उद्योग मंत्री जी के कहने पर भी मैं यह नहीं समझा कि सरकार को इसमें किस तरह की परेशानी होगी इस गन्ना बोर्ड को तोड़ने के लिये। अध्यक्ष महोदय, इसके पहले भी इसके स्थान पर एक बोर्ड इस प्रदेश में काम कर रहा था और उस बोर्ड ने अपनी जिन्दगी में बड़े बड़े काम किये। उस बोर्ड ने किसानों को कभी कभी नुकसान भी बहुत पहुंचाया। अगर उस बोर्ड की पूरी कहानी कही जाय तो बहुत लंबा वक्त लगेगा लेकिन मैं दो एक बातें तो जरूर कह देना चाहता हूं। उस बोर्ड ने पिछले वर्ष जब मिलों की बन्दी हुई तो उस पर किसानों का ९ करोड़ २१ लाख रुपया बाकी रहा।

श्री अध्यक्ष—आपका संशोधन तो यह है कि बोर्ड कायम रहे और तोड़ा न जाय ?

श्री गेंदा सिंह—मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले बोर्ड को तोड़ने का अधिकार सरकार ने नहीं रखा जिसने किसानों के गन्ने का ९ करोड़ २१ लाख रुपया बकाया में रखा।

९ करोड़ २१ लाख रुपये में से अगर ढूंढ़ा जाय तो इस वक्त भी कुछ रुपया बकाया पड़ा होगा किसानों का। पहले का बोर्ड जिसे गन्ने की कीमत तय करने का भी कुछ अधिकार था उसने एकाएक १ रु० १२ आने मन से १ रु० ५ आने मन गन्ना कर देने की सलाह इस सरकार को और भारत सकार को भी दी जिससे इस सूबे के किसानों का कोई मामूली नुक्सान नहीं हुआ, बल्कि

[श्री गेंदा सिंह]

करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। अगला जो बोर्ड था उसका सबसे बड़ा काम था कि वह गन्ने की उपज को बढ़ावे लेकिन उस काम में वह बुरी तरह से बिलकुल फेल रहा। यह कोई मेरी राय नहीं है बल्कि सरकारी कमेटीज जो मुकर्रर हुई उन कमेटीज की यह राय है। आखिरी जिम्मेदारी उस बोर्ड की होती थी कि वह इस सूबे के गन्ने के किसानों के हित की रक्षा करे, इंडस्ट्रीज की रक्षा करे और इन इंडस्ट्रीज को तरक्की दिलावे। एक मददगार बने और वह सरकार और इंडस्ट्रीज के बीच में एक ऐसे मध्यस्थ का काम करे जिससे यह इंडस्ट्रीज तरक्की करें। क्या माननीय उद्योग मंत्री जी यह बतलाने के लिये तैयार हैं कि पिछले कंट्रोल बोर्ड ने इस इंडस्ट्री को जितनी तरक्की दिलायी है। हां, एक बात इस कंट्रोल बोर्ड के बारे में कही जा सकती है कि इसी कंट्रोल बोर्ड के युग में जिससे कि माननीय उद्योग मंत्री जी बहुत मुहब्बत करते थे, इसको तोड़ने के लिये उन्होंने कभी भी इस सदन से कोई अधिकार नहीं मांगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आपका मतलब है कि आप उसको कायम रखना चाहते हैं। तो यह बहस मेरी समझ में नहीं आ रही है, आप उसके खिलाफ कह रहे हैं, आप बोर्ड के खिलाफ बोल रहे हैं, इससे विपरीत अर्थ निकलता है।

श्री गेंदासिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि बिलकुल इसका सीधा अर्थ निकले। मैं यह कह रहा था कि पिछला कंट्रोल बोर्ड जो इतना लायक था और इतना मुहब्बत का पात्र था कि माननीय उद्योग मंत्री जी उसका गुणगान करते थे उसको तोड़ने के लिये आपने कभी कोई अधिकार नहीं मांगा लेकिन इस बोर्ड के कार्य को बगैर देखे ही कि इससे काम नहीं चलेगा, उसको तोड़ने का अधिकार अपने हाथ में लेने का क्या मकसद है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो ऐसा सोचने के लिये मजबूर हैं कि माननीय उद्योग मंत्री जी को और माननीय सरकार को आजकल अपने ही ऊपर कुछ कम भरोसा होने लगा है और यह किसी भी सरकार के लिये कोई अच्छी बात नहीं है। कंट्रोल बोर्ड का निर्माण किस तरह से होगा, यह हमारे सामने है। जैसा कि अभी बहस के दौरान में हमें मालूम हुआ कि सरकार नामांकित करेगी। सरकार ५ तो मिल मालिकों के प्रतिनिधियों को नामांकित करेगी और ५ ईख उत्पादकों के प्रतिनिधियों को और फिर ५ ऐसे प्रतिनिधियों को नामांकित करेगी जो कि टेक्निकल नालेज रखते हों या गन्ने के व्यवसाय में या गन्ने की खेती में कुछ दिलचस्पी रखते हों। इसके अलावा स्वयं माननीय उद्योग मंत्री जी उसके चेयरमैन होंगे। एक बात की जरूर मुझे कुछ खामी मालूम हुई और इस बात के लिये याद दिलाना भी जरूरी था कि माननीय कृषि मंत्री जी को भी इस बोर्ड में रखना चाहिये क्योंकि कृषि की बातों से भी इसका बहुत कुछ संबंध है। माननीय उद्योग मंत्री जी ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और इसके लिये मैं माननीय उद्योग मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके अलावा दूसरे लोग होंगे। इसका सेक्रेटरी होगा उद्योग विभाग का सचिव जो कि सरकार का वेतनभोगी अधिकारी है। अब ५ आदमी ईख उत्पादकों की तरफ से चुने जायेंगे सरकार की तरफ से नामांकित किये जायेंगे उनकी मियाद दो वर्ष की होगी। इन दो वर्षों में कुछ बात समझ में नहीं आती कि वे क्या ऐसा कार्य कर देंगे जिस कार्य से माननीय मंत्री जी को यह सोचने की जरूरत हुई कि उसे तोड़ ही दें। माननीय उद्योग मंत्री जी यह बतलाने के लिये तैयार नहीं हैं कि वे इसको किस हालत में तोड़ेंगे। मैंने बहुत जानने की कोशिश की उनसे कि कम से कम आप यह तो फरमावें कि आप बोर्ड के ऊपर नाराज कब होंगे। तो उस नाराजगी का पता रहे बोर्ड को फिर वह नाराजगी से बचा करे। कौन जानता है कि माननीय उद्योग मंत्री जी किस वक्त नाराज हो जायेंगे? बोर्ड को अगर यह मालूम हो कि वह गन्ने की उपज कम करा दे तब नाराज हो जायेंगे या चीनी की उपज कम हो जाय तब वे नाराज होंगे या गन्ने की कीमत बाकी रह जायगी, या मिलवाले ज्यादा मुनाफा उठाने लगेंगे तब मंत्री जी या उनकी सरकार नाराज होगी तो बोर्ड बेचारा इस बात की परवा किया करे कि माननीय उद्योग मंत्री जी के गुस्से का शिकार न हो जाय। लेकिन उस बेचारे बोर्ड को मालूम नहीं है कि किन किन बातों से वे नाराज हो जायेंगे और किन किन बातों से वे खुश होंगे।

और माननीय अध्यक्ष महोदय यह बोर्ड के साथ बड़ी ज्यादती होगी। कहीं माननीय उद्योग मंत्री जी हमको ही सदस्य बना दें बोर्ड का ऐसा मैं सोचता हू क्योंकि वे हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी रखते हैं, क्योंकि एक रोज माननीय अध्यक्ष महोदय उन्होंने यह एलान किया था कि देवरिया में मुझसे ज्यादा उनका कोई दुलरुबा नहीं है तो कहीं मैं नामिनेट हो गया तो मैं स्वय भी जानकारी चाहता हूं तो कि उनके दुलरुबा का हकदार आगे भी बना रहूं। ऐसा न हो जावे कि बोर्ड के प्रतिनिधि की हैसियत से जब मैं नहीं हूं तब तो दुलरुबा हूं लेकिन जिस वक्त बोर्ड में पहुंच जाऊं उसी वक्त से दुलरुबा का हकदार न रह जाऊं। तो मुझे यह मालूम हो जाय कि कब लिरुबा का हकदार मैंनहीं रहूंगा इसे बतलाने की मेहबारी उद्योग मंत्री जी नहीं करते हैं बड़ी कोशिश के बाद उसमें इतना जरूर लिख दिया गया कि जब सरकार ऐसा करना आवश्यक समझेगी। फिर उसी अंधेरे में हमें रखा गया कि जब जरूरत समझेगी। यह ता बतादें कि कब ऐसी जरूरत समझेगी। मैं अध्यक्ष महोदय यह चाहता हूं कि यह मामला साफ हो। पहली बात तो यह कि तोड़न का अधिकार माननीय उद्योग मंत्री जी अपने हाथ में न लें। जिस काम को बनाते हैं उसी को तोड़ने का अधिकार क्यों लेते हैं हालांकि हमारे यहां कहा जरूर जाता है कि जो ब्राह्मण व्याह कराता है वही श्राद्ध का भी काम कराता है। लेकिन यह काम माननीय उद्योग मंत्री जी को सुपुर्द करने के लिये तैयार नहीं हूं। ब्रह्मा अगर सृष्टि करता है तो शिव का काम संहार करना है। माननीय उद्योग मंत्री जी अगर यह काम किसी दूसरे को दे दें और इसमें किसी काशी के आदमी को लेलें और उसकेसुपुर्द यह काम कर दें ता अच्छा होगा। और अगर माननीय उद्योग मंत्री जी शिव का काम करना ही चाहते हैं तो फिर यह बतलाने की कृपा करें कि वे कब शिव का रूप ग्रहण करेंगे? इसका परिणाम यह होगा कि बोड समझ समझ कर कदम उठायेगा। बोर्ड उन कामों को अपना कर्त्तव्य समझकर पालन करेगा, और यदि ऐसा न हुआ तो बोर्ड के तोड़ने का अधिकार माननीय उद्योग मंत्री जी के अपने हाथ में रखने से बोर्ड यह समझेगा कि न जाने कब इनका तीसरा नेत्र खुल जाय चाहे रुपया मिल में बाकी रहे तब भी वह खुल सकता है। क्योंकि बहराइच में जरबल रोड पर काफी रुपये पिछले वर्ष भी बाकी थे। पिछली मरतबा मैं चुनाव के सिलसिले में एक दो दिन के लिये उनके क्षेत्र में गया था। हमने यह समझा था कि कम से कम बहराइच में तो रुपया किसानों का गन्ना उत्पादकों का बाकी नहीं होगा, क्योंकि माननीय उद्योग मंत्री जी वहां के रहने वाले हैं। अगर देवरिया का या और कहीं का बाकी रहता तब तो बात थी लेकिन जरबलरोड का भी बाकी रहा और था क्योंकि जब वह बहराइच जाते हैं तो जरबल रोड ही गाड़ी से उतरते हैं और ऐसी बात उनकी नहीं थी कि जरबल रोड की उनको फिक्र नहो फिक्र बड़ी है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हुं कि माननीय उद्योग मंत्री जी तोड़ते का अधिकार अपने हाथ में लेकर अपने ही खिलाफ क्यों एक वातावरण पैदा करना चाहते हैं? अगर वे तोड़ने का अधिकारी नहीं लेंग तो वह बोर्ड स्वयं थोड़ी परवाह करेगा।

वह बोर्ड सर पर इतना नहीं चढ़ जायगा कि उसको उठाकर फेंकने की जरूरत पड़े। मेरा तजुरबा है सन् १९३८ से लेकर सन् १९५३ ई० तक का। यानी इस १५ साल के अर्से में एक मर्तबा भी ऐसा क्राइसिस नहीं आया कि जब सरकार को यह आवश्यक प्रतीत हुआ हो कि बोर्ड को तोड़ दिया जाय। तो जब शिकायत नहीं आयी तो हम तो मनुष्य हैं, हम अपने अनुभव से अपने काम आगे के लिये तय करते हैं तो वैसा हमको करना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कभी किसी जमाने में ऐसी जरुरत पड़ी थी कि बोर्डको तोड़ दिया गया हो उस वक्त अगर नौबत नहीं आयी तो मैं यह समझता हूं कि बोर्ड को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है? उसमें इस बात की भी गुंजाइश है कि जब कभी एक सदस्य के विरुद्ध कोई शिकायता सरकार को मालूम हो तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। अगर उसने गबन कर लिय या उसने कोई गड़बड़ी का काम किया तो ऐसी हालत में सरकार के हाथा में सारे अधिकार हैं उस वक्त उसको रोक सकते हैं और बोर्ड के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल को बड़े गौर के साथ पढ़ा है वह इसलिये कि यह हमारे जीवन मरण से संबंध रखता है। हमारे लिये ही नहीं बल्कि किसानों के जीवन मरण का भी

[श्री गेंदा सिंह]

इसमें प्रश्न आता है। इस बिल को देखने के बाद और सारे बिल पर सेलेक्ट कमेटी में विचार करने के बाद मैं यह जरूर समझता हूं कि सारे अख्तियारात केन्द्रीभूत किये जा रहे हैं। हम जब १५ वर्ष तक शुगर फैक्टरीज कंट्रोल ऐक्ट के मुताबिक काम करते रहे और उसके अनुसार बड़े बड़े यूनियनों को आर्गनाइज कर दिया, और जिसके ऊपर गन्ना उत्पादकों को पूरा भरोसा है और उसमें यह बात भी नहीं है कि कोई चुने हुये खास आदमी जायं। उस बात को हमने छोड़ दिया है। जिसको चाहे वह रखें यह सरकार के हाथ में रहता है। तो ऐसी हालत में फिर सरकार का उसके ऊपर भरोसा न हो तो इससे काम नहीं चल सकता है। इसलिये मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से इस बात का निवेदन करूंगा कि इसके बारे में जो बोर्ड तोड़ने का अधिकार है वह उस अधिकार को छोड़ दें और इससे बोर्ड बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करेगा और तभी आपको उसकी कारगुजारी देखने में आयेगी। मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी इस पर कुछ गौर करेंगे।

श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्रों की सारी बातें सुनीं। सुनने के बाद भी मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह तरमीम मंजूर न की जाय। यह तो साधारण बात है कि जिस किसी अथारिटी के लिये किसी को तकरुर करने का अधिकार होता है तो उस अथारिटी को उसको बरखास्त करने का अधिकार भी होता है। यह साधारण नियम है और इसको सब जानते हैं। इस नियम को देखते हुये इस बोर्ड को इस अधिनियम के द्वारा सरकार ही क्रिएट करती है और सरकार को उसके डिजाल्व करने का अधिकार भी होना चाहिये। अब जो सेंट्रल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन ऐक्ट, १९५१ ई० पास हुआ है उसके मुताबिक सेन्ट्रल गवर्नमेंट को एक डेवलपमेंट कौंसिल मुकर्रर करने का अधिकार दिया है और फिर उसके डिजाल्व करने का अधिकार भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दिया गया है। यह इसके अन्दर लिखा हुआ है। आप इसको देख सकते हैं। केंन्द्रीय सरकार ने भी ऐसा अख्तयार अपने हाथ में रखा है। हमारे मित्र ने एक बात और कही और ठीक कही। उनके नुक्ते ख्याल से वह ठीक है और जो बात एक मर्तबा कहीं जाय उस के खिलाफ काम करना ठीक नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर यह बात ठीक है तो मेरिज के साथ डाइवोर्स की भी गुंजाइश नहीं रहती और शादी के बाद डाइवोर्स का ला भी रिडन्डेंट है लेकिन फिर भी वह कानून मौजूद है। मैं समझता हूं कि मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है और श्री गेंदा सिंह जी की तकरीर में खुद ही उन सब बातों का जवाब है जो वह चाहते हैं। उन्होंने पुराने शुगर कंट्रोल बोर्ड की खराबियां बयान कीं और बड़ी तफसील के साथ बयान कीं। लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि किस वक्त से डिजाल्व करने की पावर मिली क्या वह काम में आई? जिस वक्त भी सरकार देखेगी कि यह बोर्ड पब्लिक के हित में कायम न रहना चाहिये उसी वक्त सरकार को अख्तयार होना चाहिये कि वह टैक्स पेयर का रुपया बेकार सर्फ तो नहीं हो रहा है और अगर वह समझे कि उसकी जरूरत नहीं है तो वह उस को डिजाल्व कर दे और तब तक वह लाभदायक है और उस के मशवरे से लाभ होता है वह कायम रहेगा और सरकार मसले उस के जरिये से हल करती रहेगी लेकिन ऐसा भी मौका हो सकता है जब सरकार इस की जरूरत न समझे या बोर्ड के मेम्बर ठीक तौर से काम न कर सकें और पब्लिक इन्टरेस्ट को ठीक तौर से सर्व न कर सकें या उस का रहना जरूरी न समझा जाय तो क्या सरकार मजबूर हो कर बैठेगी। इसलिये यह अख्तियार रखा गया है। मैं यकीन दिलाता हूं और मैंने एक दूसरे संशोधन के सिलसिले में कहा भी था कि पब्लिक इन्टरेस्ट को मद्देनजर रखते हुये जब तक सरकार इस बोर्ड का रखना जरूरी समझेगा उसको कायम रखेगी और उसकी जरूरत न होने पर उसे डिजाल्व कर देगी। मैं श्री गेंदा सिंह को बतलाना चाहता हूं कि यह कोई परसनल बात नहीं है। मैं किसी बात से नाराज हो जाऊं, कब नाराज हो जाऊं लेकिन सदन के सामने मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर मेरे भाई श्री गेंदा सिंह ऐसी बात बतलायेंगे कि जिससे साबित होगा कि बोर्ड बिलकुल अनुपयोगी है तो मुझे यह कहने में गुरेज नहीं है कि मैं उस बोर्ड से नाराज हो जाउंगा। बाज वक्त ऐसी बातें आवेंगी कि बोर्ड के खिलाफ सदन के माननीय सदस्य कहेंगे और जब तक कि यह पावर हमारे पास न होगी हम बिलकुल मजबूर रहेंगे और हम उनकी ख्वाहिशात को पूरा न कर सकेंगे

चाहेवह कितनी ही जायज क्यों न हो। इसलिये मैं श्री गेंदा सिंह को ऐसा मौका नहीं देना चाहता कि हम उनकी ख्वाहिशात को पूरा न कर सकें और इसी गर्ज से यह अख्तियारात हम लेना चाहते हैं क्योंकि हुक्म की तामील करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं श्री गेंदा सिंह जी से कहूंगा कि वह फिर इस पर गौर करें और विचार कर के देखें कि यह अख्तियार रखना कितना जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मित्र अपने इस संशोधन को वापस लेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नारायण दत्त तिवारी---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय श्री गेंदा सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने बहुत ध्यानपूर्वक माननीय उद्योगमंत्री जी के उस भाषण को सुना जिसके द्वारा उन्होंने इस बात की चेष्टा की कि वे माननीय गेंदा सिंह जी की शंकाओं का समाधान करें। लेकिन मैं तो एक आधारभूत बात को न समझ पाया जो माननीय उद्योग मंत्री जी ने जिस प्रक्रिया के जरिये अपने ऊपर स्वयं अविश्वास करना निश्चित किया है। उस प्रक्रिया को कम से कम मैं तो नहीं समझ पाया। मैं यह समझता हूं कि जिस गन्ना बोर्ड के चेयरमैन हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी स्वयं हैं, जिस गन्ना बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये और उनको व्यावहारिक रूप देने के लिये हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी स्वयं सभापति होना निश्चित करें, और उस बोर्ड में उनके सभापतित्व के होते हुये कोई गलत फैसला हो जायगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। इसलिये गन्ना बोर्ड को तोड़ने की ताकत को अपने हाथ में लेना माननीय मंत्री जी का अपने ऊपर अविश्वास स्वयं प्राप्त करना और उसमें काम करना क्या मानी रखता है। इस प्रकार के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण कि स्वयं अपने ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव पास करें और पास करके अपने को भंग कर लें और स्वयं सभापतित्व भी करें यह मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का दृष्टिकोण नहीं हो सकता।

यदि माननीय मंत्री इधर ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा होगा। इस सदन का जो पहले का अंश हो चुका है मैंने उसमें देखा कि माननीय उद्योग मंत्री जी के ध्यान न देने के कारण जो बहुत सी बातें नहीं कही गयीं वह उन्होंने समझ लीं और जो कहीं गयी उनको नहीं सुना। अगर वह इधर ध्यान देंगे तो वह हमारी बातों को और प्रस्तावना को समझ सकेंगे। उन्होंने इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन ऐक्ट का हवाला दिया कि इंडस्ट्रीज ऐक्ट के अनुसार जो डेवलपमेंट कौंसिल बनी हुई है उनको भंग करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है। मैं क्या बताऊं श्रीमन्, मैंने बड़ी कोशिश की कि माननीय मंत्री जी ने जो धारा डेवलपमेंट कौंसिल की बतलाई वह देखूं। रेगुलेशन ऐक्ट की धारा ८ इस प्रकार है :

The central Government may, if it is satisfied that a development council should cease to continue in being, by notified order withdraw that development council.

(2) on the dissolution of a development council under sub-section (1) the assets of the development council, after its liabilities, lf any are met therefrom shall vest in the central Government for the purposes of this Act.

इसका अर्थ यह है कि डेवलपमेंट कौंसिल तोडी जायगी जब सरकार यह समझे कि उसकी आवश्यकता अब खत्म हो गयी है, उसका काम पूरा हो गया है और उसके भंग हो जाने के बाद फिर दोबारा कांस्टिट्यूट नहीं होगी, फिर दोबारा संगठित होने की परेशानी नहीं उठती। लेकिन शुगरकेन बोर्ड जो है उसको दोबारा कांस्टीट्यूट करने, उसकी लायबिलिटीज और असेट्स को खत्म करके उसके सारे फाइनैंसेज को गवर्नमेंट में वेस्ट होने का सवाल ही नहीं आयेगा।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

अगर माननीय मंत्री जी अपने विधेयक की धारा ३ की उपधारा (४) को देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि बोर्ड को तोड़ देने पर निम्नलिखित परिणाम होंगे--

(क) उपधारा (२) के खंड (ख) में अभिदिष्ट सभी सदस्य आज्ञा में निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक पर अपने-अपने पद खाली कर देंगे किन्तु इससे उनकी सदस्य के रूप में नियुक्ति नामांकन के तिथि पात्रता पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़ेगा---

(ख) उपधारा (२) के उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकार बोर्ड को पुनः संगठित करेगी। तो जब एक ओर माननीय मंत्री जी सेंट्रल डेवलपमेंट कौंसिल की इस शुगर केन बोर्ड से तुलना करते हैं तो वह दो बातें बिलकुल भूल जाते हैं। पहली तो यह कि जो सेंटर की कौंसिल है वह एक डेवलपमेंट कौंसिल है और शुगर केन बोर्ड और डेवलपमेंट कौंसिल की व्यवस्था में बड़ा बुनियादी फर्क है। यह शुगर केन बोर्ड जो है वह डेवलपमेंट कौंसिल नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी ने इन धाराओं को पढ़ा होता और उसे समझने की कृपा की होती तो उन्हें मालूम होता कि शुगर केन बोर्ड केवल एक डेवलपमेंट कौंसिल ही नहीं है बल्कि वह गन्ने की जमीन के बारे में, उसकी पूर्ति और खरीद के बारे में एक विवेचनात्मक और सही कार्य करने वाला बोर्ड है। तो इसलिये शुगर केन बोर्ड और डेवलपमेंट कौंसिल की कोई तुलना नहीं हो सकती। दूसरे सेंटर की डेवलपमेंट कौंसिल के भंग होने के बाद उसको दुबारा बनाने का प्रश्न नहीं उठता। उसका सारा इन्तजाम उसकी सारी अर्थ व्यवस्था केन्द्रीय सरकार में वेस्ट हो जाती है, निरस्त हो जाती है। लेकिन यहां पर जब आप शुगर केन बोर्ड को भंग करते हैं तो आप दोबारा उसके गठन करने की बात कहते हैं, दोबारा उसकी जगहों को भरने की बात कहते हैं। इसलिये इसमें डेवलपमेंट कौंसिल और शुगरकेन बोर्ड में तुलना करना समीचीन और उपयुक्त नहीं है। फिर सेंटर की डेवलपमेंट कौंसिल जो है वह केवल एक डेवलपमेंट के इंटरेस्ट के लिये है, वह किसी आर्टिकिल के या किसी एसेंश्यल कमोडिटी के या किसी कर्मशियल क्राप के रेगुलेशन के लिये कोई बोर्ड नहीं है। उसका टेन्योर आफ आफिस, उसका टर्म, अवधि जो है वह बिलकुल अलग है। आपने तो केवल एक अवधि दो साल की अवधि रखी है। तो इन सब बातों से मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस गलतफहमी में है कि चूंकि इंडस्ट्रीज ऐक्ट में डेवलपमेंट कौंसिल के डिजोल्यूशन का अधिकार लिखा हुआ है इसलिये हम यह अधिकार रखें। यह कितना गलत है, यह इससे साबित हो जाता है। फिर इसके साथ ही एक बात माननीय मंत्री जी से मैं और जानना चाहता हूं कि वह कैसे समझते हैं कि बोर्ड को भंग करने की आवश्यकता होगी जब कि यह बात स्पष्ट है कि उसमें उद्योग मंत्री भी होंगे, स्वयं सभापति का स्थान ग्रहण करेंगे, कृषि मंत्री भी होंगे, ५ ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि टेक्निकल नालेज रखते हों, उस संबंध में मैं समझता हूं कि इसमें भी अधिकतर सरकारी एक्सपर्ट ही होंगे, फिर तीन आदमी राज्य सरकार की ओर से ही नियुक्त होंगे, गन्ना कमिश्नर भी एक्स आफिश्यो मेम्बर होंगे, उद्योग विभाग के सेक्रेटरी इस बोर्ड के भी सेक्रेट्री होंगे। तो एक प्रकार से यह संस्था जो होगी वह कोई राजनैतिक संस्था तो होगी नहीं, इसमें कोई युनिवर्सिटी अटानामी का प्रश्न तो है नहीं। यह तो एक स्पष्ट उद्देश्य के लिये, एक स्पष्ट कार्य के लिये एक बिना किसी राजनैतिक मतभेद के, बिना किसी पोलिटिकल दृष्टिकोण के रखते हुये एक संस्था है। इसका उद्देश्य कितना स्पष्ट है कि चीनी की फैक्टरियों के निमित्त गन्ने की खरीद तथा पूर्ति के विनियमन से सम्बद्ध विषय, इस बारे में राय देना है, माननीय मंत्री जी भी खुद राय देंगे, वह सभापति ही होंगे, दूसरे गन्ने के विभेद जो चीनी की फैक्ट्रियों में प्रयोग के लिये उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त हों। इसमें क्या बात है। काश्तकार थोड़े ही चाहेगा कि वहां पर कोई खराब वेराइटी का गन्ना लगाया जाय, तो आखिर किस चीज से माननीय मंत्री जी समझते हैं कि कौन सी ऐसी इमर्जेंसी आयेगी, एक आध इमरजेंसी कोई हमें बतायें। अगर वह एक भी इमरजेंसी बताने को तैयार हैं कि जिससे यह बात साबित होती है कि बोर्ड को भंग करने की आवश्यकता आ सकती है तो वह हमें बतलायें। मैं उसे जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, इधर उधर भागने से काम नहीं चलेगा। हंसी मजाक के और बहुत से मौके हुआ करते हैं। मैं उनसे कुछ कहने लायक तो नहीं हूं। लेकिन मैं तो ऐसा समझता हूं कि माननीय

मंत्री जी ऐसे एक बुजुर्ग और उन जैसे एक प्रमुख विभाग के प्रतिष्ठित मंत्री इस सदन को केवल एक हंसी मजाक का एक विशेषज्ञ अपने को मानकर, इस सदन की भावनाओं का और बुद्धि का उपयोग अगर वह ज़रा कम करें तो ज्यादा एक शोभनीय बात होगी। मैं उनसे श्रीमान्, आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि उद्योग मंत्री जी अपने प्रभावशाली विवेक को, और अपनी प्रभावशाली प्रतिक्रिया को अधिक विशेषणों की ओर न ले जाकर बौद्धिक ज्ञान विश्लेषण की ओर ले जायं तो हमें ज्यादा सहायता विधेयक के समझने में और उनकी विचारधारा को समझने में मिलेगी। नहीं तो अगर वे खामोश रहेंगे तो हमें भी खामोश हो जाना पड़ेगा। लेकिन खामोशी के लिये यह सदन नहीं बना हुआ है बल्कि गंभीरतापूर्वक विधेयकों पर विचार करने के लिये यह सदन बना हुआ है। इसी लिये उदाहरणरूप वे एक बार यदि यह बतला दें कि कौन सी ऐसी परिस्थिति आ सकती है जब सरकार को ऐसा करना पड़ सकता है तो मैं माननीय श्री गेंदा सिंह जीसे यह प्रार्थना करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस लेने पर विचार करें। लेकिन मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी के पास कोई दलील देने के लिये नहीं है। यह केवल एक प्रणाली को अपनाने का तरीका है और ड्राफ्टसमैनशिप का एक पुराना तरीका है कि जिस के हाथ में बनाने का अधिकार है उसके हाथ में बिगाड़ने का भी अधिकार रहना चाहिये। मैं समझता हूं कि अब ऐसा मौका आ गया है जब कि पुराने ड्राफ्टसमैनशिप के तरीके को और पुराने लेखन प्रणाली के तरीके को बालाये ताक रखना होगा।

यह गन्ने का विषय है, यह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या इंडियन पैनल कोड का विषय नहीं है। यह इस प्रदेश के लाखों प्राणियों के जीवन से, उनके जीवनस्तर से और उनके दैनिक जीवन से संबंध रखने वाला विषय है। उसको कानूनी पच्चड़ों में डालना, इसको ड्राफ्टिंग की टेक्निकैलिटीज में डालना मैं समझता हूं कि अन्याय करना है। मैंने केन सोसाइटीज के कामको देखा है जहाँ चाहे काग्रेस पार्टी के हों चाहे हमारी पार्टी के हों चाहे स्वतंत्र विचार के हों सब लोग गन्ना उत्पादकों के हित में लड़ते हैं। वहां कोई पार्टी का सवाल उठता ही नहीं है। हमने कभी यह नहीं देखा कि कहीं गन्ना सोसाइटी या फेडरेशन में पार्टी का सवाल उठा हो। ऐसी दशा में मैं नहीं समझता कि कौन सी ऐसी असाधारण अवस्था आ सकती है जिस के लिये इस प्र कार की चीज इस विधेयक में रखी गयी जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय उद्योग मंत्री के असाधारण विवेक से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे पुनर्विचार करें और माननीय गेंदा सिंह का संशोधन जो प्रजादतांत्रिक भावना से ओतप्रोत है उसको स्वीकार करें।

मैं यह भी बतला दूं कि माननीय मंत्री जी इस सदन की भावना को समझ लें। वे यह न समझें कि चूंकि कुछ माननीय सदस्य चुप हैं इस लिये वे माननीय गेंदा सिंह की विचारधारासे सहमति नहीं हैं। मैं दावे के साथ कहने तैयार हूं कि यदि माननीय मंत्री जी स्वयं सब सदस्यों से मिलें, चाहे वे इधर बैठें हों चाहे उधर बैठे हों, और उनसे निजीरूप में पूछें कि उनकी व्यक्तिगत राय इस संबंध में क्या है कि इतना बड़ा बेकार का अधिकार रहना चाहिये या नहीं, तो मुझे विश्वास है कि इस भवन के सभी माननीय सदस्य या उनकी भारी बहुमति इस संशोधन के पक्ष में होगी। ऐसी दशा में मैं माननीय मंत्री जी के विवेक से प्रार्थना करना चाहता हूं और मुझे आशा है कि हमारी उम्मीद जो कि विवेक पर आधारित है उसे इस समय नहीं ठुकरायेंगे।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की प्रवर समिति का एक सदस्य होने के नाते और माननीय अध्यक्ष महोदय के इस निर्णय से कि वे अपना अंतिम निर्णय कल देंगे मुझे यह मौका मिला कि मैं इस प्रश्न पर कुछ अपने विचार उपस्थित करूं क्योंकि प्रवर समिति में इस विधेयक के जाने से पहले जो मैंने अपने भाषण में यहां निवेदन किया था कि मेरी समझ में यह नहीं आता कि कौन सा ऐसा अवसर आयेगा जब कि सरकार मजबूर हो जायगी यह सोचने के लिये कि अब इस बोर्ड को तोड़ देना चाहिये। मैं भी रहा परन्तु मैंने वहां के निश्चय के विरोध में कोई नोट आफ डिसेंट नहीं लिखा था और इसलिये मैं कुछ असमंजस में था कि मुझे यहां पर खड़े होकर कुछ बोलना चाहिये या नहीं। श्रीमन्, जहां तक इस बोर्ड का सवाल है माननीय मंत्री जी का यह कहना कि सरकार अगर कोई चीज बनाती है तो उसे उसके तोड़ने का भी अधिकार होना चाहिये। और यह एनोलोजी रखना कि अगर

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

सरकार किसी नौकर को नियुक्त करती है तो उसके हटाने की भी ताकत उसके साथ में होनी चाहिये। यह एनोलोजी यहां पर लगती नहीं है। क्योंकि सरकार यदि किसी कर्मचारी को नियुक्त करती है तो उस समय जबकि वह कर्मचारी अपना काम ठीक से न करे या कोई और बातें करने लग जाय जिसकी वजह से उसका रहना ठीक न समझा जाय तो सरकार को अवश्य यह अधिकार होना चाहिये कि उसे वहां से निकाल दे। परन्तु जहां तक इस बोर्ड का सवाल है जिसमें कि माननीय उद्योग मंत्री स्वयं और माननीय कृषि मंत्री जी भी होंगे और उनके साथ उन्हीं के अन्य सरकारी कर्मचारी होंगे। इनके अलावा जिस बोर्ड के मेम्बर ५ फैक्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्ज और पांच गन्ना उत्पादन करने वाले काश्तकारों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वहां पर मैं कोई ऐसा अवसर नहीं देख पाता कि सरकार इस निश्चय पर आने के लिये बाध्य हो जाय कि अब इस बोर्ड को तोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि जैसा माननीय उद्योग मंत्री जी ने स्वयं कहा कि इस बोर्ड का काम तो केवल सरकार को सलाह देना होगा तो कौन सी ऐसी बात आ सकती है, कौन सा ऐसा अवसर आसकता है कि यह बोर्ड एक के बाद एक, एक के बाद एक इस तरह की सलाह देने लग जाय जिससे कि सरकार इस निश्चय पर आने के लिये बाध्य हो जाय कि अब इस बोर्ड की उपयोगिता नहीं रह गयी है और अब इसको तोड़ ही देना चाहिये। जब कि दो दो माननीय मंत्री उस बोर्ड में होंगे तो मेरी समझ में नहीं आपाता कि कैसे वह बोर्ड अपना काम ऐसा करने लग जायगा और इतना खराब काम करने लग जायगा कि सरकार बाध्य होकर उस बोर्ड को तोड़े। कोई सलाह यह बोर्ड देता है और माननीय उद्योग मंत्री स्वयं चेयरमैन की हैसियत से होंगे तो अगर वह सलाह उचित न समझें तो न मानें और वह यह भी कह सकते हैं एक चेयरमैन की हैसियत से, दूसरे मेम्बरों से कि आप लोग जरा सोच विचार कर अच्छी राय दें। अगर कोई ऐसा मौका पड़े जहां पर कि फैक्टरी के रिप्रिजेंटेटिव फैक्टरी के फायदे के लिये कोई ऐसी सलाह देना चाहें बोर्ड के द्वारा सरकार को जिसमें कि काश्तकारों का नुकसान हो तो वहां पर ५ काश्तकारों के भी रिप्रेजेंटेटिव्ज होंगे और इस तरह से उनके वोट डिवाइड हो सकते हैं और जो सलाह पास होगी वह ही हो सकती है। अगर काश्तकार कोई ऐसी सलाह देना चाहें कि जिससे फैक्टरी के मालिकों का नुकसान हो तो वहां पर फैक्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और फिर वोट कट सकते हैं।

इसलिये श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को सलाह दूंगा कि जब इस ताकत के लेने से कोई फायदा नहीं है और मैं समझता हूं कि आपको कभी भी इस ताकत का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा तो फिर क्यों सरकार अपने सर कलंक लेती है और प्रजातंत्रवाद के खिलाफ कदम उठाती है?

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक छोटे से बिल पर विवाद इसलिये उठाया जा रहा है कि सरकार को यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह बोर्ड को उसकी अवधि के पहले बर्खास्त कर सके। मैंने बड़े ध्यान से अपने मित्रों की दलीलों को सुना और उनसे मुझे ऐसा समझ पड़ता था कि वे ४ हाथ आगे जा रहे हैं और २ हाथ पीछे खिसक रहे हैं। एक ही सांस में यह कहना कि बोर्ड को कोई अधिकार नहीं है, एक परामर्श-दात्री समिति है, सलाहकारिणी अपने मित्र गेंदा सिंह जी के शब्दों में, और फिर यह कहना कि वह कोई अधिकार नहीं रखती तो उसे तोड़ने की क्या जरूरत है? तो यह बात समझ में नहीं आती। या तो दलील यह होनी चाहिये थी कि इस बोर्ड को बड़े-बड़े अख्तयारात हैं, इससे बड़े बड़े फायदे हो सकते हैं और इसके फैसले गवर्नमेंट को मानने होंगे, इसलिये इसका रखना जरूरी है। या यह कहा जाता कि यह एक सलाह देने वाली बाडी है जिसका मानना या न मानना गवर्नमेंट की या मंत्री जी की इच्छा पर निर्भर है। सलाह इसलिये नहीं दी जाती कि उसका कोई मतलब हो बल्कि इसलिये दी जाती है कि उससे कुछ खराबी की तरफ चीजें जावें। जब बोर्ड के अन्दर यह मनोवृत्ति पैदा हो जाय तब उस समय उसको हटाने में क्या आपत्ति है? मैं यह नहीं समझ पाता और खास तौर से माननीय मंत्री जी के इस आश्वासन के बाद कि उसके सदस्यों में प्रमुख स्थान रखने वाले दूसरी तरफ के, इस तरफ के नहीं, रखने हैं। उनके दिलों में यह शिकायत नहीं होनी चाहिये कि इधर के सदस्य कोई बात कहेंगे तो उस पर ही अमल होगा और खास तौर

से इस आश्वासन के बाद कि इधर के ही सदस्य नहीं बल्कि जो गन्ने के मामलों में सबसे बड़े पंडित होंगे इस सदन में और जो गन्ने की खेती करते हैं, माननीय गेंदा सिंह जी जो सलाह देंगे उसका वे प्रमुख स्थान रखेंगे। मैं तो उस क्षेत्र से आता हूं जहां गन्ने का कोई विशेष महत्व नहीं है। मुझे यह भी मालूम है कि मेरे मित्र नारायण दत्त जी जहां से आते हैं उस पहाड़ी इलाके में गन्ने का कोई बड़ा स्थान नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—आपको मालूम नहीं है। तराई स्टेट फार्म नहीं है?

श्री राम नरेश शुक्ल—जी हां। उनको गन्ने की जानकारी कम होगी वैसे मुझे मालूम है किताबों में गन्ने की तसवीरें अकसर रहती हैं। किसी मौके पर कोई ऐसी चीज हो सकती है जिस पर विवाद होता लेकिन मौके बेमौके हर चीज पर विवाद करना और जिद करना और इस तरह अगर हम समय का अच्छा उपयोग न करें तो अच्छा नहीं मालूम होता। इन शब्दों के साथ मेरी राय है कि माननीय मंत्री जी की इस राय को मानना सर्वथा उचित है कि इस पर आज जिद न करें।

राजा वीरेंद्रशाह (जिला जालौन)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय गेंदा सिंह जी ने इस सदन के सामने रखा है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। मैंने यहां पर भाषण इसके समर्थन में और विरोध में बहुत सुने। मेरी यह समझ में नहीं आया कि मंत्री जी ने क्यों इस संशोधन का विरोध किया जबकि सरकार की ओर से यह बिल पेश किया गया है कि गन्ने को तरक्की दी जाय और किसानों और मिल मजदूरों को सुविधा देने के लियेय ह बोर्ड तजवीज कर रहे हैं।

वह बोर्ड सिर्फ सरकार को राय देने के लिये है, वह कोई फाइनल अथारिटी नहीं है कि उसकी राय को सरकार माने ही। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि मंत्री जी इस संशोधन को क्यों नहीं मानते। यह अधिकार ले कर तो सरकार एक तलवार मेम्बरों के ऊपर टांगे रहना चाहती है कि जिससे कि वे सरकार की मरजी के खिलाफ या जिस तरीके से कांग्रेस सरकार चाहती है कि उसके खिलाफ कोई आवाज न उठायें। लेकिन मैं यह समझता हूं कि अगर मंत्री जी देखें तो उनकी मैजारिटी भी बोर्ड में मौजूद है। अरे, पांच मिल वाले हैं, वे सरकार की तरफ रहेंगे ही। इसके अलावा पांच गवर्नमेंट के नामिनी रहेंगे। अगर उनको नौकरी रखनी है तो वे भी सरकार की तरफ रहेंगे। तो इसके मानने में सरकार को कोई ऐसी आपत्ति नहीं होनी चाहिये। सरकार की तो उसमें मैजारिटी रहेगी ही, जो चाहेगी वह करा लेगी। अभी तो इसके बनने में ही काफी समय लग जायगा और फिर कुछ समय मेम्बरों को सीखने के लिये चाहिये। तो साल डेढ़ साल के लिये आप बनायें और फिर उसे तोड़ें, इसकी क्या जरूरत है। इससे लोगों में भ्रम पैदा होगा। मैं यह समझता हूं कि मंत्री जी अब इसको समझेंगे कि जो वह खास अख्तियार चाहते हैं वह तो हमेशा उनके पास मौजूद हैं। अगर जनता का खयाल होता तो पहली चीज तो नेशनलाइजेशन थी, जो सरकार का ही रेजोल्यूशन था। लेकिन सरकार ने उस पर कोई अमल ही नहीं किया। इससे सब लोगों को भ्रम है। इसलिये हम समझते हैं कि वह और भ्रम पैदा न करें और हमारे संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी दल के दो एक वक्ताओं ने इस वाद विवाद में हिस्सा लिया और उन्होंने यह आश्चर्य प्रकट किया कि क्या ऐसी दलील है जिससे कि विरोधी दल के लोग इतना जोर डाल रहे हैं कि सरकार को यह हक नहीं होना चाहिये कि बोर्ड को दो साल के अन्दर भंग कर दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी दल की समझ में यह बात नहीं आयी, इससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि सरकारी दल घोषणाओं में तो कहता है कि वह जनता को अधिकार देना चाहता है और लोगों को शक्ति वितरण करना चाहता है लेकिन जब अमल का मौका आता है तो उस समय सरकारी दल हमेशा मामले में कोई न कोई इस किस्म का चाबुक अपने हाथ में रखता है जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कोई कार्य न किया जा सके। इस सेशन में, उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने कई विधेयक आये। अभी एक विधेयक

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

ऐडमिनिस्ट्रेटर की मुकर्ररी के बारे में था। उस समय भी सरकारी दल की समझ में यह नहीं आया कि आखिर म्युनिसिपैलिटी को डिजाल्व करके ऐडमिनिस्ट्रेटर को मुकर्रर करने में कौन सी ऐसी आपत्ति आती है जिसकी वजह से विरोधीदल विरोध कर रहा है।सरकार एक तरफ तो जनता को अधिकार देना चाहती है लेकिन अपने प्रति उसको विश्वास नहीं है। माननीय उद्योग मंत्री को, कृषि मन्त्री को खुद अपने प्रति विश्वास नहीं है कि वे कब और क्या गलती करने लग जायेंगे। उन्होंने १९ आदमियों के बीच में केवल पांच गन्ना किसानों के प्रतिनिधि है लेकिन उसमें भी उनको शक हैं। सोशलिस्ट पार्टी या विरोधी दल यह चाहता है कि शक्ति का जिस तरह से धन का विकेन्द्रीयकरण होता है, हो। हमारा एक एतराज तो यही है कि सरकार किसी बोर्ड को नामिनेट न करे। चाहिये तो यह कि बोर्ड वहां के प्रतिनिधियों द्वारा चुना होता जिससे सरकार को लाजिमी होता कि वह उसकी बात माने, लेकिन वह बात नहीं है। जब वह नामजद किया जाने वाला बोर्ड हो तो किसी को काम करने का मौका तो दीजिये। यह तो एक मूलभूत सिद्धांत है। दो साल तक मौका दिया जाना चाहिये इस बात की सलाह कई मर्तबा हमारी तरफ से दी जा चुकी है। लेकिन सरकार को इसकी जरूरत समझ में नहीं आयी। जनता का एक प्रतिनिधि मंत्रि मंडल ही है जो स्थानीय बोर्डों में ज्यादा भीषण गलती करता है। बोर्ड से ज्यादा सख्त गलती जो ऐतराज के काबिल हो सकती है। लेकिन चुने हुये जनता के प्रतिनिधियों को प्रेसीडेंट डिजाल्व करे ऐसा अधिकार उसको भी नहीं होना चाहिये। यह एक मौलिक अधिकार है। जब कोई समस्या आती है तो कांग्रेस की ओर से उसको बापूजी का नाम लेकर शुरू किया जाता है लेकिन बापू जी का जीवन ही विकेन्द्रीकरण के प्रयत्न में लगा रहा। आगे चल कर देखिये एक तो छोटे साहब और दूसरे बड़े साहब यानी केन कमिश्नर साहब को भी पूरे-पूरे अधिकार दे दिये गये हैं। प्रजातंत्र में आपको जनता के प्रतिनिधियों को गलती करने का भी मौका देना चाहिये और हम यह सब मूलभूत सिद्धांतों की प्तष्ठभूमि में ही चाहते हैं। जो बोर्ड आप मुकर्रर कर देते हैं, उसको दो बरस तक मौका देना चाहिये। अगर सरकार इस तरह नहीं करती तो मैं कहूंगा कि सरकार केन्द्रीकरण की ओर जा रही है। सरकार कम्युनिस्ट पार्टी का इस संबंध में विरोध करती है। जब केवल कहने की बात होती है तो आप बड़े-बड़े देशों का जिक्र करते हैं लेकिन जब अमल में लाने का सवाल पैदा होता है तो वे पीछे रह जाती है। सरकार चीन का और रूस का नाम लेती है कि वे अधिकारवाद की ओर जा रहे हैं लेकिन सरकार का कौन सा ऐसा व्यवहार है जो विकेन्द्रीकरण की ओर जा रहा है ?

एक और बड़ी अनोखी बात माननीय उद्योग मंत्री जी ने कह दी वह यह कि उन्हीं का तो नामजद किया हुआ बोर्ड है उनको उसके तोड़ने का भी अधिकार होना चाहिये। राम नरेश जी ने कहा कि विरोधी दल तो एक कदम पीछे हट कर बात करता है लेकिन हम तो मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार बातें करते हैं, विरोध करते हैं लेकिन सरकार अपने ही बोर्ड के लिये कहती है कि एक तरफ तो उसकी केवल ऐडवाइजरी कैरेसिटी है, और फिर उसको तोड़ने की भी जरूरत पड़ेगी। मेरी समझ में नहीं आता कि यह किस जहनियत की द्योतक है। १९ आदमियों का बोर्ड और उसके लिये फख्र के साथ आप कहते हैं कि हम उनकी सलाह मानें या न मानें इसके तो साफ माने यह हैं कि आप प्रजातंत्र को बालाये ताक रखना चाहते हैं। सरकार का रुख सेन्ट्रलाइजेशन की ओर है। अब मेरा ख्याल है कि उद्योग मंत्री जी को समझ में यह आ गया होगा कि क्या बात है जिसकी वजह से उनको बोर्ड को तोड़ने का अधिकार नहीं देना चाहते।

श्री अजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(सदस्यगण--हम विरोध करते हैं।)

श्री उपाध्यक्ष--एक भाषण के लिये मैं और अवकाश देता हूं।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तावित अमेंडमेंट के विरोध में खड़ा हुआ हूं। एक जबरदस्त बात इस सदन में कई बार विरोधी

पार्टी की ओर से रखी जा चुकी है कि ट्रेजरी बेंचेज की ओर से बातें बहुत कम समझ में आती हैं। मालूम होता है कि जब समझ का बटवारा हुआ था तो उसमें ज्यादा हिस्सा विरोधी दल वालों को ही मिला था लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इसके बारे में अगर उनसे सबूत मांगा जाय तो मुझे शक है कि उसका वे सबूत दे पायेंगे। जिस प्रकार से दलीलें इस सदन के सामने दी गयीं मैं उसी प्रकार से उनका जवाब देना चाहता हूं। माननीय नारायण दत्त जी ने कहा कि दो साल से पहले बोर्ड की मियाद को खत्म करना ठीक नहीं है, दो साल के पहले उसकी अवधि को समाप्त कर देना सरकार का अनुचित कार्य है। वे कहते हैं कि सदन के माननीय सदस्यों की मेजारिटी की यह ओपीनियन है कि यह प्रतिबन्ध न रखा जाय। मैं कहता हूं कि यह बिलकुल ग़लत है। अगर माननीय सदस्यों की यह राय है तो मैं नहीं समझता कि यहां पर उस अमेंडमेंट को कैरी आउट इस सदन में न कर दिया जाय। जो सजेश्चन माननीय मंत्री जी को दिया गया है कि वे इस सदन के बाहर इनक्वायरी करें और इस सम्बन्ध में पूछें, मैं कहना चाहता हूं कि यह अनकंस्टीटयूशनल और अनपार्लियामेंटरी बात होगी। इसका फैसला तो इसी सदन में हो सकता है इस सदन के बाहर नहीं। जो कुछ मसला सदन में उपस्थित किया जाता है उसका फैसला इसीलिये वोटिंग के जरिये इस सदन में ही हो सकता है। और इस तरह का अनपार्लियामेंटरी मेथड सजेस्ट करना यह किसी माननीय सदस्य को शोभा नहीं देता।

दूसरे बड़े-बड़े उसूलों की बातें इस सदन में की जाती हैं और कहा जाता है कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीच्यूशंस हैं उनको डेमोक्रेटिकली ऐक्ट करना चाहिये। मैं यह बतला देना चाहता हूं कि जो प्रोविजन, जो प्रतिबन्ध इस बिल में रखा गया है कि वह बिल्कुल डमोक्रटिक है, उसका उसूल मैं माननीय सदस्यों को बतला देना चाहता हूं कि जब तक कोई डेमोक्रेटिक इंस्टीच्यूशन या कोई डेमोक्रेटिक व्यक्ति डेमोक्रेटिकली ऐक्ट करता है उसी अवधि में तो उसे उस डेमोक्रेटिक इंस्टीच्यूशन के कायदे के मुताबिक रखा जा सकता है, वरना डेमोक्रेटिक इंस्टीच्यूशन का कायदा यह है कि जब किसी डेमोक्रेटिक इस्टीच्यूशन का साधक बाधक बन जाता है तो उस बाधक को हटा देना ही डेमोक्रेटिक इंस्टीच्यूशन का कायदा है। इसलिये मैं बतला देना चाहता हूं कि अगर कोई बोर्ड जो जनहित के विचार से जनता की प्रगति के लिये बनाया जाय और वह जानता के हित का रक्षक न बन कर, रक्षक की जगह भक्षक बन जाय और साधक की जगह बाधक बन जाय तो उस बोर्ड को खत्म कर देना ही बुद्धिमानी का काम होगा। उसकी अवधि तो पूरे समय तक दी नहीं जानी चाहिये क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीच्यूशन का यह कायदा नहीं है कि वह जनहित का हनन करने लगे। मैंने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीच्युशंस के कानून को बहुत पढ़ा है और यूरोपियन कंट्रीज तथा दूसरे देशों के विधान को भी देखा है लेकिन आज तक मुझे किसी भी देश का लिखित या सुनने में ऐसा विधान नहीं मिला जहां पर कि इस तरह की चीज को अनडेमोक्रेटिक कहा गया हो। इसमें साफ कहा गया है कि जब सरकार की नजर में जब सरकार के दिमाग में रह बात आ जाय कि एक इंस्टीच्यूशन या संस्था जो जनहित के लिये, जनता की सेवा करने के लिये बनायी गयी है जब उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है तो उस संस्था को तोड़ देना ही बुद्धिमानी होगी। और वही इस बिल में रखा गया है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बातें इस सदन में करना यह तो अनुचित होगा और यों कहना कि सारी मेजारिटी के लोग यह चाहते हैं कि जो प्रतिबन्ध है वह हटा दिया जाय तो मेरा यह चैलेंज है कि सदन में जो वोटिंग होती है उसी से आप इस नतीजे को देख सकते हैं। और यही पार्लियामेंटरी इंस्टीटयूशन का कायदा है। उसके बाद इस प्रकार का कोई सजेश्चन देना, मैं समझता हूं कि बुद्धिमानी का काम नहीं होगा।

श्री व्रजभूषण मिश्र--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस प्रस्तुत संशोधन पर वादविवाद समाप्त किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रस्तुत संशोधन पर वादविवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--९०
विपक्ष में--१४)

श्री गेंदा सिंह-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि जिन बातों की ओर मैंने माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान दिलाया था उन बातों का कोई जिक्र न करके उन्होंने और बातों का जिक्र किया और अपना भाषण उनके अतिरिक्त अन्य बातों पर दिया। मैं यह नहीं समझ सका कि उन्होंने इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया कि पिछले जमाने में १५ वर्षों तक कंट्रोल बोर्ड काम करता रहा और उस बीच में क्या कभी आवश्यकता पड़ी कि कंट्रोल बोर्ड को तोड़ दिया जाय? जब मैं यह प्रश्न अपने पहले भाषण में कर रहा था तो उन्होंने बीच में ही, टोककर कहा था कि अगर तुम अपना भाषण समाप्त कर लोगे तो मैं इसके उदाहरण दूंगा। इसका उदाहरण माननीय उद्योग मंत्री जी ने देने की तकलीफ गवारा नहीं की। मुझे विश्वास है कि पिछले जमाने में कभी भी शुगर कंट्रोल बोर्ड को तोड़ने की जरूरत सरकार को नहीं पड़ी और अगर उस शुगर कंट्रोल बोर्ड को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी तो इसके लिए सरकार ने कभी धमकी भी नहीं दी कि वह शुगर कंट्रोल बोर्ड तोड़ दिया जायगा। कानून में कहीं कोई गुंजायश नहीं थी और उसके रूल्स में भी गुंजायश नहीं थी। मैं उपाध्यक्ष महोदय आपकी इजाजत से जिस नियम के मुताबिक शुगर कंट्रोल बोर्ड कांस्टीटचूट किया जाता था, वह मैं आपकी सेवा में पेश करना चाहता हूं। शुगर फैक्टरीज कंट्रोल ऐक्ट, १९३८ के जो नियम बने हुये हैं उनके नियम ४ में बहुत स्पष्ट है कि--

(4) The term of appointment of the Board shall be two years from the 1 st. July each year provided that the term of the first Board will be till 30th June, 1939.

When the place of a member nominated to the Board becomes vacant by the resignation or death of such member the provincial Government shall nominate a new member to fill the vacancy subject to the provisions of such rule 31 and such new member shall hold office for the unexpired residue of the term of office of the member in whose place he has been nominated.

इस कानून में इस बात की आवश्यकता नहीं पड़ी। यह रूल हम लोगों ने पढ़ा है। यह कहना कि इस कानून को बदलने का मौका नहीं मिला और इसके पहले ऐसा नहीं हो सका तो यह बात भी गलत होगी। पिछले जून के महीने में हम लोगों ने शुगर फैक्टरीज कंट्रोल ऐक्ट में संशोधन किया था। जब केन्द्रीय सरकार ने कुछ अधिकार प्रान्तीय सरकार से ले लिये थे तो उस जमाने में एक विधेयक आया और उस विधेयक को इसी सदन ने पास किया। यदि पिछले वर्ष या उससे भी पहले शुगर कंट्रोल बोर्ड की शिकायत थी तो उस जमाने में विधेयक रखना चाहिये था और इस बात की गुंजायश रखना जरूरी था कि शुगर कंट्रोल बोर्ड को तोड़ देने का अधिकार सरकार को दिया जाय लेकिन उस समय सरकार ने यह उचित नहीं समझा और न उद्योग मंत्री जी ने इसकी जरूरत समझी कि ऐसा अधिकार लिया जाय। मैं बहुत अदब के साथ माननीय उद्योग मंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि न सिर्फ पिछले वर्ष अमेंडमेंट इस कानून में हुआ बल्कि सन् १९३८ और १९५२ के बीच में और भी कभी संशोधन हुये हैं। क्या उस जमाने में शुगर कंट्रोल बोर्ड नालायक नहीं बन गया था या उस समय उसको तोड़ने

के अख्तियार की जरूरत नहीं समझी गयी और इस बात की कोशिश नहीं की गयी कि कंट्रोल बोर्ड को तोड़ने के लिये अख्तियार हासिल किया जाय ? ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी इस बात की कोशिश की गयी। ऐसी हालत में मैं यह समझता हूं कि इस तरह का अख्तियार अब लेना गैरमामूली बात है और यह अप्रजातान्त्रिक है। उपाध्यक्ष महोदय मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं यह कहने के लिये मजबूर हूं कि ऐसा करते समय आपके सामने किसानों का हित नहीं है और शुगर फैक्टरीज का हित सामने नहीं है हित सामने उन हजारों मजदूरों का नहीं है ? इस कानून के बनाने की मनशा के और इस कानून में इस तरह के अख्तयारात को हाथ में लेने के उद्देश्य के पीछे कुछ छिपा हुआ है। हमें इस गन्ना बोर्ड के बनाने से यह आशा क़तई नहीं है कि यहां के लाखों किसानों का इस प्रदेश में बसने वालों का, चीनी खाने वालों का या चीनी कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का कोई लाभ होने वाला है।

माननीय उद्योग मंत्री को डर लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं आ जायगा जो शुगर इंडस्ट्री के सम्बन्ध में सरकार की कमजोरियों को सामने लावे। यह सरकार अपनी कमजोरियों से घबराती है और इस मामले में जितनी कमजोरियां यू० पी० की सरकार ने दिखायी हैं वह किसी से छिपी नहीं है। अगर इस वक्त मौक़ा होता तो अकेले एक ही यह इशू ऐसा है कि जिस पर इस सरकार को जनता के सामने जाना मुश्किल हो जाता। कंट्रोल बोर्ड को बनाकर सरकार बिल्कुल अपना गुलाम बनाना चाहती है और स्वयं माननीय उद्योग मंत्री और इस सरकार ने कहा था कि यहां तो कुछ भाई अपने खिलाफ ही बहस करते हैं। हम लोग खिलाफ बहस करते हैं ? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर सरकार को पिछले शुगर बोर्ड से शिकायत हुई तो उन्होंने दुनिया को क्यों नहीं बताया कि क्या शिकायत हुई। वह कहते हैं कि हम गवर्नमेंट हैं और जनता पर हुकूमत करना चाहते हैं लेकिन जो दिक्कतें हैं वह किसी को जनाना नहीं चाहते और मैं कहता हूं कि वह कम से कम अपने लोगों से तो बतलाते, राज परिवार से तो बतलाते। पिछले साल जब सदन इस पर अमेंडमेंट करने के लिये बैठा था उस वक्त माननीय मुख्य मंत्री जी या माननीय उद्योग मंत्री जी कुछ बतलाते लेकिन राज दरबार ने एक बात भी नहीं कही। आज इस तरह का अख्तियार लेकर गन्ना बोर्ड पर तलवार लटकाना चाहते हैं और उससे सरकार जो चाहे कराना चाहती है और वह इस बात से डरती है कि जब कभी सरकार को आवश्यकता पड़े वह पीछे से घूम कर उससे लाभ उठावे। अगर ऐसी ही बात है तो जरूर फायदा उठावे खूब डट कर उठावे, मिलमालिकों से गठबंधा करे और अगर जनता पूछे कि ऐसा क्यों किया तो साफ कह दिया जाय कि हमने क्या किया यह तो सब गन्ना बोर्ड ने किया, वह ५ प्रतिनिधि तुम्हारे ही तो बैठे थे, ५ शुगर फेक्ट्रियों के प्रतिनिधि बैठे थे। अगर किसी वक्त इंडस्ट्री भी टूट जाय तो माननीय मंत्री जी को सिर पर पैर रख कर पार करने की गुंजायश है। गन्ना बोर्ड को सरकारका या माननीय मंत्री जी का गुलाम बना कर नहीं रखा जा सकता। मौजूदा बोर्ड ने मिलमालिकों को जितना फायदा पहुंचाया है क्या सरकार इससे भी ज्यादा फायदा पहुंचाना चाहती है ? अब जनता के जागने का युग है अब सोने का युग नहीं रहा। अगर सरकार अगले जमाने में इस कानून के जरिये शकर मिलों के मालिकों को ज्यादा फायदा पहुंचाने की बात सोचती है और हुकूमत कुछ थोड़ा सा फायदा उठाना चाहती है तो वह दिन लद गये। अब वह दिन आने वाले नहीं हैं। मैं तो अदब के साथइस बात को कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी यू० पी० की सरकार ने किसानों को पहुंचाया है, गन्ने वालोंको नुक़सान पहुंचाया है मजदूरी करने वालों को नुक़सान पहुंचाया है उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा। अगर इस गन्ना बोर्ड को सरकार ने इस तरह से बना दिया तो बुरा करेगी। मुझे तो याद हैं महात्मा जी की दो एक लाइनें हैं जो कि वे अपनी प्रार्थना सभाओं में कहा करते थे। "भाई अपने विरोध से इतना मत घबराओ।" वह तो यह कहते थे, ?"निंदक नेरे बसाइये, आंगन माड़ो छवाय।" अगर विरोधी है तो उसे लाकर रखो, उसे इज्जत दो

[श्री गेंदा सिंह]

ताकि वह हमारी कमजोरियों को बता सके। उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त हम कमजोरी बताने के लिये खड़े होते हैं उस वक्त तो आप हमको अपना दुश्मन समझते हैं। समझते हैं कि नालायक हैं। इनकी बात सुनते मत दो। क्लोजर मूव करो। लेकिन उनका मुंह बन्द करने से क्या हमारा मुंह तो अभी खुला है। मैं आपकी कमजोरियों का मुरव्वत के साथ जिक्र कर रहा हूं। हमारे कुछ माननीय सदस्य ऐसे हैं जो पूरे तौर से आपकी कमजोरियों को खोल कर रखते हैं। इतना ही फर्क है। मैं आपसे कहता हूं कि कि पिछले साल आप कंट्रोल बोर्ड को निकाल पाये और न कानून में गुंजायश रखी कि उसको निकालाना है। कुछ फैक्टरियां पिछले इन्तजाम की खूबी की वजह से इस साल बन्द हो जायंगी। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो यू० पी० की है वह इस हालत में पहुंचे कि फैक्टरियां बन्द हो जायं। तो इन फैक्टरियों के बन्द होने का नतीजा क्या होता है? अगर एक फैक्टरी बन्द हो गयी तो कम से कम २५ हजार किसान गन्ना बोने वाले बरबाद हुए। डेढ़ पौने दो हजार सीजनल और स्थायी मजदूर वह बेकार हो गये। इतना ही नहीं तीन आने प्रति मन केन सेस जो सरकार लेती है वह भी हवा में गया। केन्द्रीय सरकार एक्साइज ड्यूटी जो लगभग चार आने प्रति मन के हिसाब से वसूल करती है वह भी डूबी। और उसके बाद हर पांच वर्ष पर जो कांग्रेस पार्टी एक किस्त अदायगी कराती है वह भी गयी। तो यह सब डूब गया। मुझे कोई शिकायत नहीं है, यू० पी०, की सरकार जिस दल की है वह मजे से शुगर इंडस्ट्री के लाखों रुपये का फायदा उठाये। लेकिन अगर वह लाखों रुपये का फायदा उठाती है तो किस के खर्च पर उठाती है? वह खर्चा खून का पसीना करने वाले उन गरीब किसानों पर पड़ता है। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या इस साल कठकुंइया मिल चलेगी? माननीय उद्योग मंत्री ने तो कम लेकिन माननीय श्रम मंत्री ने तो जीवन भर लीपापोती की। मैं पूछता हूं कि क्या वह चलेगी। डोईवाला मिल चलेगी। किछा में २९ लाख रुपया किसानों का बाकी पड़ा है। उसके लिये पिछले बोर्ड ने क्या किया जब नौ हजार २१ लाख रुपया किसानों का बकाया रह गया तो उस वक्त सदन में क्यों नहीं इस बात का बिल पेश हुआ कि चूंकि यू० पी० सरकार को मौजूदा शुगर कंट्रोल बोर्ड को बरखास्त करने का अधिकार नहीं है लिहाजा उसको तोड़ने का अधिकार दिया जाय, चूंकि शुगर कंट्रोल बोर्ड ने इतनी बड़ी नालायकी की है, उपाध्यक्ष महोदय गन्ना खड़ा रह गया। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी को जानकारी में रखना चाहता हूं कि खड्डा में ६० हजार मन और सिसवा बाजार में एक लाख मन गन्ना खड़ा रह गया। उसके लिये क्यों नहीं इस तरह का कानून लाया गया? लेकिन आज जो बोर्ड बनने जा रहा है उसका कंट्रोल बोर्ड नाम नहीं है, गन्ना बोर्ड है। उस बेचारे बोर्ड पर यह मुसीबत आने वाली है कि किसी तरह से उस बोर्ड को इंडिपेंडेंटली काम करने देने की इच्छा नहीं है हुकूमत की।

तो मैं सुनते-सुनते समझता था कि माननीय मंत्री जी इस पर गौर करेंगे और यह भी समझता था कि क्लोजर मूव करने वाले लोग भी कुछ इस पर सोचेंगे। मैं बहुत अदब के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, यह गुजारिश करना चाहता हूं कि यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसे बहुत आसानी से पास कर दें। पास तो हो जायगा, हम जानते हैं। हमारा दम क्या है? हम यहां खड़े होकर के कुछ बात कह लिया करते हैं। यह तो सदन है कि उस पर विचार करे या न विचार करे और खारिज कर दे, यह उसको अधिकार है। लेकिन मैं चेतावनी दिये देता हूं कि यह सदन इस तरह का बिल पास कर रहा है कि अगले साल सदन पछताएगा।

श्री हुकुम सिंह—सदन?

श्री गेंदा सिंह---सरकार तो पछताएगी नहीं। उसको तो पछताना होगा नहीं। सरकार तो यह समझेगी कि बड़ा शिकार मार लिया हमने। लेकिन हम समझते हैं कि सदन को जिस वक्त यह जानकारी होगी कि इस विधेयक के बन जाने से और गन्ना बोर्ड के सरकार के गुलाम हो जाने से किसानों का अहित हुआ, मजदूरों का अहित हुआ, शुगर इंडस्ट्रीज का अहित हुआ तो मुझे विश्वास है कि सदन अफसोस करेगा। मैं यह समझता हूं और मेरा विश्वास है। इसलिये मैं बिना किसी दूसरी बात के माननी यउद्योग मंत्री जी से फिर एक बार निवेदन करूंगा कि मैं तो उनके मित्र होने का दावा करता हूं। हां इतनी गुस्ताखी तो मैं नहीं करना चाहता कि मैं यह कहूं कि मैं उनका मित्र हूं, लेकिन जिस वक्त वह मुझे मित्र कहते हैं उस वक्त मैं भी एक बालिश्त इस कुर्सी पर उठ जाता हूं कि हमारा मित्र माननीय उद्योग मंत्री है। तो ऐसी हालत में मित्र की एक बात को तो सोचिये और मत लीजिये अपने हाथ में इस प्रकार की पावर क्योंकि यह बड़ा नाशुक्रगुजार काम है, बड़ा थैंकलेस काम है बरखास्त करना किसी को। इसमें कौन लोग होते हैं। कृषि मंत्री जी को बदरखास्त कीजियेगा? किसको बरखास्त कीजियेगा यह जो सचिव हैं उद्योग विभाग के उनको वरखास्त कीजियेगा? अपने ही लोगों को बरखास्त करने का अधिकार आप क्यों लेते हैं? अगर यह गन्ना बोर्ड नालायकी का काम करेगा तो मैं आपसे कहता हूं कि आप उसकी मीटिंग ही न बुलाइयेगा। इस कानून में कहीं इस प्रकार की मजबूरी नहीं है कि गन्ना बोर्ड की मीटिंग बुलाई ही जाय। अगर माननीय उद्योग मंत्री जी ऐसा समझने लगे कि यह गन्ना बोर्ड नालायक बोर्ड है, फिर उसकी मीटिंग न बुलाई जाय। उसकी बात न मानी जाय। जरूरत क्या है?

और फिर अगर सलाह लेने की बात हो, सलाह लेना जरूरी है तो सलाह देने के लिए माननीय श्रम मंत्री जी और उनका विभाग और हमारे काशीनाथ पांडेय हैं। वह बड़े जानकार आदमी हैं इंडस्ट्री के बारे में। फिर उनको बुला लिया जाय और जिनसे इस वक्त पिंड छुड़ाया है उद्योग मंत्री जी ने, जो दूसरी जगह पर बादशाहत करने गये हैं फिर उनको बुला लिया जाय ताकि जितनी फैक्टरी चल रही है वह दो वर्ष में खत्म हो जायं। और गन्ने की उपज बढ़ जायगी। मैं समझता हूं कि माननीय उद्योग मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिये और विचार करके कम से कम यह जरूर सोचना चाहिये कि वह कोई बड़ा अख्तियार नहीं ले रहे हैं। यह बड़ा थैंकलेस काम है और इससे बड़ी बदनामी होगी और नेकनामी की बहुत कम गुंजायश है। इससे गन्ना उत्पादकों का भी नुकसान होना है, शुगर इंडस्ट्री का भी नुकसान होना है। इसलिये मुझे आशा है कि हमारा संशोधन जो बड़ा हार्मलेस है उसको वह मान लेंगे।

श्री हुकुम सिंह--- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्रों की बातों को बड़े गौर से सुना और एक मित्र ने मुझे शिक्षा भी दी, उसको भी मैंने गौर से सुना। ऐसी शिक्षायें मुझे इस सदन में हजारों मर्तबे उस तरफ से मिली हैं और हमेशा निरर्थक साबित हुई हैं और मैंने कभी उसे स्वीकार नहीं किया। हमारे मित्र देवरिया जिले के जिन्होंने कि अभी आखीर में तकरीर की है उन्होंने बड़े जोरों के साथ तकरीर की कि उनका यह विचार है कि यह सरकार गन्ना पैदा करने वाले काश्तकारों की कतई हितैषी नहीं है। उनको दावा इस बात का है कि सिवाय उनके और किसी को, इस सरकार को या और किसी को कोई हक नहीं है जो यह कह सके कि गन्ना ग्रोअर्स के हितैषी हम भी हैं। यह उनको भ्रम है और गलतफहमी पर मबनी है। यह सरकार जिस कदर गन्ना ग्रोअर्स की हितैषी है उस कदर दावा हमारे मित्र उस तरफ के नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो गलत दावा है। इस सरकार का हमेशा यह प्रयत्न रहा है और हमेशा इस बात की कोशिश यह सरकार करती आयी कि हम किस तरीके से इन किसानों के हकूक का तहफुज करें। यह बात मेरी समझ मे नहीं आती कि जमींदारी ऐसी पुरानी प्रथा जिसका

[श्री हुकुम सिंह]

विनाश करके इस सरकार ने इस सूबे के किसानों का हित करने को कोशिश की है, वह सरकार के न ग्रोअर्स के हितों की रक्षा नहीं करेगी। यह एक ऐसी बात है जो किसी की समझ में नहीं आती। भले ही हमारे मित्र सन्तोष कर लें यह कह करके लेकिन न तो इधर के लोग, न ऊपर के लोग और न बाहर के लोग इस पर यकीन करेंगे। इस सरकार ने तो यह विश्वास करा रखा है कि किसानों के हितों की रक्षा करने वाली केवल यह सरकार ही है। मैं तो यह अर्ज करना चाहता हूं, हमारे मित्र देवरिया जिले के जो हैं उन्हों ने यह फर्माया, यह संकेत किया कि गन्ना उत्पादनों के हितों का जरा भी सरकार को ख्याल नहीं है बल्कि कुछ और हित हैं जो कि पर्दे के अन्दर हैं। मैं जानना चाहता था अपने माननीय मित्र से कि वह हिम्मत के साथ कहते कि वह कौन से हित हैं जो कि दरपरदे हैं। मैं दावे से कहता हूं कि यह उनका ख्याल ग़लत है और इस तरह की बात इस सदन में प्रकट करना एक स्तर से नीचे गिरकर बात करना है। सरकार अपना कार्ड खुल कर खेलती है और टेबुल पर रख कर खेलती है, कांग्रेस ने कभी छिपकर इस तरह का कोई कार्य नहीं किया है। जो उद्देश्य इस विधेयक का है वह साफ है कि केन ग्रोअर्स के हितों की रक्षा की जाय, फैक्ट्रीज कायम रहें, सूबे में सबका फायदा हो और यही इसका तात्पर्य है और यही इसका मुख्य उद्देश्य है। लिहाजा इस तरह की बातों को छेड़ना और एक नीचे स्तर पर उतर कर बात करना, मैं तो कम से कम इस जगह से ऐसा नहीं कर सकता वरना मचल जायंगे कि हम प्रवर समिति में नहीं बैठेंगे क्योंकि उद्योग मंत्री जी ने ऐसी बातें कह दीं। लेकिन मैं भी बातें ऐसी कर सकता हूं जोकि लाजवाब हो सकती हैं। मैं तो मित्रों को ऐसा जवाब दे सकता हूं कि उनको खामोश हो जाना पड़े लेकिन मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता हूं। मैं एक स्तर से नीचे गिर करके बात नहीं करना चाहता हूं।

हमारे मित्र ने फरमाया कि शुगर कंट्रोल बोर्ड ने इतनी ख़राबियां कीं लेकिन उसे कभी मंसूख नहीं किया। पारसाल जब बिल आया था तब भी उसमें कोई ऐसा संशोधन नहीं हुआ था। हां मेरा कुसूर था कि नहीं किया लेकिन श्रीमान् ने भी कोई तरमीम नहीं पेश की। आप ही पेश करते कि यह खामी रही जाती है। मैं तो यह कहता हूं कि वाक़ई मुझे जरूरत नहीं महसूस हुई। हमारे मित्र को उस कंट्रोल बोर्ड के खिलाफ बड़ी शिकायतें थीं और मुतादिद बार इस सदन में उसका जिक्र किया गया। आज भी उसका हवाला दिया गया, लेकिन आपको अगर शिकायत थी तो आपने क्यों नहीं सुझाव दिया? क्या आप हमारी गर्दनें ही काटने के लिये हैं और सुझाव देने के लिये नहीं हैं। आज मेरे मित्र इतनी शिकायतें कर रहे हैं, मुमकिन है कि उनमें कुछ तथ्य हो लेकिन पावर न होते हुये कुछ नहीं हो सकता। अगर पहले के ओमीशन्स से हम एक सबक लेते हैं और हम एक बोर्ड बनाते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम को इतना अधिकार और होना चाहिये कि. अगर हम यह देखें कि यह उपयोगी बोर्ड नहीं साबित होता तो हम उसे एबालिश भी कर दें, तो इसमें क्या अनुचित है? मैं जानता हूं कि अगर हमारे मित्र खुदा न ख्वास्ता किसी वजह से बोर्ड में न हो सके तो हमारे पास कल आयेंगे और पचासों खिलाफ बातें मुझसे कहेंगे कि यह बोर्ड बड़ा ख़राब है, तो फिर आप ही बतलाइये कि उस वक्त मैं क्या करूंगा? यही मैंने अपनी उस स्पीच में कहा था कि उस हालत में मैं अपने दोस्त की ख्वाहिशात भी पूरी नहीं कर सकूंगा। यही मेरी मंशा थी। हम कोई बात दरपर्दा रखते नहीं हैं। सिर्फ यही मेरी मंशा थी कि अगर खुदा न ख्वास्ता आप नहीं आये और उसमें आपने कोई ख़राबी देखी और फिर मुझसे शिकायत की, तो मैं क्या करूंगा, बे बस हो करके बैठ जाऊंगा और कह दूंगा कि गेंदा सिंह मैं कुछ कर नहीं सकता। इसीलिये मैं यह चाहता हूं कि इसमें यह अधिकार रहे। हमारे मित्र ने यह फरमाया कि सरकार डरती है कि कोई ऐसा आदमी आ जायगा जो सरकार की कमजोरियों को एक्सपोज करेगा। मारो घुटना, फूटे सिर, वाली बात है। तरमीम में यह है कि डिज़ोल्यूशन नहीं होना चाहिये और कहा यह जाता है कि यह इसलिये है कि इसमें ऐसा आदमी न आ जाय जो सरकार की कमजोरियों को एक्सपोज करे। अगर आप कहते हे कि नामिनेशन नहीं होना चाहिये तो

मैं समझता कि इसमें फोर्स है कि नामिनेशन की वजह से फारेन एलीमेंट नहीं लेना चाहते। उसको हमारे मित्र निगल गये। लेकिन हम डिजोल्यूशन की पावर लेते हैं तब आप कहते हैं कि सरकार डरती है कि कोई फारेन एलीमेंट आ जायगा तो सरकार की कमजोरियां एक्सपोज हो जायंगी। जब वे आकर के उसमें सर्व करेंगे तब एक्सपोजर नहीं होगा लेकिन जब वे वापस कर दिये जायंगे तब एक्सपोजर होगा। जरा यह देख करके बात करनी चाहिये कि क्या संगत है और क्या असंगत है क्योंकि यहां समझदारों की मीटिंग है, एलेक्शन की मीटिंग नहीं है। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार को कभी खौफ नहीं होता। सरकार का खेल हमेशा खुला रहता है। लिहाजा एक्सपोजर की कोई गुंजायश नहीं है। जहां खुफिया बात रखनी हो वहां अन्देशा रहता है। वाक़या यह है कि जैसा मुंह होता है वैसा ही शीशे में दिखाई देता है। मैं इस बात का यकीन दिलाता हूं कि सरकार अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिये कोई उद्योग नहीं करती है। मैंने तो यह अर्ज किया कि आप कहते हैं कि क्या कठकुइया मिल चलेगी। अगर आपकी मेहरबानी होगी तो नहीं चलेगी, नहीं तो हम जरूर चलाने की कोशिश करते। आप कहते हैं कि क्या पडरौना मिल चलेगी, क्या किच्छा मिल चलेगी, हम उद्योग कर रहे हैं, आप लोग अगर अड़ंगा डालेंगे तो नहीं चलेगी। मेरा क्या दोष है? आप यह चाहते हैं कि न चले, एक एजीटेशन पैदा हो और आप उसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करें। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में नाजायज फायदा न उठाइये, इसमें जनता का बड़ा नुक़सान है। लिहाजा हमसे सहयोग कीजिये, मेरी मदद कीजिये ताकि मैं कठकुइयां क्या उससे भी जो रद्दी मिल हो उसे भी चलाने की कोशिश करूं। सरकार का यह पूरा पूरा प्रयत्न है और यह सब मिलें चलेंगी और अगले सीजन में चलेंगी।

हमारे किसी मित्र ने फरमाया कि बड़ा रुपया बाकी रह गया। कोई ऐसा सेशन नहीं गुजरता जिसमें देवरिया से एक सवालों की लिस्ट न आ जाती हो कि कितना रुपया फलां तारीख से फलां तारीख तक बाकी है। मैं भी हिम्मत नहीं हारता, बताता रहता हूं कि इतना रुपया बाकी है, और जितना रुपया वसूल हो जाता है वह भी बताता रहता हूं। लेकिन मेरे मित्र को कभी इतमीनान नहीं। ९ करोड़ रुपया बाकी था अब सिर्फ लाखों में बाकी रह गया है लेकिन फिर भी हमारे मित्र को इतमीनान नहीं। मुमकिन है कि यहां से सवाल जवाब ले करके वहां पढ़ते हों और उससे कोई फायदा होता हो वरना अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब कोई इसकी अहमियत नहीं बाकी रह गई है। किन परिस्थितियों में बकाया रहा। मुताद्दिद बार माननीय मुख्य मंत्री ने और बन्दे ने भी बताया कि क्यों बकाया रह गया। पारसाल १९५१-५२ में १६ करोड़ टन का मिलों के पास बांड था पेरने के लिये। लेकिन गुड़ और खंडसारी सस्ती हो जाने की वजह से जितने केन ग्रोवर्स थे सबने खंडसारी और गुड़ में गन्ना देना मुनासिब नहीं समझा लिहाजा सब ने यही चाहा कि मिलों में ही हमारा गन्ना पेरा जाय। कानूनन हम मिल वालों को मजबूर नहीं कर सकते थे सिर्फ १६ करोड़ टन का बांड था और इसी के लिये हम उन्हें मजबूर कर सकते थे। लेकिन हमने किसी तरह से २४ करोड़ टन पेरवाया यानी ८ करोड़ टन अधिक पेरा गया। अगर वह पेरा न जाता तो कितने करोड़ों रुपयों का नुकसान ग़रीब जनता को होता लिहाजा हम लोगों ने किसी तरह से समझाकर, बुझाकर, कानून के खिलाफ हमने उनका सारा गन्ना पेरवा दिया और उस वक्त हमको मिल ओनर्स को कुछ सहूलियत भी देनी पड़ी। अगर वह पेरने के लिये न तैयार होते तो हम बेबस हो जाते। उस सूरत में अगर वह पेरा न जाता तो हमारे भाई गेंदा सिंह जी को खुशी होती और अगर गन्ना जला दिया जाता तो उनको कुछ कहने का मौका मिल जाता। यह नहीं देखते हैं कि जलाने में जनता का कितना नुक़सान होता और कितना उनका दिल जलता।

श्री गेंदा सिंह—अभी कितना बाकी है ?

श्री हुकुम सिंह—जो बाकी है हम दिला रहे हैं। एक एक पाई दिला देंगे। आप कहते रहिये और हम दिलाते जायंगे। तो इस वजह से हमें उनको सहूलियत देनी पड़ी।

[श्री हुकुम सिंह]

लेकिन आप यह बात नहीं कहेंगे कि किसी तरह से सरकार ने यह अच्छा काम किया और बांड के अलावा गन्ना पेरवा दिया लेकिन यह कहेंगे कि रुपया नहीं दिलाया। किन परिस्थितियों में रुपया बाकी रहा यह नहीं देखेंगे। श्री जगन्नाथ मल्ल जी को भी खास तौर से देवरिया में वही काम करना पड़ता है। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप साफ कहिये, अगर सरकार ने अच्छा काम किया हो तो उसे भी कहिये. और अगर बुरा काम किया हो तो उसे भी कहिये, लेकिन आज तक दिल में यह इश्तियाक बाकी रह गयी है कि कभी फूटे मुंह से यह कह दिया जाता कि सरकार ने यह अच्छा काम किया। अ, श्रीमन् आपके जरिये से कहना चाहता हूं कि जनता खूब जानती है कि सरकार ने क्या क्या किया।

जहां तक इस तरमीम का ताल्लुक है, यह तरमीम तो ऐसी है कि मैं इस तरमीम को मान नहीं सकता और खुद जैसा कि मैंने अर्ज किया कि जो माननीय सदस्य उस तरफ उसकी ताईद में हैं हमारे भाई श्री कैलाश प्रकाश, राजा जगम्मनपुर उनको जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की बात याद आई, वह तैयार हो गये वरना कोई ऐसी बात नहीं थी। असल में राजा साहब जगमनपुर को यह बात कहनी थी कि हमारी फैक्ट्रीज से साठगांठ है और फैक्ट्रीज की हमसे साठगांठ है। सिर्फ यह एक जुमला कहने की जरूरत थी। मैं तो कहता हूं कि इस तरमीम की ताईद करके उससे आइन्दा जनता का लाभ नहीं होने वाला है बल्कि नुक़सान का एहतमाल है नहीं तो मैं सब के मश्विरे मान लेता। लेकिन जिसमें जनता का नुक़सान होगा उस मश्विरे को मैं कभी नहीं मानूंगा। एक बात मैं और अर्ज कर दूं कि हमारे डिप्टी लीडर, अपोजीशन ने फरमाया वही पुरानी दकियानूसी बातें सिद्धान्त की ? जब कि आप पुरानी बातों के बड़े खिलाफ हैं। मैं तो कहता हूं कि पुरानी बातें ऐसी होती हैं कि उनको एकबारगी बश एसाइड करने में कोई अक्लमंदी नहीं है। आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनिसिपल बोर्ड के सुपरसेशन की पावर देते हैं जो इलैक्टेड बाडीज हैं। लेकिन अगर नामीनेटेड बाडी को डिजाल्व कर दिया जाय तो आसमान फट पड़ा मेरे मित्र ने यही कहा कि हुकुम सिंह को, उद्योग मंत्री को, अपने में विश्वास नहीं है। मैं इतना कायर नहीं हूं और न इतना पेसोमिस्ट हूं। मैं समझता हूं कि हर आदमी को अपने में विश्वास रखना चाहिये और जिस वक्त विश्वास उठ जायगा उस वक्त आप मुझे यहां नहीं पावेंगे। वह आदमी आदमी नहीं जो अपने में विश्वास नहीं रखता। मैं तो कहता हूं कि मुझे पूरा विश्वास है। यह एक जमात १५,२० आदमियों की होगी जिसमें कुछ फैक्टरी के और कुछ शुगर केन सोसाइटीज के भी नुमाइन्दे होंगे। किसी के माथे पर तो लिखा नहीं होता है कि वह काम को रोकेगा या आगे बढ़ावेगा। इसलिये यह पावर सरकार को रहनी चाहिये।

फिर एक बात हमारे देवरिया के मित्र ने कही, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि लोग नाराज हो जाते हैं।

श्री गेंदा सिंह— नाम लेने में शर्म की कोई बात नहीं है।

श्री हुकुम सिंह—अच्छा, तो ठाकुर गेंदा सिंह ने कहा था कि इसमें मीटिंग की तारीख तो रखी ही नहीं गई। मैं क्या बताऊं ? सब चीजें ऐक्ट में ही नहीं होती हैं। रूल्स में भी कुछ चीजें होती हैं और बहुत सी बातें हैं जो रूल्स में आवेंगी। लिहाजा यह कहना सिर्फ अपनी तक़रीर को लम्बी करने के लिये हो सकता है, वरना उसका बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है ? मीटिंग अगर नहीं हो तो उसे बनाने की जरूरत ही क्या है। इसलिये यह शिकायत भी बेजा है।

मैंने सदन का बहुत समय ले लिया है, मैं माफी चाहता हूं।

मेरे मित्र नैनीताल वाले ने फ़रमाया था कि हुकुम सिंह सूक्ष्म में बोलते हैं। यह शिकायत उनको है। इस वजह से मैंने लम्बी तक़रीर कर दी क्योंकि सूक्ष्म समझने में जरा अक्ल की जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (३) की पंक्ति १ से शब्द "किन्तु" से लेकर आगे के शब्द हटा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

विपक्ष में---१०८
पक्ष में---२१।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

बोर्ड के कार्य। ४---बोर्ड राज्य सरकार को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में परामर्श देगा, अर्थात् :

(क) चीनी की फैक्टरियों के निमित्त गन्ने की खरीद तथा पूर्ति के विनियमन से सम्बद्ध विषय,

(ख) गन्ने के विभेद जो चीनी की फैक्टरियों में प्रयोग के लिये उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त हों,

(ग) फैक्टरियों के अध्यासियों (occupiers of factories) अथवा प्रबन्धकों, गन्ना उत्पादकों, गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति, गन्ना विकास परिषद् तथा खरीदारी एजेण्टों के बीच समुचित संबंध बनाये रखना;

(घ) अन्य ऐसे विषय जो नियत किये जायं।

श्री गेंदा सिंह--- माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ४ में उपखंड (घ) के रूप में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं और उपखंड (घ) को उपखंड (ङ) के रूप में रख दिया जाय :---

"(घ) गन्ने की क़ीमत के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सलाह देना जिसके अनुसार राज्य सरकार भारतीय सरकार को सलाह दे सके।"

उपाध्यक्ष महोदय, पहले जो शुगर कंट्रोल बोर्ड अपने प्रदेश का था, उसकी ड्यूटी और कर्त्तव्यों में यह भी था लेकिन इसकी सलाहकारिणी हैसियत पहले भी थी। लेकिन प्रतिवर्ष गन्ने का दाम निश्चित होने के पहले जब हिन्दुस्तान की सरकार निश्चित करना चाहती थी तो उसकी एक या दो मीटिंग प्रान्त में होने के बाद उसके लिये कुछ आवश्यक आंकड़े इकट्ठे किये जाते थे, उत्तर प्रदेश के गन्ना विभाग के अधिकारियों की सलाह मांगी जाती थी, सभी मिल मालिकों की भी सलाह उसमें मांगी जाती थी और जो लोग भी उसमें दिलचस्पी रखने वाले होते थे उनकी सलाह से भी सरकार लाभ उठाती थी। जब कभी सीधे उत्तर प्रदेश की सरकार को यह हक़ हासिल था कि वह गन्ने का दाम तय करे तो फिर उस शुगर कंट्रोल बोर्ड के फैसले का बड़ा महत्व रहता था और उसी शुगर कंट्रोल बोर्ड के निर्णय के अनुसार सरकार को अपना निर्णय देने में आसानी होती थी। अब यह सही है कि कीमत तय करने का अधिकार हिन्दुस्तान की सरकार ने ले लिया है लेकिन अमल में यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार से हिन्दुस्तान की सरकार सलाह मांगती है। हिन्दुस्तान की सरकार को सलाह देना में समझता हूं कि यह कोई उत्तर प्रदेश की सरकार की शान के खिलाफ नहीं होगा यदि यह सलाह दी जाय और इस सलाह के अनुसार हिन्दुस्तान की सरकार कुछ यहां की इस इंडस्ट्री के बारे में सोच सके और यहां की परिस्थिति के अनुसार कीमत को तय करने में कुछ

[श्री गैंदा सिंह]

निर्णय कर सके तो उससे इस प्रदेश का लाभ होगा। यह बात सही है कि सारे हिन्दुस्तान की क़ीमत तय करते हुये हिन्दुस्तान की सरकार इस बात को ध्यान में रखती है कि किसी प्रदेश में गन्ने की क़ीमत कुछ कम तो नहीं करनी चाहिये। यदि माननीय उद्योग मंत्री जी इस वक्त यह मेहरबानी करें कि सारे हिन्दुस्तान में पिछले वर्ष की गन्ने कीमत हिन्दुस्तान की सरकार ने क्या तय की थी तो उससे हमें अपना फैसला करने में कुछ आसानी होगी। वैसी हालत में मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने गन्ना बोर्ड से इस मामले में सलाह लेने में कोई संकोच नहीं होना चाहिये। यह बात सही है कि अभी इसके पहले माननीय उद्योग मंत्री जी जो गन्ना बोर्ड बनेगा उसके बारे में बहुत से ख्यालात अपने जाहिर किये हैं और उसमें ऐसी ऐसी बातें भी उन्होंने कहीं जिनकी ओर हम भी ध्यान नहीं देना चाहते हैं और न उसके लिये यह मौक़ा है लेकिन जब यहां का गन्ना बोर्ड इतने बुद्धिमान लोगों का बनाया हुआ है जिसमें स्वयं हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी, हमारे माननीय कृषि मंत्री जी, कुछ टेक्निकल नालेज रखने वाले लोग, कुछ गन्ने की खेती के सम्बन्ध में जानकारी रखने वाले लोग और मिल मालिक, सभी स्वार्थों के लोग मौजूद हों तो उसकी सलाह ले लेना सरकार के लिये कोई बुरी बात नहीं होगी। मैं कोई कारण नहीं समझता कि इस संशोधन को भी माननीय उद्योग मंत्री जी स्वीकार न करें। एक बात यह जरूर हो सकती है कि उसकी सलाह इस उत्तर प्रदेश की सरकार की सलाह से भिन्न हो। तो बात क्या है? अरे, उस गन्ना बोर्ड की सलाह को मानने के लिये तो सरकार बाध्य है नहीं। लेकिन इतना जरूर होगा कि उससे सरकार को सहायता मिलेगी भिन्न भिन्न स्वार्थों की राय की जानकारी हासिल करने में और उससे संभव है कि हम इंडस्ट्री को और ईख उत्पादकों को एक साथ लाभ पहुंचा सकेंगे और उसके कहने पर अगर माननीय उद्योग मंत्री जी कहेंगे तो हिन्दुस्तान की सरकार भी उनकी बातों पर पूरी तौर से ध्यान देगी और पूरी तरह से ध्यान रख कर फैसला करेगी। इस बात का भी माननीय सदस्यों को और सदन को ध्यान रखना होगा। अगर सोचा जाय तो आधी समस्या उत्तर प्रदेश की है और आधी में समूचा भारत है। बदकिस्मती से मैं देवरिया का रहनेवाला हूं जहां पर १५ चीनी की मिलें हैं। और जहां तीन चौथाई से ज्यादा में ईख की खेती होती है। अगर मैं भी ऐसी जगह से होता जहां ईख की खेती न होती तो मुझे उनकी बात याद न रहती। लेकिन मुझे तो इस बात का गौरव है कि मैं कभी उनकी बात को नहीं भूलता। माननीय उद्योग मंत्री जी को शिकायत है और उन्होंने इस बात का मजाक उड़ाया कि जब मैं देवरिया से चलता हूं तो एक चिट्ठा लेकर चलता हूं, गन्ने वालों का चिट्ठा लेकर चलता हूं। अगर मैं गन्ने वालों का चिट्ठा लेकर नहीं चलूंगा तो क्या मोटर का चिट्ठा लेकर चलूंगा? या बड़े बड़े महलों का चिट्ठा लेकर चलूंगा? मेरे पास तो ग़रीब और किसानों का ही चिट्ठा होगा, मालगुजारी में जिनका वारंट निकला है उनका चिट्ठा होगा, मजदूर जो तकलीफों के कारण मकानों से भाग गये हैं, उनका चिट्ठा होगा और इन्हीं चिट्ठों को लेकर मैं देवरिया से चलता हूं जब मैं इस तरह की बातें कहने लगता हूं तो माननीय उद्योग मंत्री को दर्द होने लगता है, और यह दर्द न मालूम कहां होने लगता है। उन्हें शिकायत होती है कि हुकूमत के सामने ऐसी बातें लेकर क्यों आता हूं। अगर ऐसे चिट्ठों को लेकर मैं यहां न आऊं तो मेरा यहां पर आना बेकार है, मेरे आने की यहां आवश्यकता ही नहीं है। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह मसला यू० पी० का मसला है, उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों का मसला है

जब टैरिफ बोर्ड बैठा तो उसने इस मसले में अपनी भिन्न-भिन्न रायें जाहिर की। उन्होंने लिखा कि फलां प्रदेश में गन्ने की क़ीमत यह होनी चाहिये और फलां प्रदेश में यह होनी चाहिये। उत्तर प्रदेश के लिये भी उसमें संकेत किया गया था। उसने लिखा कि इसके लिये उत्तर प्रदेश को कई रीजेंस में बांट दिया जाय और इस प्रकार से उनकी कीमत में हेरफेर हो। मैं उन भिन्न-भिन्न रीजन्स

को तो सपोर्ट नहीं करता हूं लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि जब कोई २०० या ३०० मन गन्ना पैदा करता है तो उसके लिये यह आवश्यक है कि किसान को उसकी मेहनत का फल अवश्य मिले और यह चीज केवल उत्तर प्रदेश का गन्ना बोर्ड ही समझ सकेगा, यह हिन्दुस्तान का गन्ना बोर्ड, शुगर कंट्रोल बोर्ड या हिन्दुस्तान की सरकार इस बात को नहीं समझ सकेगी । इसलिये मैं सोचता हूं कि जब गन्ना बोर्ड को केवल सलाह देने का अधिकार है और गवर्नमेंट को मजबूर करने का कोई सवाल नहीं है, उसकी सलाह मानी जाय या न मानी जाय, तो उसको यह मौका अवश्य दिया जाना चाहिये। कुछ देर पहले उन्हें बड़ा उद्वेग हुआ और उन्होंने बड़ी कड़ी कड़ी बातें सुनायीं। तो मैं चाहता हूं कि किसी प्रकार से कोई एक अच्छी बात तो मानी जाय, कोई बात मानी जाय। मेरी समझ में यह बात उनको परेशान करने वाली नहीं है बल्कि उनको मदद पहुंचाने वाली है। इससे हमारी भी मदद हो सकेगी और खासतौर से जिस देवरिया से उनकी शिकायत रहती है कि मैं बराबर देवरिया का एक चिट्ठा लिये तैयार रहता हूं उस देवरिया की भी मदद होगी, मेरठ की मदद होगी, सबकी मदद होगी, गन्ना बोने वालों की मदद होगी। आपकी समझ में जो सही राय हो उसको तो आप मान लें। ऐसा करने से सबका लाभ हो सकता है और अगर सरकार अपनी मनमानी करना चाहती है तब तो फिर कोई बात नहीं है। यह तो हम मान ही नहीं सकते कि यू० पी० सरकार हिन्दुस्तान की सरकार को सलाह नहीं देगी गन्ने की कीमत के तय करने में। क्या माननीय उद्योग मंत्री जी यह कह सकते हैं कि अब यू० पी० की हुकूमत आगे हिन्दुस्तान की हुकूमत को गन्ने की कीमत मुकर्रर करने में कोई सलाह नहीं देगी? अगर वे इस बात को कबूल कर लें कि यू० पी० की सरकार इस प्रकार का कोई सलाह नहीं देगी और यू० पी० की सरकार इस बात की कोशिश नहीं करेगी कि गन्ने की उचित कीमत किसानों को मिले तो मेरा संशोधन बेकार है और उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापस ले लूंगा। लेकिन माननीय उद्योग मंत्री जी से यह मैं जरूर कहलवाना चाहूंगा कि वे इस बात को कह दें कि यू० पी० की सरकार गन्ने की कीमत के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान की सरकार को कुछ नहीं कहेगी, कोई सलाह नहीं देगी और न उसके लिये कोई प्रयत्न करेगी। अगर इतनी बात वे कबूल कर लें तो मैं अपने संशोधन को वैसी हालत में रखने के लिये तैयार नहीं हूं। फिर मैं उनसे यह सलाह, यह प्रार्थना व निवेदन जरूर करूंगा कि अगर माननीय उद्योग मंत्री जी यह कहना भी चाहते हों तो ऐसा न कहें। इसलिये न कहें कि इससे हमारा अहित हो जाने वाला है। जो लोग देहली में बैठे हुये हैं, मैंने कभी-कभी सुना है कि वे कभी-कभी ऐसा सोचते हैं कि यू० पी० में शुगर इंडस्ट्रीज कई जगह तो ऐसी है कि जिसे उठा कर दक्षिण भारत में ले जाना चाहिये। वहां का मालूम नहीं कि कौन सा क्लाइमेट है जहां ज्यादा गन्ना पैदा होगा और अच्छी रिकवरी पड़ेगी। तो हम तो इस तरह की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारी जनसंख्या इतनी है, हमारी मुसीबतें इतनी हैं कि हम किसी भी फैक्टरी को उत्तर प्रदेश से हटाने की सलाह नहीं दे सकते। मुझे विश्वास है कि चाहे जो भी फायदा यू० पी० की हुकूमत सोचती हो लेकिन यह तो वह जरूर सोचती ही होगी कि उत्तर प्रदेश में शुगर इंडस्ट्रीज बनी रहे। अगर उत्तर प्रदेश में शुगर इंडस्ट्रीज न बनी रहे तो इससे दोनों का लाभ नहीं हो सकता है, एक ही का लाभ हो सकता है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से हार्मलेस संशोधन को माननीय उद्योग मंत्री जी स्वीकार करें।

श्री हुकुम सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के सम्बन्ध में बहुत ही मुख्तसर बोल कर फिर भी अपने माननीय मित्र को कुछ डिसएप्वायंट ही शायद करूं लेकिन इसके ऊपर कोई लम्बी तकरीर करने की जरूरत नहीं है। हमारे मित्र यह चाहते हैं कि बोर्ड के फंक्शन में इतना और जोड़ दिया जाय कि बोर्ड राज्य सरकार को गन्ने कीमत निर्धारित करने के लिये मशविरा दे। बदकिस्मती से मैं वकील भी हूं, इस वजह से

[श्री हुकुम सिंह]

मुझे कुछ दिक्कत पड़ जाती हैं वरना मैं उस अमेंडमेंट को बात मान भी लेता केन्द्रीय सरकार को यह हक है, मैं श्रीमान् की आज्ञा से उसे पढ़ देना चाहता हूं...

"The Central Government. may after consultation with such authorities, bodies or associations as it may deem fit by notification in the Official Gazette from time to time fix in respect of any area the minimum price to be paid by producer or his agent for sugarcane purchased by him in that area."

इसमें उनको आप्शन है चाहे वह सलाह करें या न करें या जिससे मुनासिब समझें सलाह करें। लिहाजा यह बात निश्चित नहीं है कि राज्य सरकार से केन्द्रीय सरकार इस मामले में जरूर परामर्श लेगी ही। करे या न करे। जो मामला खुद ही द्विविधा में हो और जब यही तय नहीं है कि भारत सरकार मशविरा लेगी या नहीं तब हम क्या प्राविजन ऐक्ट में कर दें कि नहीं बोर्ड से हम जरूर परामर्श लेंगे। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बेकार के लिये ऐसा कानून बनाना जरा उचित नहीं मालूम होता। हमारे बड़े भाई कहते हैं कि गलत है। मैं कहता हूं कि ऐसा कानून बना देना उससे भी ज्यादा और बिल्कुल गलत है। मैं यह कहता हूं कि धारा ४ के (घ) में है कि "अन्य ऐसे विषय जो नियत किये जायं।" इतना जेनरल क्लाज है कि उस बारे में भी बोर्ड से मशविरा हो सकता है। यदि हम यह देखेंगे कि केन्द्रीय सरकार हमसे मशविरा करती है और यह बात तय हो जाय डेफनिटली (निश्चित रूप से) तो हम इस बात को नियम में रख सकते हैं कि बोर्ड हमको मशविरा दे। बोर्ड हमारा दुश्मन तो है नहीं। जितना फायदा उसके द्वारा उठा सकेंगे हम उठाने की चेष्टा करेंगे। यह बात कैसे मान ली जाती है कि हम बोर्ड से मशविरा न करेंगे। अगर हमसे मशविरा किया गया तो हम जरूर बोर्ड से मशविरा करेंगे बशर्ते केन्द्रीय सरकार हमसे पूछे। लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं और खामख्वाह के लिये बोर्ड से मशविरा लेने के लिये पाबन्दी लगा देने से तो मेरे कलेजे में दर्द पैदा हो जाता है। मुझे ऐसे तो दर्द नहीं होता लेकिन मुझे उनकी तकलीफ को देख कर जरूर तकलीफ होती है। तो हमारे मित्र यह कहते हैं कि उनकी तरमीम बहुत माकूल है लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि एक मरतबे मेरी बात मान लीजिये ताकि मेरे दिल में इत्मीनान बाकी रह जाय। आप वापिस ले लीजिये और जिस वक्त केन्द्रीय सरकार हमसे मशविरा मांगेगी उस वक्त मैं नियमों में रख दूंगा यह मैं आपसे कहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप अपना संशोधन वापिस ले लेंगे। मुझे आशा है कि उपाध्याय जी जरूर उनको मशविरा देंगे कि वे इस संशोधन को वापिस ले लें और डिप्टी लीडर तो कम से कम जरूर मशविरा दे देंगे कि वह इस संशोधन को वापिस ले लें।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय गेंदा सिंह जी ने सदन के सामने पेश किया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मुझे माननीय उद्योग मंत्री जी के भाषण को सुनकर कुछ अचम्भा सा हुआ। उनका कहना है कि यह जरूरी नहीं है कि केन्द्रीय सरकार हमारे प्रान्त की सरकार की राय गन्ने की कीमत निर्धारित करते समय ले हो। वह ले या न ले। मैं समझता हूं कि हमारे हिन्दुस्तान की जो केन्द्रीय सरकार है वह इतनी समझदार है कि वह अवश्य इतने बड़े प्रान्त की जहां पर चीनी के बहुत से कारखाने हैं और जहां के लाखों किसान गन्ना बोते हैं वहां की सरकार की राय गन्ने की कीमत मुकर्रर करने में लेगी। अगर न ले तो जरा ताज्जुब की सी बात होगी। और मैं इसीलिये माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस संशोधन को वह अवश्य स्वीकार कर लें क्योंकि वह राय अवश्य लेंगे और उस राय में बजाय कोई एक आदमी राय दे और लोग भी अगर अपनी राय उस बोर्ड में दे दें तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? माननीय मंत्री जी ने खुद कहा कि जब

वह राय लेंगे तब इस बोर्ड से राय ली जायगी। अगर यह बात है तो उनको यह संशोधन मान लेने में क्या एतराज हो सकता है। वह एडवाइजरी बोर्ड से है उसकी बात आप मानें या न मानें और अगर बोर्ड अपनी राय दे भी दे तो आप उसको भेजें या न भेजें इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम यह चाहते हैं कि उसमें चीनी मिल के मालिकान भी रहेंगे और उसमें गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधि भी रहेंगे और दूसरे लोग जो एक्सपर्ट हैं वह भी उसमें रहेंगे। इसलिये इस बोर्ड की राय जो इस मसले पर रहेगी उसको केन्द्रीय सरकार अवश्य मानेगी। वैसे तो मैं गन्ने के सिलसिले में कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता था मगर मेरी हिम्मत तो तब हुई जब मैंने देखा कि उधर से ऐसे लोग भी बोलने लगे जिनके यहां गन्ना पैदा भी नहीं होता है।

(इस समय ४ बजकर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

इसलिये मैंने भी सोचा कि मैं भी गन्ने पर कुछ बात कर डालूं क्योंकि गन्ना एक ऐसी चीज है जो कम से कम मेरे क्षेत्र में तो पैदा नहीं होता है। जब कभी हमको जरूरत पड़ती है किसी पूजा पाठ के लिये तो आने दो आने का ढूंढ़कर मंगवा लेते हैं। इसलिये जहां तक गन्ने के सम्बन्ध में हमारी राय का सवाल है वह कुछ ज्यादा असर नहीं रखती है लेकिन हम भी इस प्रान्त के रहने वाले हैं। हम भी इस प्रान्त के किसानों के हितों को देखना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी ने बड़े गर्व के साथ अभी कहा कि हमने २५ करोड़ मन गन्ना खिरवा दिया लेकिन १६ करोड़ मन गन्ना जो था उसमें आपने किस भाव में उनको दिलवाया। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस ९ करोड़ मन गन्ने की कीमत आपने किसानों को क्या दिलवाई। आपने उसकी कीमत ८ आना मन किसानों को दिलवाई जब कि भाव १ रुपये ५ आने का था। क्या उस समय और कहीं पर गन्ना रह नहीं गया था? देवरिया और पड़रौना मिल में बहुत सा गन्ना रह गया था जो नहीं पेरा गया क्योंकि जो हमारे माननीय सदस्य वहां से आते हैं उन्होंने बतलाया था कि उसको मिल मालिकों ने लेने से इंकार कर दिया था तो उसी को ८ आने में उन मिल मालिकों को दिलवाया था। उससे उन मिलों वालों को करोड़ों रुपये की आमदनी हुई। इस वजह से मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछूंगा कि अगर इस बोर्ड के सामने जोकि एडवाइजरी बोर्ड बनेगा उसके सामने कोई ऐसा प्रश्न आजाय जो कि गन्ने की कीमत तय करने का प्रश्न हो और उस बोर्ड के अन्दर गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधि हों, मिलों के प्रतिनिधि हों और टैक्निकल एक्सपर्ट भी उसमें हों और अगर किसी सही कीमत को वह बोर्ड निर्धारित कर देऔर यह निर्धारित करने का अधिकार उनको दे दिया जाय तो उसमें कौन सी बुरी बात हो जायगी। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बुजुर्ग मंत्री जी, जिनकी स्पीच सुनने से मालूम होता है कि अभी नौ जवान हैं और हमारे साथी श्री गेंदा सिंह भी नौजवान हैं उनकी बात को हमारे मंत्री जी मानने को तैयार होंगे क्योंकि दोनों पूर्वी जिलों के हैं लेकिन हम उनसे आशा करते हैं कि वह इस संशोधन को मान लेंगे। उनके लाड़लेपन को गेंदा सिंह जी स्वीकार करें या न करें लेकिन अपने तो दोनों ही बुजुर्ग हैं दोनों गन्ने से संबंध रखते हैं, एक मंत्री हैं और दूसरे भी मिलों को गन्ना भिजवाते हैं। इसलिये अच्छा यही है कि संशोधन को मंत्री जी मान लें। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि हमारा इरादा इस बिल को कोई लम्बा-चौड़ा ले जाने का नहीं है और हम कोई डाइलेटरी टैकटिक्स का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते हैं लेकिन जब हमारे एक दो स्पीकर के बोलने के बाद ही क्लोजर उधर से मूव हो जाता है और जबकि हम बोलना चाहते हैं तो हमें दिक्कत होती है और उससे समय अधिक खराब होता है। इसलिये मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी अपने सदस्यों को समझा दें और हुक्म दे दें कि वह इतनी जल्दी क्लोजर मूव न करें क्योंकि हम खुद ही इस को जल्द ही खत्म करना चाहते हैं लेकिन यह जरूर चाहते हैं कि बिल पर थोड़ा बहुत वादविवाद हो जाय। उधर से कोई बोले या न बोले लेकिन हमें काफी इस पर भी कहना है। अगर क्लोजर मूव न किया जायगा तो बोलने वाले खुद ही कम हो जायेंगे और अगर क्लोजर इसी तरह से उधर से मूव होते रहे

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

तो इसमें जो देर लगेगी उसकी जिम्मेदारी हमारी न होगी। मैं अपने बुजुर्ग मंत्री जी से फिर कहूंगा वैसे सलाह तो उनको मैं नहीं दे सकता हूं। सदन में आज दिन भर मैं बैठा रहा, वैसे तो मंत्री जी हर बात को मखौल में उड़ा दिया करते हैं लेकिन आज तो उनका बड़ा ही सारगर्भित भाषण। हुआ हमें पहले से मालूम नहीं था कि मंत्री जी को जरा उकसा दिया जाय तो उन का बड़ा जोशीला भाषण हो जाता है, किसी से कहने लगते हैं कि तुम्हारे ५ खून माफ हैं किसी से कहते हैं कि खिजाब लगाते हो, इस तरह से वह काफी अच्छी बातें करते हैं और मैं उनसे अन्त में प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को मान लें।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं खंड ४ (घ) को पढ़ देना चाहता हूं। उसमें है कि बोर्ड राज्य सरकार को अन्य ऐसे विषय जो नियत किये जायं, में परामर्श देगा। जब बिल में यह चीज मौजूद है और जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि अगर आवश्यकता होगी और गन्ने की कीमत की घटी बढ़ी का सवाल होगा या और किसी मुख्य विषय पर विचार का समय आयेगा तो उचित कार्यवाही की जायगी लेकिन उधर गेंदा सिंह जी और उपाध्याय जी अपनी तान छेड़ें ही जाते हैं। उपाध्याय जी के लिये मैं कहता हूं कि—

उचित अनुचित जान कर शेष न दीन्हों कान।
धर मेरू अरु डोलत्यो उपाध्याय जी को तान पै॥

यह दशा है। न वादविवाद का मौका है और यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का सबजेक्ट है लेकिन कहां से यू० पी० गवर्नमेंट को लाकर इस में उन्होंने घुसेड़ दिया। गेंदा सिंह जी गन्ने के खजाने की तरफ से आते हैं और मजदूरों की भुखमरी का उनको बड़ा दर्द है। हम लोग भी उनकी तकलीफ को जानते हैं और हमें भी उनका ख्याल है और हमारी जिम्मेदारी है। हम भी यहां जनता के चुने हुये सदस्य हैं, कोई नामिनेटेड मेम्बर नहीं है जैसे म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में नामिनेशन होता हो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो एजेक्टेड बाडी है जब चाहे उनको गवर्नमेंट डिजाल्व कर सकती है यह उनके ऐक्ट में दिया हुआ है अगर वैसे ही हो तो बहुत परेशानी हो सकती है। इसलिये यह मुनासिब नहीं है कि हम जबरदस्ती सेन्ट्रल गवर्नमेंट को सजेस्ट दें क्योंकि यह काम हमारा नहीं है। यह कौन सा तरीका है 'मान न मान मैं तेरा मेहमान' कोई हम से सलाह मांगेगा तो हमारी सरकार सलाह दे सकती है और हम ने इस में इंतजाम कर रखा है कि और विषय भी सरकार नियत कर सकती है अगर कोई पायजामा भी सिलाता है तो उस में इंतजाम कर लेता है और माननीय गेंदा सिंह जी तो स्वयं बहुत चतुर हैं और उपाध्याय जी का तो कहना ही क्या, वह तो बड़े विचारक स्वयं हैं। मैं श्री गेंदा सिंह जी से कहूंगा कि वह बुजुर्ग हैं और वह विचार करें और मंत्री जी तो जब उधर से छोटाकशी हो जाती है तो वे भी मखौल का उचित उत्तर दे देते हैं

मैं पूछना चाहता हूं कि उधर से जो अपने को बच्चा कहते हैं, वह कहते हैं तो बुजुर्ग लोग भी कभी-कभी बच्चे की तरह गोली खेल देते हैं। आजमगढ़ के सत्याग्रह का जिक्र कई ओर से आया है। मेरे लायक दोस्त यहां बैठे हैं और वहां किसान लोग जेल जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री शिवनारायण—कहते हैं कि सरकार ने आठ आने मन पर गन्ना बेचवाया। वह तो चाहते थे कि मुफ्त में फूंक दिया जाय ताकि गांव-गांव ढिंढोरा पीटा जाय कि यह गवर्नमेंट निकम्मी है। ऐसी सूरत में इसलिये कि हम निकम्मे न कहलायें, हम उन के दरवाजे बन्द कर दें, हमने ऐसा किया हमने जमींदारी अबालीशन किया। वह जमींदारी प्रथा जो हमारे सूबे और देश के लिये बहुत बड़ा अभिशाप थी उसको माननीय हुकुम सिंह जी जो यहां पर बैठे हैं, उन्होंने ही उसको खत्म किया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो अधिकार अपने हाथ में माननीय मंत्री जी ने रखा है वह ठीक रखा है।

अभी कहा गया कि पिछले कंट्रोल बोर्ड में बड़ी शिकायत थी। इसलिये कि फिर माननीय गेंदा सिंह जी और उपाध्याय जी को शिकायत न हो और राजासाहब जगम्मनपुर को भी

शिकायत न हो सके यह चीज रखी गयी है। अब बिलकुल मैदान क्लियर है। हम नामिनेट करेंगे। जो गड़बड़ करेगा उसको गवर्नमेंट कान पकड़ कर बाहर कर देगी। हो सकता है कल आप की मिनिस्ट्री हो तो कल आप इस कानून को युटिलाइज करेंगे।

मैं पुनः अपने दोस्तों से कहता हूं कि जो विथ सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसमें स्टेट गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं है एकार्डिंग टु इंडियन कांस्टीट्यूशन। केन्द्रीय सरकार हमसे सलाह ले सकती है। उसके लिये हमारी सरकार ने प्राविजन कर लिया है। इसलिये मैं पुनः उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय गेंदा सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हू। इस संशोधन का आधारगत प्रश्न यह है कि यह गन्ना बोर्ड जो कि प्रदेश के गन्ना उत्पादकों, चीनी मिल मालिकों और टेक्निकल जानकारी रखने वालों और शकर विशेषज्ञों का जो एक मिलाजुला विद्वानों से पूर्ण बोर्ड है यह उत्तर प्रदेश की सरकार को गन्ना की कीमत के संबंध में भारत सरकार को सलाह देने में मदद करेगा।

श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि बिना इस महत्वपूर्ण सलाह के इस कार्यभार को उठाए हुये, इस गन्ना बोर्ड का अर्थ ही विपर्यय हो जाता है, इसका कार्य अधूरा रह जाता है। अभी-अभी माननीय उद्योग मंत्री जी ने बुद्धिमत्ता के गर्व में मदमत्त होकर बतलाया और एक धारा पढ़ी जिसमें उन्होंने यह भी दावा किया कि वह एक अच्छे वकील हैं। उन्होंने उसी आवेश में एक कोटेशन पढ़ा। "दि सेंट्रल गवर्नमेंट मे आफ्टर कंसल्टेशन विद सच आथारिटीज, ऐसोशियेटेड बाडीज ऐज मे बी डीम फिट"

इस उद्धरण को पढ़ कर इस नतीजे पर पहुंच गये कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है कि सलाह ले या न ले। माननीय मंत्री जी से श्रीमन आप के द्वारा मैं जानना चाहता हूं कि किस खंड के अर्थ में उन्होंने ऐसा इंटरप्रिटेशन किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप ही इस लाइन को पढ़ डालें और विश्लेषण करें। 'आफ्टर कंसल्टेशन" है 'मे' वर्ड नहीं यूज किया है। डीम फिट का मतलब यह है कि किस बाडी से और किस अथारिटी से सलाह लें और कितनों से ले। लेकिन कंसल्ट करना तो आवश्यक है। कंसल्टेशन कोई गड़बड़ की चीज नहीं मानी गई है। कंसल्ट करना भारतीय सरकार के लिये आवश्यक है। तो भारतीय सरकार ने अपने नियम के द्वारा यह रखा है कि वह प्रान्तीय सरकार से ही नहीं बल्कि किसी बाडी, आथारिटी, असोसिएशन से भी यदि उचित समझती हो तो सलाह ले। हो सकता है कि भारतीय सरकार मिलओनर्स से सलाह ले, हो सकता है कि प्रान्तीय सरकार से, यू० पी० केन कोआपरेटिव फेडरेशन से सलाह ले, हो सकता है कि भारतीय सरकार किसी इंडिविजुअल केन ग्रोअर को भी गवाही में बुलाये। यह नियम तो इतनी हद तक जाता है। तो उसमें यह कहना और भारतीय सरकार जो माननीय मंत्री जी की पार्टी की सरकार है उसके ऊपर माननीय मंत्री जी को इतना विश्वास हो यह तो कोई समझने की बात नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी इस प्रदेश के अन्दर प्रजातांत्रिक होने का दावा करते हैं, अगर माननीय मंत्री जी इस बात का दावा करते हैं कि वह इस प्रदेश के प्रत्येक गन्ना उत्पादक की भावना को समझते हैं और कोई ऐसा काम नहीं करते जो उसकी भावना को दृष्टिगत करके किया जाय तो उनको उतना ही अधिकार भारतीय सरकार को, पं० जवाहरलाल नेहरू की सरकार को देना चाहिये कि वह भी उतनी ही प्रजातांत्रिक हो। वह केवल प्रान्तीय सरकार से सलाह न लें, यह असंभव है, यह कल्पना करना असंभव है। यह भारतीय सरकार के प्रति अविश्वास को दृष्टि गोचर करना और अविश्वास व्यक्त करना है। और फिर यह सोचना कि भारतीय सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार से सलाह न ले जहां कि देश की ५० प्रतिशत से अधिक चीनी और ५० प्रतिशत से अधिक गन्ना पैदा होता है उस सरकार के प्रतिनिधियों से गन्ने की कीमत तय करने के लिये सलाह न ले और सलाह न मांगे यह एक असंभव कल्पना है और एक कल्पना की ही वस्तु मानी जा सकती है। तो इसलिये

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

प्रदेशीय सरकार को, गन्ना उत्पादकों को, चीनी फैक्ट्रियों के प्रतिनिधियों को इस महत्वपूर्ण कार्य में मैं समझता हूं कि सलाह देना लाजिमी है।

श्रीमन्, आज प्रदेश भर में हमारे इलाके में गन्ने की रिकवरी के ऊपर कि किस वैरायटी में कितनी चीनी है उसकी कीमत पर झगड़ा होता है। फैक्ट्री वाला कुछ दाम कहता है और उत्पादक उसका विरोध करता है। राज्य सरकार को इस बात का समन्वय करना होता है। गन्ना बोर्ड में फैक्टरी के प्रतिनिधि उत्पादकों के प्रतिनिधि होंगे, टेक्नालाजिस्ट भी होंगे जो बतायेंगे कि किस वैरायटी में कितनी रिकवरी होती है। जब एक विशाल दृष्टिकोण से सब दृष्टिकोण को सामने रख कर एक कल्पना होगी और एक स्वस्थ सलाह राज्य सरकार को प्राप्त हो सकेगी तो क्या माननीय मंत्री जो इस गम्भीर वाणी से और गम्भीर विचार से राज्य सरकार और अपने को वंचित रखना चाहते हैं? मैं ऐसी असंभव कल्पना नहीं कर सकता। माननीय मंत्री जी कहते हैं और शिवनारायण जी भी कहते हैं कि हमने तो लिखा है कि "अन्य ऐसे विषय जो नियत किये जायं" तो जब जरूरी होगा तो हम नियत कर लेंगे। मैं नहीं समझता कि ऐसी बातों के कहने से क्या फायदा होगा। आवश्यकता तो इस बात की है कि उनको सूत्र रूप में नियमित कर दिया जाय। मैं फिर वही कहूंगा और इसके लिये मुझे माफ करेंगे। अगर ऐसा ही करना था तो क्यों ऐसा विधेयक लाये, केवल एक धारा का विधेयक ले आते। नाम होता "उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन विधेयक, १९५३" और एक क्लाज ले आते कि सरकार जैसा नियत करे गन्ना पूर्ति तथा खरीद के नियम बना सकती है। उसको पास करा लेते और फिर नियम अपने मन से पास करा लेते। लेकिन विधान वेत्ता इस बात को जानते हैं और माननीय मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि गन्ने की कीमत में सलाह देने का विषय कितना महत्वपूर्ण है। उसे स्पष्ट विधेयक में धाराओं में आना चाहिये। नियमों में नहीं रहना चाहिये।

थोड़ी देर हुई जब मैंने "शुगर कमिश्नर" शब्द को हटाने की बात कही थी लेकिन माननीय मंत्री जी को अक्ल तो बिखरी पड़ती है कि सदन में किसी में इतनी अक्ल नहीं है कि उनकी बातों को समझ सके और मैं इसे स्वीकार करता हूं कि जितना उनको अनुभव है उतना मुझको नहीं है, यह स्पष्ट है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो बातें वह कहते हैं उनको समझने की अक्ल इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों को नहीं है। तो इसीलिये जब मैं इस दृष्टिकोण से देखता हूं तो मैं माननीय मंत्री जी की ही दलील उनके सामने पेश कर देना चाहता हूं।

श्री हुकुम सिंह—क्या यह कहना ठीक है कि बहुत से माननीय सदस्यों को अक्ल नहीं है?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि दो आदमी एक साथ नहीं खड़े हो सकते।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर है? अगर प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है तो मैं नहीं बैठता।

श्री अध्यक्ष—कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर जब नहीं है तो वह नहीं ईल्ड करते, इसलिये आप बैठ जायं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—शुगर केन कमिश्नर के हटाने के बारे में जब माननीय मंत्री जी ने दलील दी थी तो उसमें उन्होंने यह कहा कि जब कभी हमको भारत सरकार अधिकार दे दे तो हमको आवश्यकता पड़ सकती है। अगर कोई जरूरत पड़े, भारत सरकार हमको अधिकार दे तो हम शुगर केन कमिश्नर को रखेंगे या नहीं रखेंगे। उस दलील को इस गन्ने का मूल्य नियत करने में माननीय मंत्री जी क्यों छोड़ देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी उसके लिये यह दलील देते हैं तो इसको भी रखना चाहिये कि कभी अगर भारत सरकार सलाह लेना उचित समझे तो गन्ना बोर्ड को भी अधिकार दें कि वह उसको सलाह दे। अगर शुगर केन कमिश्नर की धारा को एक बेकार की धारा नहीं समझते हैं तो यह एक जरूरी धारा है। मुझे विश्वास है माननीय

मंत्री जी इसकी महत्ता को समझते हैं। इसलिये मैं अधिक क्या कहूं बिना माननीय मंत्री जी के हृदय को दुखाये हुये, उनकी विद्वत्ता से अपील करते हुये और माननीय सदन की ओर से, चूंकि मैं समझता हूं कि इस सदन के सभी सदस्य इस बात को चाहते हैं, कोई नहीं चाहेगा कि हमारी राय या प्रादेशिक सरकार की राय गन्ने की कीमत निर्धारित करने में न ली जाय, इसलिये मैं माननीय सदन की भावना को व्यक्त करते हुये, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करें।

श्री हनुमान प्रसाद मिश्र (जिला सीतापुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय और सदन के सदस्यों,

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं उनको ऐड्रेस करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हनुमान प्रसाद मिश्र—मैं इस बात को वापस लेता हूं। मैं इस विषय के ऊपर काफी देर से अपने साथियों के भाषण सुन रहा हूं। मैं तो माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस तरफ आपके द्वारा आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि गन्ने का मूल्य निर्धारित करने की सलाह तक देने का अधिकार इस बोर्ड को नहीं है तो यह निश्चय है कि पूर्ति और उत्पादन दोनों के अन्दर बहुत बड़ी बाधा होगी और यह विधेयक पूरे तरीके से कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि यह सरकार केन्द्रीय सरकार से सलाह करके गन्ने की कीमत ठीक तरीके से निर्धारित न कर सके। इसमें एक दूसरे से विरोध मालूम होता है कि हम गन्ने की कीमत के बारे में तो केन्द्रीय सरकार से कोई सलाह या मश्विरा नहीं ले सकते। हम तो यह कहेंगे कि अगर कोई भी ऐसी बाधा इस रास्ते में है तो केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार जो कि दोनों आज कांग्रेस की सरकारें हैं, एक दूसरे की विरोधी सरकारें भी नहीं हैं जिनके अन्दर किसी भी विषय को लेकर के कोई टकराव पैदा नहीं हो सकता तो ऐसी सूरत में किसी भी तरीके से यह रास्ता निकाल सकती है कि गन्ने की कीमत के निर्धारित करने में प्रान्तीय सरकार सलाह दे और उस सलाह में कामयाब होने का प्रयत्न करें। मैं आप के माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि अभी कल या परसों मुझसे मिल मालिकों से बातचीत हुई, तो मालूम हुआ कि उन्होंने खुद इस बात की सलाह केन्द्र को दी है कि गन्ने की कीमत अगर एक रु० आठ आने से नीचे की जाती है तो इस सूबे की फैक्ट्रियों को गन्ना नहीं मिलेगा। २० रु० मन आज गुड़ बिक रहा है। वह सारा गन्ना कोल्हुओं के अन्दर जाकर गुड़ बन जायगा और फैक्ट्रियों में उनका जाना कठिन हो जायगा। तो जब मिल मालिकों की यह राय है और इस शंका का उन्हें पता हो चुका है तो सरकार क्यों ध्यान नहीं देती ? गन्ने की खासकर इस साल जो हालत है वह बहुत खराब है, उसको नुकसान हुआ है, पानी की बाढ़ की वजह से नुक्सान हुआ है, पौधे पूरे बढ़े नहीं हैं, उसके अन्दर जितनी शाखायें उठ सकती थीं उतनी नहीं उठी हैं। इस तरीके से जब गन्ने की हालत खासकर के खराब है तो कीमत की कमी के कारण पूर्ति की समस्या अधिक गम्भीर होने की संभावना है। एक बात सिर्फ यही हो सकती है कि जब गन्ने की कीमत ज्यादा रखी जाय या यह सरकार केन्द्रीय सरकार को सलाह दे करके अच्छी कीमत रखवा सके जिस से किसानों के अन्दर एक उत्साह पैदा हो तब ही गन्ने का उत्पादन या पूर्ति हो सकती है। गन्ने के उत्पादन में मुख्य जो काम करने वाली शक्ति है वह सिर्फ कीमत है। अच्छी खाद, अच्छे-अच्छे बीज या अच्छे-अच्छे सलाहकार रख करके आप चाहें कि गन्ने का उत्पादन बढ़ जाय तो यह असंभव है। अगर अच्छी कीमत नहीं मिलेगी तो किसान अच्छी खाद धान में डालेगा, गेहूं में डालेगा। अगर उसको अच्छी कीमत नहीं मिलेगी तो वह गन्ना क्यों बोयेगा, वह गेहूं बोयेगा। वह पागल नहीं है। वह कीमत के लिये ही सब वस्तुयें बोता है। अगर आप कीमत के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं तो कैसे आप इस उत्पादन के विधेयक को अमली जामा पहना सकेंगे और इस प्रांत के सारे किसानों के अन्दर उत्साह पैदा कर सकेंगे कि वे गन्ने की पैदावार में दिलचस्पी लें, मेहनत करें, अच्छा बीज, अच्छी खाद और अपना सारा श्रम लगा करके ज्यादा से ज्यादा गन्ना पैदा करें और फैक्ट्रियों को दें, यह एक असंभव सी बात मालूम पड़ती है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे साथी गेंदा सिंह जी का जो

[श्री हनुमान प्रसाद मिश्र]

अमेंडमेंट है उस पर वे पुनर्विचार करें। बार-बार उधर से कहा गया कि एक छोटी सी बात का भी हम लोग विरोध करते हैं और उसको स्वीकार नहीं कर लेते हैं। उस छोटी सी बात का परिणाम भी देखना चाहिये अगर छोटी सी बात छोटे से दल वालों से स्वीकार करने की आशा की जाती है, तो अगर हम छोटी सी बात बड़े दल वालों से स्वीकार करने की आशा करें तो यह अनुचित न होगा। उनको कभी-कभी इस बात का ख्याल करना चाहिये कि एक छोटा सुझाव जो अल्पमत वालों की तरफ से आता है, अगर वह न्यायसंगत है तो उसको इस ख्याल से नहीं ठुकरा देना चाहिये कि हमारा स्वाभिमान जाता रहेगा या तौहीनी होगी। आज विरोधी दल के मुकाबिले में सरकार का भारी बहुमत है। उस बहुमत के बाद यह उचित नहीं है कि वह किसी भी व्यक्ति को उसके विचारों को रखने से क्लोजर मूव करके वंचित कर दे और किसी को इस बात का मौका न दे कि वह अपने सुझाव सही तरह से दे सकें। हम तमाम भाई जो यहां आये हैं उनमें से काफी संख्या में लोग गन्ने के काश्तकार हैं। हमारे कांग्रेस के भाई भी गन्ने के बारे में काफी जानकारी रखते हैं। हम लोग जो गन्ना बोते हैं, इस बात को महसूस करते हैं कि अगर उसकी कीमत ज्यादा मिलेगी, तो पारसाल से हम अच्छे खेतों में और ज्यादा तादात में गन्ना बोयेंगे। अगर उसकी कीमत कम की जायगी तो वह खाद, वह श्रम और वह धन हम इस तरह से व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमें जिस चीज में अच्छी कीमत मिलेगी, उसे ही हम बोयेंगे। आज तम्बाकू के खेतों की तादाद बढ़ रही है इसलिये कि तम्बाकू में लोगों को दाम अच्छे मिलते हैं। हम कई दिन से इस बात की चर्चा सुन रहे हैं कि दाम की बात आप मत कीजिये। किसी किसान से जिस वक्त हम जा करके यह कहेंगे कि अच्छे से अच्छे बीज बो करके आप ज्यादा से ज्यादा गन्ने का उत्पादन कीजिये, तो वह पहला सवाल यह करेगा कि हमको कीमत क्या मिलेगी, गन्ने का भाव क्या होगा? उस वक्त हम कहेंगे कि इस सूबे की कांग्रेस सरकार गन्ने की कीमत के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सलाह तक नहीं दे सकती, जो केन्द्रीय सरकार चाहेगी वही कीमत रखेगी, उस समय किसान कहेगा तो फिर उत्पादन और पूर्ति वाला भी जो विधेयक है वह भी केन्द्रीय सरकार के हाथ में दे दें। उसके लिये यहां आप क्यों परेशानी उठाते हैं और क्यों आप अपनी ताक़तों को नाजायज तरीक़े से खर्च करते हैं। जब इसकी पूर्ति के बारे में और उत्पादन के बारे में बड़ी-बड़ी अच्छी-अच्छी कमेटियां बनेंगी और बड़े-बड़े विशेषज्ञ उसके अन्दर रखे जायेंगे जो तरह-तरह से अपने ज्ञान के द्वारा यह तरीक़े निकालेंगे कि गन्ने की पूर्ति और उत्पादन किस तरह से बढ़े और उसकी व्यवस्था हो, लेकिन जहां रुपये का मसला आयेगा, उस पर हम केंद्रीय सरकार से बात नहीं कर सकते, तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं और यह मेरा नम्र निवेदन है कि बुद्धिसंगत तर्कसंगत और न्यायसंगत तो यही होगा कि केन्द्रीय सरकार से हमारे यहां की सरकार जिस तरीक़े से भी हो सके उस तरीक़े से, उनसे यह अधिकार ले ले कि वह सलाह दे सके। बल्कि मैं तो इस बात को मानने के लिये तैयार ही नहीं हूं कि यह सरकार सलाह नहीं दे सकती। यहां की सरकार अगर केंद्रीय सरकार को इस तरीक़े की समझती है कि वह आप से इतने बड़े कारोबार के सिलसिले में सलाह नहीं लेना चाहती, तो मैं समझूंगा कि यह अनुचित है और अप्रासंगिक है। वह हम केंद्रीय सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते। इतने बड़े व्यापार के संबंध में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार से यदि सलाह का रास्ता बन्द कर देगी तो इसका चलाना कठिन हो जायगा और यदि आप रास्ता बन्द करना चाहते हैं तब तो बात दूसरी है। फिर मैं कहता हूं कि अगर रास्ते में कोई रुकावट है, तो जैसा मैंने कहा कि केंद्रीय सरकार से प्रान्तीय सरकार हर तरह से उन रास्तों को साफ करे और सरकार को मजबूर करें कि वह सलाह आपकी ले और आप सलाह नीचे से किसानों को इकट्ठा करें और जगह-जगह जो गन्ने के काश्तकार हैं, उसके विशेषज्ञ हैं, उनकी तमाम सूबे की सलाह को केन्द्रित करके आप केंद्रीय सरकार को भेजें और प्रयत्न करें कि वह सलाह मानी जाय, वरना गन्ने की उत्पादन और पूर्ति के विधेयक के अन्दर जो इसकी सारी जान है वह निकल जायगी और मृत्यु की हालत में आप इसे बना कर के रख देंगे और इसका कोई नतीजा इस सूबे के अन्दर नहीं निकल सकेगा।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के जरिये से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर ले आना चाहता हूं कि जो श्री गेंदा सिंह जी ने संशोधन रखा है वह कदाचित उन्होंने पढ़ा नहीं है। संशोधन इस प्रकार है : "गन्ने की क़ीमत के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना, जिसके अनुसार राज्य सरकार भारतीय सरकार को सलाह दे सके"। चीज यह है कि जो बोर्ड बन रहा है और जिसको यहां की सरकार बना रही है और जिसमें वह खुद अपनी तरफ से मनोनीत करके मेम्बर्स रख रही है, वह बोर्ड इस योग्य आप समझते हैं कि वह सलाह दे आप को इस मामले में कि गन्ने की क़ीमत क्या होनी चाहिये केवल यह संशोधन है कि आप उस बोर्ड से यह सलाह ले लें, और उसको यह अधिकार दे दें कि वह आप को यह सालह दे सकें कि गन्ने की क्या क़ीमत होनी चाहिये, इससे आप भागना चाहते हैं। मेरी संमझ में बात नहीं आयी कि जब बोर्ड सलाह देगा तो उससे बगैर पूछे ही आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दें। यह संशोधन इतना सीधा-साधा है कि इसमें माननीय मंत्री को कोई आना कानी नहीं होनी चाहिये। जहां तक मैंने उनके भाषण को सुना उन्होंने जो कुछ भी अड़चन अपने रास्ते में बतलाई, वह यही बतलाई, कि हम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया है। तो यहां सेन्ट्रल गवर्नमेंट आप को यह अधिकार दे या न दे इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे यह कहने के लिये तैयार हूं कि अगर किसी वक्त भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह मुनासिब समझा, जैसा कि वह समझेगी, कि जब यहां का सूबा आधे से ज्यादा चीनी पैदा करता है, जो हिन्दुस्तान की यूनियन में होती है तो वह अगर मुनासिब समझेगी और जिस वक्त आप से राय लेगी तो क्या उस वक्त में आप अपने बोर्ड को बुलाते फिरेंगे या खुद अपनी सलाह देंगे। मैं यह समझता हूं कि वह बोर्ड जिसमें किसानों के, गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधि होंगे वे भी सरकार के चुने हुये, मिल मालिकों के जो प्रतिनिधि होंगे वे भी सरकार के चुने हुये जो स्पेशल विशेषज्ञ होंगे गन्ना और चीनी की बातों के जानने वाले हैं, वे भी सरकार के चुने हुये, खुद माननीय उद्योग मंत्री जी होंगे, कृषि मंत्री होंगे, सेक्रेटरी ऐग्रीकल्चर होंगे, और जिस बोर्ड के लिये अभी-अभी आप ने यह भी अधिकार ले लिया है कि अगर वह ठीक सलाह न दे तो उसको तोड़ देंगे, तो ऐसे बोर्ड को एक छोटा सा अधिकार दे देना कि वह इस बात में आपको मशिवरा दे सके कि गन्ने की क्या क़ीमत हो, कौन सी बड़ी बात है और इसके मानने में आप को अड़चन नहीं होनी चाहिये ताकि हर समय आप तैयार रहें कि जब कभी भी केन्द्रीय सरकार आप से सलाह मांगे और जरूर मांगेगी, यह मैं साफ़ कह देना चाहता हूं कि यह कहना कि वह आप से सलाह नहीं लेगी, यह तो ग़लतफ़हमी में दुनिया को डालना है। तो आप उसे सलाह दे सकें, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से फिर प्रार्थना करूंगा कि वह इस मासूम संशोधन को स्वीकार कर लें। इसके स्वीकार करने में जमीन आसमान एक नहीं हो जायेंगे और न यहां की मिनिस्ट्री और सरकार कहीं पाताल में चली जायगी।

श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फ़ैजाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन हमारे सामने पेश है यह इस बिल के उद्देश्य और स्कोप के बाहर है इसलिये यह अवैधानिक है। गन्ने का मूल्य निर्धारित करने का कार्य केंद्रीय सरकार का है और हमारी प्रदेशीय सरकार के अधिकार की सीमा के बाहर का प्रश्न है। इसलिये मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप इसे अवैधानिक घोषित करें।

दूसरी बात, मैं मंत्री महोदय को एक दूसरी महत्वपूर्ण बात की तरफ ले जाना चाहता हूं। धारा ४ पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें बोर्ड के कार्यों का विवरण है। मेरा यह अनुभव है कि जो गन्ना बोर्ड अभी तक काम करता रहा है उसने विकास की कई योजनायें सोचीं, लेकिन उसने इस तरफ़ कभी ध्यान नहीं दिया कि जो डेफ़िसिट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी गन्ने का रक़बा बराबर बढ़ता चला जा रहा है और वहां अन्न की बहुत उग्र समस्या उपस्थित होती जाती है। मैं इस प्रश्न की तरफ आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप इस प्रश्न को चाहे अपने रूल्स में स्थान दें अथवा बोर्ड के कर्तव्यों में लें, जहां आप गन्ने के विकास की बात सोचते हैं वहां अन्न की समस्या की ओर भी आप का ध्यान होना चाहिये।

श्री राम सुन्दर पांडेय (ज़िला आज़मगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं साथी गेंदा सिंह के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। बहुत ताज्जुब में पड़ा जब वैद्य जी ने यह कह कर आपको उपदेश देने की कोशिश की कि संशोधन ही अवैधानिक है और यह भी कहने की कोशिश की कि यह उद्देश्य और कारण के विपरीत है। अध्यक्ष महोदय, उद्देश्य और कारण को जब माननीय वैद्य जी पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि उद्योग तथा गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा की दृष्टि से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। यह क़ीमत तय करने का सवाल हमारे प्रदेश के लिये बहुत बड़ा सवाल है। जब कि हमारा सूबा किसानों का सूबा माना जाता है और खास कर के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में गन्ने की पैदावार होती है और किसान गन्ने को उस गाढ़े वक्त में बेंचता है, माघ का महीना किसान का गाढ़ा वक्त कहा जाता है, और गन्ने की क़ीमत केन्द्रीय सरकार तय करती है। माननीय उद्योग मंत्री ने यह साबित करने की कोशिश की कि गन्ने की क़ीमत तय करने में प्रान्तीय सरकार को सलाह देने की कोई जरूरत और कोई अधिकार नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि केन्द्रीय सरकार अगर चाहे तो प्रान्तीय सरकार से उसकी राय और मशविरा ले सकती है। जब गन्ना बोर्ड सरकार की ओर से ही बनाया जा रहा है और उस बोर्ड में गन्ना उत्पादकों के पांच प्रतिनिधि, चीनी मिल मालिकों के पांच प्रतिनिधि और सरकार की ओर से नामिनीज हैं तो फिर गन्ना बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार को अगर माननीय मन्त्री जी सलाह देंगे तो उनकी सलाह में कुछ वज़न होगा, गेंदा सिंह जी का यही कहना है। जब से मैंने होश सम्हाला है तब से मैं यह लगातार देखता चला आ रहा हूं कि हर प्रदेश में गन्ने की कीमतें अलग-अलग तय हुआ करती हैं और हमारे प्रदेश में गन्ने की क़ीमत प्रति वर्ष कम होती चली जा रही है। अध्यक्ष महोदय, प्रान्तीय सरकार को और खासकर उद्योग मंत्री जी को जो बहराइच ज़िले के निवासी हैं, जो अधिकतर किसानों का ज़िला है और जिनके क्षेत्र में चीनी मिलें हैं, उनको गन्ने के बारे में मैं समझता हूं पूरी जानकारी होगी। मैं शुक्ल जी की उपेक्षा अवश्य कर सकता हूं क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं उस ज़िले का रहने वाला नहीं हूं जहां गन्ना पैदा किया जाता है। लेकिन फिर भी उन्होंने गन्ने के बारे में जानकारी बताई और अपनी राय देने की कोशिश की। लेकिन माननीय गेंदा सिंह जी के बारे में खुद माननीय उद्योग मंत्री जी कई बार कह चुके हैं कि वे गन्ने के विशेषज्ञ हैं और वे इस बात को स्वीकार भी करते हैं। जहां तक माननीय गेंदा सिंह का ताल्लुक़ है, वे ऐसे ज़िले के रहने वाले हैं जहां के रहने वालों का जीवन गन्ने की पैदावार पर ही मुनहसिर है। वहां के किसानों के ऊपर जो दिक्क़तें आती हैं मैं समझता हूं कि राम नरेश जी शुक्ल और बहुत से दूसरे मेम्बरों से ज्यादा जानकारी साथी गेंदा सिंह जी को होगी। उन्होंने ही यह संशोधन रखा है। इसलिये उनके संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि वह बिना जाने समझे ऐसा संशोधन ले आये हैं। मैं समझता हूं कि यह संशोधन जो रखा गया है, वह माननीय मंत्री जी की शक्ति को बढ़ाने के लिये है और मैं समझता हूं कि माननीय उद्योग मन्त्री जी एतराज़ न करते अगर यह संशोधन माननीय गेंदा सिंह जी की ओर से न आ कर अध्यक्ष महोदय राम नरेश जी शुक्ल या साथी शिवनारायण जी की ओर से आया होता। तो मन्त्री जी अवश्य ही उसे स्वीकार कर लेते। और माननीय मंत्री जी की तथा इस सरकार की यही परिपाटी रही है कि अगर हमारी तरफ से हज़ार संशोधन भी अच्छे आयेंगे तो भी स्वीकार नहीं करेंगे और उन संशोधनों को स्वीकार नहीं किया जायगा क्योंकि वे इधर से उपस्थित किये जाते हैं। यह हठधर्मी है और मैं समझता हूं कि लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। इस प्रकार की कार्यवाही सदन में नहीं होनी चाहिये। ऐसा संशोधन जो कि उस जनता से संबंध रखता है जो कि गर्मी में पसीना और खून एक कर के गन्ने का उत्पादन करती है। यदि उद्योग मंत्री को यह विश्वास हो जाता कि गन्ना बोर्ड वही मशविरा देगा जो केंद्रीय सरकार चाहती है या माननीय उद्योग मंत्री चाहते हैं, गन्ने की क़ीमत के बारे में उतनी ही सिफारिश करेगा जितने कि माननीय उद्योग मंत्री के क्षेत्र में रहने वाले मिल-मालिक चाहते हैं, अगर उन्हें यह विश्वास हो जाता तो मेरे ख्याल में माननीय मन्त्री जी के इस संशोधन को मानने में कोई एतराज न होता लेकिन उन्हें यह परेशानी है

कि सरकार और मिल मालिक कहीं दूसरी क़ीमत आंकें और गन्ना बोर्ड दूसरी क़ीमत आंक दे तो क्या होगा।

श्री अध्यक्ष---आप किसी की नीयत पर आक्षेप न करें।

श्री राम सुन्दर पांडेय---चीनी मिलों के पड़ोस में माननीय मंत्री जी रहते हैं इसलिये उनका असर पड़ सकता है लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि अगर बोर्ड की राय केंद्रीय सरकार मानती है या नहीं भी मानती है, तो इसमें एतराज की कौन सी बात है। मैं आप के द्वारा उद्योग मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या अब तक जो नियम केंद्रीय सरकार की ओर से बने हुये हैं तदनुसार राज्य सरकार की राय मांगी गई है या नहीं मांगी गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जब से माननीय उद्योग मंत्री जी उद्योग मंत्री हुए हैं तब से केंद्रीय सरकार ने किसी साल गन्ने की कीमत निर्धारित करने के संबंध में उनकी राय मांगी है या नहीं मांगी है। मैं समझता हूं कि जब गन्ना बोर्ड में सरकार का बहुमत है तो उसके लिये संशोधन के रूप में यह अधिकार दे देना कोई पहाड़ टूटने का काम नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि यह जो अधिकार गन्ना बोर्ड को देने के लिये हमारे साथी श्री गेंदा सिंह जी ने संशोधन रखा है यह गन्ना उत्पादकों के अधिकार को बढ़ाने वाला है। इससे गन्ना उत्पादकों में परिश्रम करने का भाव पैदा होगा और उनका दिल बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में तो गन्ने की कोई मिल नहीं है, लेकिन देवरिया और जौनपुर जिले की मिलों से जिले का सम्बन्ध है....

श्री अध्यक्ष---क्या आप अपना भाषण देर तक जारी रखना चाहते हैं?

श्री राम सुन्दर पांडेय--जी हां।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
११, अगस्त, १९५३।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०---६० एल० ए० १९५३-२५।